



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS

2023-24



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS

2023-24

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	(i)
विनियोग लेखे का सारांश 2023-24	(ii) – (vii)
विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	(viii) – (ix)
विनियोग लेखे	
1. अनुदान संख्या 1 – विधान सभा	1
2. अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन	3
3. अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन	7
4. अनुदान संख्या 4 – वित्त	13
5. अनुदान संख्या 5 – गृह	17
6. अनुदान संख्या 6 – शिक्षा	21
7. अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	32
8. अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण	44
9. अनुदान संख्या 9 – उद्योग	53
10. अनुदान संख्या 10 – विकास	57
11. अनुदान संख्या 11 – शहरी विकास तथा लोक निर्माण	64
12. अनुदान संख्या 12 – ऋण	81
13. अनुदान संख्या 13 – पेंशन	82
14. अनुदान संख्या 14 – आकस्मिक निधि	83
15. अनुदान संख्या 15 – सार्वजनिक ऋण	84
16. अनुबन्ध 'क'	86

TABLE OF CONTENTS

	Page No.
INTRODUCTORY	(i)
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2023-24	(ii) – (vii)
CERTIFICATE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON APPROPRIATION ACCOUNTS	(viii) – (ix)
APPROPRIATION ACCOUNTS	
1. GRANT NO.1 – LEGISLATIVE ASSEMBLY	1
2. GRANT NO.2 – GENERAL ADMINISTRATION	3
3. GRANT NO.3 – ADMINISTRATION OF JUSTICE	7
4. GRANT NO.4 – FINANCE	13
5. GRANT NO.5 – HOME	17
6. GRANT NO.6 – EDUCATION	21
7. GRANT NO.7 – MEDICAL AND PUBLIC HEALTH	32
8. GRANT NO.8 – SOCIAL WELFARE	44
9. GRANT NO.9 – INDUSTRIES	53
10. GRANT NO.10 – DEVELOPMENT	57
11. GRANT NO.11 – URBAN DEVELOPMENT & PUBLIC WORKS	64
12. GRANT NO.12 – LOANS	81
13. GRANT NO.13 – PENSIONS	82
14. GRANT NO.14 – CONTINGENCY FUND	83
15. GRANT NO.15 – PUBLIC DEBT	84
16. ANNEXURE-A	86

प्रस्तावना

वर्ष 2023-2024 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखों वाले इस संकलन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 29 एवं 30 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों की तुलना में इस अवधि के दौरान व्यय की गई राशियों के लेखें प्रस्तुत किए गए हैं ।

इन लेखों में :-

“मू” का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है ।

“पू” का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

“पु” का तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये पुनर्विनियोगों, निकासियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

प्रभारित विनियोगों और व्यय को रेखांकित किया गया है ।

INTRODUCTORY

This compilation containing the Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2023-24 presents the accounts of sums expended during the period compared with the Appropriation Acts passed under sections 29 and 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

In these Accounts: -

- “O” Stands for original grant or appropriation
- “S” Stands for supplementary grant or appropriation
- “R” Stands for re-appropriation, withdrawals or surrenders sanctioned by the competent authority.

Charged appropriations and expenditure have been underlined.

विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS
2023-24

वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2023-24

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम No. & Name of Grant or Appropriation	अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation			व्यय Expenditure			बचत Savings			अधिक व्यय Excess
	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	
1-विधान सभा Legislative Assembly	प्रभारित स्वीकृत	15700	0	9539	0	-6161	0	0	0	0
	Charged Voted	602350	275650	305280	2929	-297070	-272721	0	0	0
2-सामान्य प्रशासन General Administration	प्रभारित स्वीकृत	295400	27800	213369	16063	-82031	-11737	0	0	0
	Charged Voted	11519050	144250	2392654	38602	-9126396	-105648	0	0	0
3-न्याय प्रशासन Admn. of Justice	प्रभारित स्वीकृत	5446786	333450	4861377	212964	-585409	-120486	0	0	0
	Charged Voted	20138233	1660870	16293725	66599	-3844508	-1594271	0	0	0
4-वित्त Finance	प्रभारित स्वीकृत	1100	0	0	0	-1100	0	0	0	0
	Charged Voted	3848133	5740808	2480036	347998	-1368097	-5392810	0	0	0
5-गृह Home	प्रभारित स्वीकृत	20000	0	7541	0	-12459	0	0	0	0
	Charged Voted	10967350	2730480	9354566	1080073	-1612784	-1650407	0	0	0

(In thousand of rupees)
(रुपये हजार में)

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम No. & Name of Grant or Appropriation	अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation			व्यय Expenditure			बचत Savings			अधिक व्यय Excess
	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	
6- शिक्षा Education	प्रभारित स्वीकृत	51500	0	8231	0	-43269	0	0	0	0
		154012142	5218200	141012042	827789	-13000100	-4390411	0	0	0
7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य Medical & Public Health	प्रभारित स्वीकृत	103825	0	11715	0	-92110	0	0	0	0
		75467570	2354193	65657057	1091555	-9810513	-1262638	0	0	0
8- समाज कल्याण Social Welfare	प्रभारित स्वीकृत	62170	0	29423	0	-32747	0	0	0	0
		98075106	29661550	87696486	22833799	-10378620	-6827751	0	0	0
9- उद्योग Industries	प्रभारित स्वीकृत	60200	0	58114	0	-2086	0	0	0	0
		5054740	397320	2496859	9714	-2557881	-387606	0	0	0
10- विकास Development	प्रभारित स्वीकृत	2155	2431	50	1488	-2105	-943	0	0	0
		40609010	5891978	36432819	3192597	-4176191	-2699381	0	0	0

(In thousand of rupees)
(रूपये हजार में)

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम No. & Name of Grant or Appropriation	अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation			व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
	राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital	पूँजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूँजीगत Capital
11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग Urban Development & PWD	500	1250000	1249735	35	1249735	-465	-265	0	0
	130229025	125522087	74057779	110637928	-19591097	-51464308	0	0	0
12-ऋण Loans	0	13000	3399	0	-9601	0	0	0	0
13-पेंशन Pensions	30000	0	36804	0	0	0	6804	0	0
14-आकास्मिक निधि Contingency Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-सार्वजनिक ऋण Public Debt	30943200	50403000	30943105	49936883	-95	-466117	0	0	0
योग Total	37002536	52016681	36142499	51417133	-860037	-599548	0	0	0
	550552709	179610386	474796256	103552833	-75763257	-76057553	6804	0	0

(v)

विनियोग लेखों का सार (जारी)

चूंकि अनुदान और विनियोग की कुल आवश्यक राशियों के लिए उनके सामने दर्शाये गये आंकड़े वसूलियों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है, निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखों में दिखाये गये हैं ।

2023-24 के विनियोग लेखों एवं वित्त लेखों के अनुसार कुल व्यय का मिलान निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :-

	राजस्व	पूंजीगत	कुल (हजार रूपयों में)
प्रभारित :-			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	3614,24,99	5141,71,33	8755,96,32
घटायें-परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	1,27	0	1,27
वित्त लेखों की विवरणी संख्या - 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	3614,23,72	5141,71,33	8755,95,05
स्वीकृत :-			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	47479,62,56	10355,28,33	57834,90,89
घटायें-परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	758,37,36	8,61,74	766,99,10
वित्त लेखों की विवरणी संख्या - 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	46721,25,20	10346,66,59	57067,91,79

SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS – Contd...

As the grants and appropriations are the gross amounts required for expenditure, the expenditure figures shown against them do not include recoveries, which are adjusted in the accounts as reduction of expenditure. The net expenditure is shown in the Finance Accounts.

The reconciliation between the total expenditure according to the Appropriation Accounts for 2023-24 and that shown in the Finance Accounts for the year are as shown below: -

	Revenue	Capital	Total
(In thousands of rupees)			
<u>Charged</u>			
Total expenditure according to Appropriation Accounts	3614,24,99	5141,71,33	8755,96,32
Deduct – Total Recoveries Shown in Annexure-A	1,27	0	1,27
Net total expenditure as shown in Statement No.8 of Finance Accounts	3614,23,72	5141,71,33	8755,95,05
Voted			
Total expenditure according to Appropriation Accounts	47479,62,56	10355,28,33	57834,90,89
Deduct – Total Recoveries Shown in Annexure-A	758,37,36	8,61,74	766,99,10
Net total expenditure as shown in Statement No.8 of Finance Accounts	46721,25,20	10346,66,59	57067,91,79

विनियोग लेखों का सार (समापन)

मैं, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखों में शामिल कुल व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।



(लीला धर जोशी)

लेखा नियन्त्रक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली

दिनांक..... 18 MAR 2025

प्रतिहस्ताक्षरित



(डॉ. आशीश चन्द्र वर्मा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली

दिनांक..... 18 MAR 2025

Summary of Appropriation Accounts...concluded

Certified to the best of my knowledge and belief that all expenditure included in the Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year 2023-24 has been sanctioned by the competent authority.



**(LILA DHAR JOSHI)
Controller of Accounts
Government of N.C.T. of Delhi**

New Delhi: 18 MAR 2025
Dated: _____

Countersigned



**(Dr. ASHISH CHANDRA VERMA)
ADDL. CHIEF SECRETARY (FINANCE)
Government of N.C.T. of Delhi**

New Delhi: 18 MAR 2025
Dated: _____

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों में जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण लेखाओं के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, इस संकलन में अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 और 30 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त अभ्युक्तियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

यह लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, नमूना के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और सहायक लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा से बजट का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे वेतन और लेखा कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालय और विभाग प्रारंभिक और सहायक लेखाओं की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेखा नियंत्रक और प्रधान सचिव (वित्त), दोनों को प्रारंभिक और सहायक लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

Report of the Comptroller and Auditor General of India

Audit of the Appropriation Accounts of the Government of the National Capital Territory of Delhi

Opinion

The Appropriation Accounts of the Government of National Capital Territory of Delhi for the year ended 31 March 2024, present the accounts of the sums expended in the year compared with the sums specified in the schedules appended to the Appropriation Acts passed under Sections 29 and 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. The Finance Accounts of the Government for the year showing the financial position along with the accounts of the receipts and disbursements of the Government for the year are presented separately.

On the basis of the information and explanations that my officers required and have obtained and as a result of test audit of the accounts, in my opinion, the Appropriation Accounts read with the observations in this compilation present fairly the accounts of the sums expended in the year ended 31 March 2024 compared with the sums specified in the schedules appended to the Appropriation Acts passed by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi under Sections 29 and 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

Observations arising from audit of these accounts as well as audits conducted during the year or earlier years are contained in my Financial, Compliance and Performance Audit Reports on the Government of National Capital Territory of Delhi being presented separately for the year ended 31 March 2024.

Basis for Opinion

The conduct of audit is in accordance with the CAG's Auditing Standards. These Standards require that we plan and perform audits to obtain reasonable assurance that the accounts are free from material misstatement. An audit includes an examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the financial statements. The audit evidence that we have obtained provides a basis for my opinion.

Responsibilities for Preparation of the Initial and Subsidiary Accounts

The Government of the National Capital Territory of Delhi is responsible for obtaining authorisation of the budget from the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The Government of National Capital Territory of Delhi and those responsible for the execution of the budget such as Pay and Accounts Offices, offices and departments of the Government of National Capital Territory of Delhi are responsible for the preparation and correctness of the initial and subsidiary accounts as well as for ensuring the regularity of transactions in accordance with the applicable laws, standards, rules and regulations.

Also, they are responsible for rendering the initial and subsidiary accounts and information related thereto to the Controller of Accounts and Principal Secretary (Finance), both of the Government of National Capital Territory of Delhi for compilation and preparation of the Appropriation Accounts.

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत लेखा नियंत्रक और प्रधान सचिव (वित्त), सरकार के वार्षिक लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि :

वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल अनुदान और विनियोग ₹ 81,918.23 करोड़ के प्रति ₹ 15,327.36 करोड़ (18.71 प्रतिशत) की कुल बचत हुई। कुल बचत का ₹ 8,376.40 करोड़ (54.65 प्रतिशत) अभ्यर्पित करने में देरी के कारण 31 मार्च 2024 को व्यपगत हो गया।

'मामले का महत्व' खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांक: 4 MAR 2025
स्थान: नई दिल्ली

ह०

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

Responsibilities for Compilation of Annual Accounts

The Controller of Accounts and Principal Secretary (Finance), both functioning under the control of the Government of National Capital Territory of Delhi are responsible for the compilation and preparation of Annual Accounts of the Government.

Responsibilities for the Audit of the Annual Accounts

The audit of the Annual Accounts is conducted through the Office of the Accountant General (Audit) Delhi, in accordance with the requirements of Article 149 of the Constitution of India, Section 48 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 and the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 for expressing an opinion on these Accounts based on the results of such audit.

Emphasis of Matter

I want to draw attention to the following :

During 2023-24, there was an overall savings of ₹ 15,327.36 crore (18.71 *per cent*) against total grants and appropriations of ₹ 81,918.23 crore. Total ₹ 8,376.40 crore (54.65 *per cent*) out of overall savings lapsed on 31 March 2024 due to a delay in surrendering.

My opinion on the Appropriation Accounts is not modified due to the Emphasis of Matter section.

Sd/-

Date: 4 MAR 2025
Place: New Delhi

(K. SANJAY MURTHY)
Comptroller and Auditor General of India

अनुदान संख्या 1 – विधान सभा

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित—				
मूल	1,55,00)			
पूरक	2,00)	1,57,00	95,39	-61,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-37,50
स्वीकृत –				
मूल	60,20,50)			
पूरक	3,00)	60,23,50	30,52,80	-29,70,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-27,87,50
पूंजीगत				
स्वीकृत				
मूल	27,55,50)			
पूरक	1,00)	27,56,50	29,29	-27,27,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-27,22,00
टीका एवं टिप्पणियां				

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 61,61 लाख रुपये की कुल बचत थी (157.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एव 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 39.24 प्रतिशत थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 2970.70 लाख रुपये की कुल बचत थी (6023.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एव 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 49.32 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

विधान मण्डल

मुख्यशीर्ष "2011"

संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान

मू.	6020.50)			
पू.	3.00)			
पु.	-2787.50)	3236.00	3052.80	-183.20

GRANT NO. 1 – LEGISLATIVE ASSEMBLY

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	1,55,00)			
<u>Supplementary</u>	2,00)	1,57,00	95,39	-61,61
Amount surrendered during the year				-37,50
<u>Voted –</u>				
<u>Original</u>	60,20,50)			
<u>Supplementary</u>	3,00)	60,23,50	30,52,80	-29,70,70
Amount surrendered during the year				-27,87,50
CAPITAL				
<u>Voted –</u>				
<u>Original</u>	27,55,50)			
<u>Supplementary</u>	1,00)	27,56,50	29,29	-27,27,21
Amount surrendered during the year				-27,22,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹61.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹157.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) which constituted 39.24% of the total sanctioned appropriation.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹2970.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6023.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) which constituted 49.32% of the total sanctioned provision.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

		(In lakh of rupees)		
Legislative Assembly				
Major Head “2011”				
Parliament/State/Union				
Territory Legislatures				
O.	6020.50)			
S.	3.00)			
R.	-2787.50)	3236.00	3052.80	-183.20

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2011"**- संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान - राज्य/संघ क्षेत्र विधान - (क) विधान सभा - सदस्य - 1191.63 लाख रुपये की बचत (2431.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों, कम बिलों के प्राप्त होने एवं विदेश यात्राएं न होने के कारण हुई।

(ख) विधान मंडल सचिवालय - (i) दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केन्द्र - 855.23 लाख रुपये की बचत (1364.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों की बर्खास्तगी और उपकरणों की खरीद न होने के कारण हुई।

(ii) विधान मंडल सचिवालय - 886.34 लाख रुपये की बचत (2178.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति होने, यात्राओं के स्थगित होने, कम खरीद एवं समारोह व सेमिनारों की मंजूरी प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 2727.21 लाख रुपये की बचत थी (2756.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 98.94 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

विधान मण्डल

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं

पर पूँजी परिव्यय

मू.	2755.50)			
पू.	1.00)			
पु.	-2722.00)	34.50	29.29	-5.21

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - निर्देशन व प्रशासन - विधान मंडल सचिवालय - 2727.21 लाख रुपये की बचत (2756.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः मशीनों व उपकरणों की खरीद न होने, कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन रहने एवं फर्नीचर की खरीद न होने के कारण हुई।

Saving occurred more than ₹5.00 crore under the following Sub Heads: –

1. **Under Major Head “2011”– Parliament /State/ Union Territory Legislatures – State/Union Territory Legislature – (a) Legislative Assembly – Members -- Saving of ₹1191.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2431.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to less procurement, vacant posts, receipt of less bills & no foreign tours.**

(b) Legislative Secretariat – (i) Delhi Assembly Research Centre – Saving of ₹855.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1364.00 lakhs) was mainly due to termination of staff and non purchase of equipment.

(ii) Legislative Secretariat — Saving of ₹886.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2178.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills, postponement of tours, less procurement and non approval of function / seminars.

In the Voted portion of Capital Section of the grant, the overall saving of ₹2727.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2756.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) constituted 98.94% of the total sanctioned provision.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Legislative Assembly

Major Head “4070”

Capital Outlay on Other Administrative Services:

O.	2755.50)			
S.	1.00)			
R.	-2722.00)	34.50	29.29	-5.21

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head “4070” – Capital Outlay on Other Administrative Services – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – Legislative Secretariat – Saving of ₹2727.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2756.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non purchase of machinery & equipment, some proposals were under process and non procurement of furniture.**

अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित—				
मूल	29,45,00)			
पूरक	9,00)	29,54,00	21,33,69	-8,20,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-5,76,00
स्वीकृत —				
मूल	1151,79,50)			
पूरक	11,00)	1151,90,50	239,26,54	-912,63,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-879,75,50
पूँजीगत				
प्रभारित—				
मूल	2,76,00)			
पूरक	2,00)	2,78,00	1,60,63	-1,17,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-74,00
स्वीकृत				
मूल	14,31,50)			
पूरक	11,00)	14,42,50	3,86,02	-10,56,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-6,16,00
टीका एवं टिप्पणियां				
अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 820.31 लाख रूपये की कुल बचत थी (2954.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 9.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 27.77 प्रतिशत थी ।				
2.50 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।				
बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
				(लाख रूपयों में)
उप राज्यपाल सचिवालय				
मुख्यशीर्ष "2012"				
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक				
मू.	2390.00)			
पू.	8.00)			
पु.	-451.00)	1947.00	1754.70	-192.30

GRANT NO. 2 – GENERAL ADMINISTRATION

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
--	------------------------------------	-----------------------	--------------------------

(In thousand of rupees)

REVENUE

Charged –

<u>Original</u>	29,45,00)			
<u>Supplementary</u>	9,00)	29,54,00	21,33,69	-8,20,31

Amount surrendered during the year -5,76,00

Voted –

<u>Original</u>	1151,79,50)			
<u>Supplementary</u>	11,00)	1151,90,50	239,26,54	-912,63,96

Amount surrendered during the year -879,75,50

CAPITAL

Charged –

<u>Original</u>	2,76,00)			
<u>Supplementary</u>	2,00)	2,78,00	1,60,63	-1,17,37

Amount surrendered during the year -74,00

Voted -

<u>Original</u>	14,31,50)			
<u>Supplementary</u>	11,00)	14,42,50	3,86,02	-10,56,48

Amount surrendered during the year -6,16,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹820.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2954.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹9.00 lakhs) constituted 27.77% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹2.50 lakhs remained wholly un-utilised under one sub-head.

Savings/Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Lt. Governor's Secretariat

Major Head "2012"

President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories

<u>O.</u>	2390.00)			
<u>S.</u>	8.00)			
<u>R.</u>	- 451.00)	1947.00	1754.70	-192.30

1. **मुख्यशीर्ष "2012"** - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक - संघ प्रशासक - सचिवालय - 626.57 लाख रुपये की बचत (2268.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, देयताओं में कमी होने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, विदेश यात्रा न होने, सामग्री व आपूर्ति की कम खरीद होने और सरकारी/मनोनीत परिषदों से कम विधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 91263.96 लाख रुपये की कुल बचत थी (115190.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 11.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 79.23 प्रतिशत थी ।

42855.00 लाख रुपये की राशि 07 उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

1. **मुख्यशीर्ष "2055"**- पुलिस - दिल्ली पुलिस - दिल्ली पुलिस सेवा समिति को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान (निर्भया फंड) (सी.एस.एस)- 28444.00 लाख रुपये - नामकरण में परिवर्तन होने एवं भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "2220"**- सूचना एवं प्रसारण - अन्य - विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार - (i) मीडिया नेटवर्क के साथ सहयोग - 5500.00 लाख रुपये - बिलों के प्राप्त न होने के कारण।

(ii) सभी विभागों के लिए संवाद दल - 2200.00 लाख रुपये - बिलों के प्राप्त न होने के कारण।

(iii) दिल्ली शासन मॉडल को बाहर तक पहुँचाने का कार्यक्रम - 4500.00 लाख रुपये - बिलों के प्राप्त न होने के कारण।

(iv) महिला सुरक्षा पर मीडिया अभियान - 2200.00 लाख रुपये - बिलों के प्राप्त न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवायें

मू. 9213.00)

पू. 2.00)

पु. -1470.50)

7744.50

6843.41

-901.09

मुख्यशीर्ष "2055"

पुलिस

मू. 28444.00)

पू. 2.00)

पु. -24196.00)

4250.00

4250.00

0.00

1. **Under Major Head "2012"** – President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories – Governor/Administrator of Union Territories – Secretariat - Savings of ₹626.57 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹2268.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹6.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, decrease in liabilities, less receipt of bills / claims, no foreign travel / tours, less procurement of materials & supplies and receipt of less legal bills from Government / Nominated Councils.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹91263.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115190.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹11.00 lakhs) constituted 79.23% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹42855.00 lakhs remained wholly un-utilised under 07 sub-heads.

Savings/Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

1. **Under Major Head "2055"** – Police – Delhi Police – GIA to Delhi Police Service Society for implementation of Safe City Project for safety of women by Delhi Police (Nirbhaya Fund) (CSS) – ₹28444.00 lakhs -- due to change in nomenclature and non receipt of funds from Govt. of India.
2. **Under Major Head "2220"** – Information & Publicity – Others – Advertising and visual publicity – (i) Collaboration with Media Network – ₹5500.00 lakhs -- due to non receipt of bills.
 - (ii) Communication Teams for Every Department – ₹2200.00 lakhs -- due to non receipt of bills.
 - (iii) Delhi Model of Governance for outreach programme – ₹4500.00 lakhs -- due to non receipt of bills.
 - (iv) Media Campaign on Women Safety – ₹2200.00 lakhs -- due to non receipt of bills.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

General Administration Department

(In lakh of rupees)

Major Head "2052"

Secretariat General Services

O.	9213.00)			
S.	2.00)			
R.	-1470.50)	7744.50	6843.41	-901.09

Major Head "2055"

Police

O.	28444.00)			
S.	2.00)			
R.	-24196.00)	4250.00	4250.00	0.00

सूचना व प्रचार

मुख्यशीर्ष "2220"

सूचना व प्रचार

मू.	55686.00)			
पु.	-52475.00)	3211.00	3158.16	-52.84

दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी

चयन बोर्ड

मुख्यशीर्ष "2051"

लोक सेवा आयोग

मू.	12800.00)			
पु.	-8840.00)	3960.00	3522.69	-437.31

प्रशासनिक सुधार विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	2998.80)			
पू.	1.00)			
पु.	-910.80)	2089.00	1428.68	-660.32

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2052"**— सचिवालय सामान्य सेवाएं — सचिवालय — मुख्य सचिवालय — 1339.77 लाख रुपये की बचत (5916.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान, सहित की तुलना में) मुख्यतः कम व्यय, कम बिलों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण, रिक्त पदों, पदग्राहियों का स्थानांतरण, व्यक्तिगत दावों के प्राप्त न होने, कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न हो सकने, राजपत्र अधिसूचनाओं के संबंध में भारत सरकार की प्रेस से कम बिलों के प्राप्त होने एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के व्यावसायिक शुल्क बिलों का भुगतान अनुमोदन न मिलने के कारण संसाधित न कर सकने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "2220"**— सूचना एवं प्रसारण — (अ) चलचित्र — निर्देशन एवं प्रशासन — जन-संपर्क निदेशालय — 36072.12 लाख रुपये की बचत (39080.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, बिलों के प्राप्त न होने एवं कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
(ब) अन्य — विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार — पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी मुद्दों पर मीडिया अभियान — 2049.72 लाख रुपये की बचत (2200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "2051"**— लोक सेवा आयोग — कर्मचारी चयन आयोग — दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड — 9277.31 लाख रुपये की बचत (12800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम देनदारियों, प्रशासनिक कारणों से कम परीक्षाएं आयोजित होने, बिलों/दावों के बाद में प्राप्त होने के कारण कुछ भुगतान नहीं किया जा सका, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की सेवाओं के बंद करने, ओएआरएस पोर्टल के विकास का प्रस्ताव छोड़ देने, रिक्त पदों एवं विक्रेताओं द्वारा बिलों के जमा न करने के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "2052"**— सचिवालय सामान्य सेवाएं — सचिवालय — (i) मुख्यमंत्री शहरी नेतृत्व फेलो कार्यक्रम (एम.यू.एल.एफ.पी.) — 540.79 लाख रुपये की बचत (659.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सीएमआईएलएफ परियोजना/कार्यक्रम के बंद हो जाने के कारण हुई।

Information and Publicity**Major Head "2220"**

Information & Publicity

O. 55686.00)

R. -52475.00) 3211.00 3158.16 -52.84

Delhi Subordinate Services Selection Board**Major Head "2051"**

Public Service Commission

O. 12800.00)

R. -8840.00) 3960.00 3522.69 -437.31

Administrative Reforms Department**Major Head "2052"**

Secretariat - General Services

O. 2998.80)

S. 1.00)

R. -910.80) 2089.00 1428.68 -660.32

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2052"**- Secretariat General Services -- Secretariat – Chief Secretariat - Savings of ₹1339.77 lakhs (against the Sanctioned provision of ₹5916.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to less expenditure, receipt of less bills, less training, vacant posts, transfer of staff, non receipt of personal claims, some proposals could not be finalized, less bills received from Government of India, Press in respect of Gazette Notification and payment of professional fee bills of Sr. Advocates could not be processed due to non receipt of approval.
2. **Under Major Head "2220"**– Information & Publicity – (A) Films – Direction and Administration – Public Relation Directorate -- Savings of ₹36072.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39080.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, non receipt of bills and less claim received.

(B) Others – Advertising and Visual Publicity – Media Campaign on Environment and Pollution Related Issues -- Savings of ₹2049.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was mainly due to non receipt of bills.
3. **Under Major Head "2051"**– Public Service Commission – Staff Selection Commission – Staff Selection Board for Delhi Government – Savings of ₹9277.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12800.00 lakhs) was mainly due to less liabilities, less exams conducted due to administrative reasons, some payments could not be made as bills/claims received at later stage, services of Civil Defence Volunteers discontinued, proposal for development of OARS portal dropped, vacant posts and due to non submission of bills by vendor.
4. **Under Major Head "2052"**– Secretariat General Services – Secretariat – (i) Chief Minister Urban Leadership Fellow Programme (MULFP) – Savings of ₹540.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹659.00 lakhs) was mainly due to CMILF project/programme has been closed.

(ii) सार्वजनिक सेवाओं का द्वार पर वितरण – 526.61 लाख रुपये की बचत (1225.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एनआईसीएसआई द्वारा बिलों के प्रस्तुत न करने, नए सीआरएम सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए आरएफपी को अंतिम रूप न दे सकने, एनआईसीएसआई के माध्यम से वरिष्ठ एवं कनिष्ठ परामर्शदाताओं की नियुक्ति न कर सकने एवं पुराने सॉफ्टवेयर के रखरखाव का भुगतान लंबित रहने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1789.07 लाख रुपये की बचत 5 उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गयी थी :

1. **मुख्यशीर्ष "2055"**– पुलिस – दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस सेवा समिति को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता अनुदान (निर्भया फंड) (सी.एस.एस) – 4248.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः गृह-मंत्रालय, भारत सरकार से किश्त प्राप्त होने के कारण हुआ।

अनुदान के प्रभारित अंश के स्वीकृत अंश में 117.37 लाख रुपये की कुल बचत थी (278.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 42.22 प्रतिशत थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 1056.48 लाख रुपये की कुल बचत थी (1442.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 11.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 73.24 प्रतिशत थी।

40.00 लाख रुपये की राशि 2 उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

सेवा विभाग

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवा

पर पूंजी परिव्यय

मू. 605.00)

पु. -521.00)

84.00

27.92

-56.08

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – निर्देशन एवं प्रशासन – सेवा विभाग – 577.08 लाख रुपये की बचत (605.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) Door Step Delivery of Public Services – Savings of ₹526.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1225.00 lakhs) was mainly due to non submission of bills by NICS, RFP for maintenance of new CRM software could not be finalized, Senior & junior consultant could not be engaged through NICS and maintenance of old software payment was pending.

Further, saving of ₹1789.07 lakhs remained under five sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-head:

1. **Under Major Head “2055”**– Police – Delhi Police – GIA to Delhi Police Service Society for implementation of Safe City Project for safety of women by Delhi Police (Nirbhaya Fund) (CSS) – Excess of ₹4248.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to installment received from Ministry of Home Affairs, Govt. of India.

In the **Charged portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹117.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹278.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) constituted 42.22% of the total sanctioned appropriation.

In the **Voted portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹1056.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1442.50 lakhs inclusive of the supplementary provision of ₹11.00 lakhs) constituted 73.24% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹40.00 lakhs remained wholly un-utilised under two sub-heads.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Services Department

Major Head “4070”

Capital Outlay on Other Administrative Services:

O.	605.00)			
R.	-521.00)	84.00	27.92	-56.08

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head “4070”** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – Services Department – Saving of ₹577.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹605.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills and less procurement.

अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
--	------------------------------	------------------	--------------------------

(हजार रुपयों में)

राजस्व

प्रभारित

मूल	544,51,30)			
पूरक	16,56)	544,67,86	486,13,77	-58,54,09

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -38,10,10

स्वीकृत –

मूल	1870,90,00)			
पूरक	142,92,33)	2013,82,33	1629,37,25	-384,45,08

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -13,50

पूँजीगत

प्रभारित

पूरक	33,34,50)	33,34,50	21,29,64	-12,04,86
------	-----------	----------	----------	-----------

स्वीकृत –

मूल	165,78,70)			
पूरक	30,00)	166,08,70	6,65,99	-159,42,71

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 120,51,39

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 5854.09 लाख रुपये की बचत थी (54467.86 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 16.56 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 10.75 प्रतिशत थी ।

101.00 लाख रुपये की राशि 2 उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

दिल्ली उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "2014"

न्याय प्रशासन

मू.	54351.30)			
पू.	14.00)	50553.10	48610.21	-1942.89
पु.	3812.20)	50553.10	48610.21	-1942.89

GRANT NO. 3 – ADMINISTRATION OF JUSTICE

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
Original	<u>544,51,30)</u>			
Supplementary	<u>16,56)</u>	<u>544,67,86</u>	<u>486,13,77</u>	<u>-58,54,09</u>
Amount surrendered during the year				<u>-38,10,10</u>
Voted -				
Original	1870,90,00)			
Supplementary	142,92,33)	2013,82,33	1629,37,25	-384,45,08
Amount surrendered during the year				-13,50
CAPITAL				
<u>Charged –</u>				
Supplementary	<u>33,34,50)</u>	<u>33,34,50</u>	<u>21,29,64</u>	<u>-12,04,86</u>
Voted -				
Original	165,78,70)			
Supplementary	30,00)	166,08,70	6,65,99	-159,42,71
Amount surrendered during the year				120,51,39

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹5854.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54467.86 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹16.56 lakhs) constituted 10.75% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹101.00 lakhs remained wholly un-utilised under two sub-head.

Savings/Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)				
Delhi High Court				
Major Head “2014”				
Administration of Justice				
O.	<u>54351.30)</u>			
S.	<u>14.00)</u>			
R.	<u>3812.20)</u>	<u>50553.10</u>	<u>48610.21</u>	<u>-1942.89</u>

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** - न्याय प्रशासन - उच्च न्यायालय - निर्देशन एवं प्रशासन - 5485.58 लाख रुपये की बचत (53461.25 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 12.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, रिक्त पदों के न भरने, अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के लिए कम धनराशि का उपयोग, कम बिल/दावों की प्राप्ति और विभिन्न मदों के लिए कम धनराशि का उपयोग करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 269.51 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 38445.08 लाख रुपये की बचत थी (201382.33 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 14292.33 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 19.09 प्रतिशत थी।

260.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मुख्यशीर्ष "2014"

मध्य जिला न्यायालय

न्याय प्रशासन

मू.	53832.50)			
पू.	4280.32)			
पु.	-8453.38)	49659.44	41327.39	-8332.05

पश्चिमी जिला न्यायालय

न्याय प्रशासन

मू.	10045.00)			
पू.	621.73)			
पु.	2762.77)	13429.50	9745.72	-3683.78

नई दिल्ली जिला न्यायालय

न्याय प्रशासन

मू.	12702.00)			
पू.	1086.70)			
पु.	-2182.20)	11606.50	8327.28	-3279.22

दक्षिणी जिला न्यायालय

न्याय प्रशासन

मू.	9516.00)			
पू.	5482.00)			
पु.	947.20)	15945.20	11326.92	-4618.28

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head “2014” – Administration of Justice – High Court – Direction and Administration – Savings of ₹5485.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹53461.25 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹12.00 lakhs) was mainly due to less procurement, non filling of vacant posts, less funds utilized on account of payment of bonus to non gazetted staff, receipt of less bills / claim and less funds utilized on account of various items.**

Further, saving of ₹269.51 lakhs remained under one sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹38445.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹201382.33 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹14292.33 lakhs) constituted 19.09% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹260.00 lakhs remained wholly un-utilised under one sub-head.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Major Head “2014”			
Central District Court			
Administration of Justice			
O. 53832.50)			
S. 4280.32)			
R. -8453.38)	49659.44	41327.39	-8332.05
West District Court			
Administration of Justice			
O. 10045.00)			
S. 621.73)			
R. 2762.77)	13429.50	9745.72	-3683.78
New Delhi District Court			
Administration of Justice			
O. 12702.00)			
S. 1086.70)			
R. -2182.20)	11606.50	8327.28	-3279.22
South District Court			
Administration of Justice			
O. 9516.00)			
S. 5482.00)			
R. 947.20)	15945.20	11326.92	-4618.28

शाहदरा जिला न्यायालय
न्याय प्रशासन

मू.	5399.00)			
पू.	594.14)			
पु.	1841.86)	7835.00	6552.33	-1282.67

दक्षिणी पश्चिमी जिला न्यायालय
न्याय प्रशासन

मू.	13806.00)			
पू.	904.61)			
पु.	368.39)	15079.00	12401.96	-2677.04

विधि विभाग
न्याय प्रशासन

मू.	10315.00)			
पू.	26.30)			
पु.	982.51)	11323.81	9539.66	-1784.15

मुख्यशीर्ष "2235"
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	15465.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1156.28)	14309.72	11308.24	-3001.48

मुख्यशीर्ष "2015"
चुनाव कार्यालय

मू.	11270.00)			
पू.	8.00)			
पु.	-2879.00)	8399.00	7446.27	-952.73

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"**— न्याय प्रशासन — (क) सिविल एवं सत्र न्यायालय — (i) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय — मध्य जिला — 15880.73 लाख रुपये की बचत (56995.77 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4280.32 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, कम देनदारियां, प्रशासनिक अनुमोदन के अभाव में स्टेनोग्राफरों के बकाए और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के बकाया का भुगतान न होने, विधि शोधकर्ता की नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन न मिलने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम और विक्रेताओं से कुछ बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय — पश्चिमी जिला — 872.42 लाख रुपये की बचत (10417.33 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 621.73 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के बकाया भत्ते सक्षम प्राधिकारी से कम वित्तीय अनुमोदन प्राप्त होने के कारण जारी नहीं किए जा सके तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

Shahdara District Court			
Administration of Justice			
O.	5399.00)		
S.	594.14)		
R.	1841.86)	7835.00	6552.33
			-1282.67
South West District Court			
Administration of Justice			
O.	13806.00)		
S.	904.61)		
R.	368.39)	15079.00	12401.96
			-2677.04
Law Department			
Administration of Justice			
O.	10315.00)		
S.	26.30)		
R.	982.51)	11323.81	9539.66
			-1784.15
Major Head "2235"			
Social Security & Welfare			
O.	15465.00)		
S.	1.00)		
R.	-1156.28)	14309.72	11308.24
			-3001.48
Major Head "2015"			
Election Office			
Elections			
O.	11270.00)		
S.	8.00)		
R.	-2879.00)	8399.00	7446.27
			-952.73

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2014"** – Administration of Justice – (a) Civil and Session Courts – (i) Principal District and Session Judges - Central District – Saving of ₹15880.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56995.77 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4280.32 lakhs) was mainly due to less procurement, less liabilities, nonpayment of arrears of stenographers & arrear of second National Judicial Pay Commission for want of Administrative approval, sanction not received in respect of appointment of Law Researcher, receipt of less claims/bills, less training programme and some bills not received from the vendors.

(ii) Principal District and Session Judges – West District – Saving of ₹872.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10417.33 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹621.73 lakhs) was mainly due to less receipt of financial approval of Competent Authority, allowances arrears of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) could not be released and less receipt of claims/bills.

(iii) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – नई दिल्ली जिला – 4865.73 लाख रुपये की बचत (12293.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1086.70 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, विधि शोधकर्ता के अनुमोदन प्राप्त न होने, प्रत्याशित बिल प्राप्त नहीं होने, द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) भत्ते जारी करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने, सेमिनारों का आयोजन नहीं होने तथा सुरक्षा सेवाओं और हाउसकीपिंग कर्मचारियों के प्रत्याशित बिल विभिन्न कारणों से प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iv) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – दक्षिणी जिला – 3488.40 लाख रुपये की बचत (14163.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5482.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के अनुसार बकाया राशि के वितरण के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होने, कर्मचारियों को बकाया राशि जारी न करने, रिक्त पदों व विक्रेताओं और कर्मचारियों से कम दावे/बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(v) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – दक्षिणी पश्चिमी जिला – 2080.55 लाख रुपये की बचत (13899.43 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 904.61 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कुछ न्यायिक अधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सकने, द्वारका न्यायालय के अंतर्गत वाणिज्यिक कोर्ट के विधि शोधकर्ताओं को भुगतान करने हेतु वित्तीय अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त न हो सकने तथा प्रत्याशित दावे/बिल प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) फौजदारी अदालतें – (i) न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें – मध्य जिला – 904.70 लाख रुपये की बचत (1117.05 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद, कम देनदारियों, प्रत्याशित बिलों की प्राप्ति न होने, विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कम व्यय तथा अन्य लेखा शीर्षों से पारित विधि सॉफ्टवेयर से संबंधित भुगतान करने के कारण हुई।

(ii) न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अदालतें – नई दिल्ली जिला – 595.69 लाख रुपये की बचत (1495.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों और कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

2. मुख्यशीर्ष "2014" – न्याय प्रशासन – दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण – 938.25 लाख रुपये की बचत (3344.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 17.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम देनदारियों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम खरीद, वांछित संख्या में पीएलवी की नियुक्ति नहीं होने, कम संख्या में आकस्मिक बिलों को अंतिम रूप दिए जाने, कुछ निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा विज्ञापन कार्यों पर व्यय एनएलएएए से वहन किए जाने के कारण हुई।

3. मुख्यशीर्ष "2235" – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – (अ) पुनर्वास – अन्य व्यय – अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजा – 2459.63 लाख रुपये की बचत (10466.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान राशि की चौथी किस्त 15.44 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होने के कारण पीड़ित मुआवजा राशि बैंक द्वारा जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

ब) सामाजिक कल्याण – अन्य कार्यक्रम – मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना – 1698.13 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने तथा ग्रुप टर्म इंश्योरेंस व ग्रुप मेडी क्लेम इंश्योरेंस योजना, इन दोनों योजनाओं के लिए पात्र पाए गए अधिवक्ताओं की कम संख्या होने के कारण हुई।

(iii) Principal District and Session Judges – New Delhi District – Saving of ₹4865.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12293.20 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1086.70 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims / bills, sanction of Law Researcher not received, anticipated bills not received, administrative sanction for release of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) allowances not received, non conduction of seminars and anticipated bills of security services & housekeeping staff not received due to various reasons.

(iv) Principal District and Session Judges – South District – Saving of ₹3488.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14163.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹5482.00 lakhs) was mainly due to non receipt of Administrative approval regarding disbursement of arrears as per recommendations of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC), non release of arrears of staff, vacant posts and receipt of less claim/bills from vendors & staff.

(v) Principal District and Session Judges –South West District – Saving of ₹2080.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13899.43 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹904.61 lakhs) was mainly due to arrears of Second National Judicial Pay Commission (SNJPC) could not be disbursed to some of the Judicial Officers, financial approval / sanction for making payment of Law Researchers for commercial courts of Dwarka courts could not received and anticipated claims/bills not received.

(b) Criminal Courts — (i) Judicial Magistrates Court – Central District – Saving of ₹904.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1117.05 lakhs) was mainly due to vacant posts, less procurement, less liabilities, anticipated bills not received, less expenditure on Foreign Training Programme and payment pertaining to Law Software passed from other Head of Accounts.

(ii) Judicial Magistrates Court - New Delhi District – saving of ₹595.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1495.50 lakhs) was mainly due to vacant posts and receipt of less claims.

2. **Under Major Head “2014” – Administration of Justice – Delhi Legal Services Authority – Saving of ₹938.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3344.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹17.00 lakhs) was mainly due to less liabilities, receipt of less bills/claims, less procurement, desired number of PLVs could not be appointed, less number of contingent bills finalized, some tender could not be finalized and expenditure on advertisement work met out of NALSA.**

3. **Under Major Head “2235” – Social Security & Welfare – (A) Rehabilitation – Other Expenditure – Compensation for crime victims – Saving of ₹2459.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10466.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to 4th installment of Grant-in-Aid of Rs.15.44 Crores was received at the fag end of financial year and victim compensation fund could not be cleared by bank.**

(B) Social Welfare – Other Programmes – Chief Ministry Advocate Welfare Scheme – Saving of ₹1698.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills and less number of advocates found eligible for both the Group Term Insurance & Group Medi claim Insurance Schemes.

4. **मुख्यशीर्ष "2015"**— चुनाव – राज्य संघ शासित क्षेत्र विधान मंडल के लिए चुनाव कराने पर प्रभार – 3184.22 लाख रुपये की बचत (4022.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, मेसर्स शब्दार्थ से प्रचार-प्रसार के संबंध में बिल प्राप्त नहीं होने तथा विभिन्न प्रपत्रों के मुद्रण पर कम व्यय करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 3100.41 लाख रुपये की बचत नौ उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2014"**— न्याय प्रशासन – सिविल एवं सत्र न्यायालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय – शाहदरा जिला – 562.60 लाख रुपये का अधिक व्यय (5728.14 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 594.14 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि एवं एसएनजेपीसी के कारण, विधि शोधकर्ताओं के भुगतान, नई अदालतों के निर्माण होने, अधिक खरीद, अधिक बिलों की प्राप्ति और वाहनों को किराये पर लेने के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "2014"**— न्याय प्रशासन – विधि सलाहकार और अधिवक्ता – कानूनी सहायता निधि को सहायता अनुदान – 1475.56 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान राशि जारी होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 495.09 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में कुल 1204.86 लाख रुपये की बचत थी (3334.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 36.13 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

दिल्ली उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

पु.	<u>3093.00</u>	<u>3093.00</u>	<u>2090.89</u>	<u>-1002.11</u>
-----	----------------	----------------	----------------	-----------------

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**— अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – निर्देशन एवं प्रशासन – उच्च न्यायालय – 1002.11 लाख रुपये की बचत (3093.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वाहनों की कम खरीद और विभिन्न मदों में कम धनराशि का उपयोग करने के कारण हुई।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 15942.71 लाख रुपये की बचत थी (16608.70 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 30.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 95.99 प्रतिशत थी ।

4. **Under Major Head “2015”** – Elections – Charges for conduct of Elections to State / Union Territory Legislature – Saving of ₹3184.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4022.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, less procurement, receipt of less bills/claims, bills in respect of publicity were not received from M/s Shabdarth and less expenditure on printing of various forms.

Further, saving of ₹3100.41 lakhs remained under nine sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off –set by excess under the following sub-heads:

1. **Under Major Head “2014”** – Administration of Justice – Civil and Session Courts – Principal District and Session Judges – Shahdara District – Excess of ₹562.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5728.14 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹594.14 lakhs) was mainly due to increase in strength of staff and SNJPC, payment of law researchers, creation of new courts, more procurement, receipt of more bills and hiring of vehicles.
2. **Under Major Head “2014”** – Administration of Justice – Legal Advisors and Counsels – Grant –in- Aid to Legal Aid Fund – Excess of ₹1475.56 lakhs (against the supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more GIA.

Further, excess of ₹495.09 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Charged portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹1204.86 lakhs (against the supplementary provision of ₹3334.50 lakhs) constituted 36.13% of the total sanctioned appropriation.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Delhi High Court
Major Head “4070”
 Capital Outlay on Other
 Administrative Services :

S.	<u>3093.00</u>)	<u>3093.00</u>	<u>2090.89</u>	<u>-1002.11</u>
----	------------------	----------------	----------------	-----------------

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head “4070”** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – High Court – Savings of ₹1002.11 lakhs (against the supplementary provision of ₹3093.00 lakhs) was mainly due to less purchase of vehicles and less funds utilized on account of various items.

In the **Voted portion of Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹15942.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16608.70 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹30.00 lakhs) constituted 95.99% of the total sanctioned provision.

5358.20 लाख रुपये की राशि आठ उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**— अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय — निर्देशन एवं प्रशासन — उच्च न्यायालय — 2344.20 लाख रुपये — मुख्यतः पूँजीगत शीर्ष में रखे गए प्रावधान के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "4059"**— सार्वजनिक कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय — कार्यालय भवन — निर्माण — न्यायपालिका के बुनियादी ढांचों के लिए सुविधा (सी.एस.एस) — 3000.00 रुपये — मुख्यतः भारत सरकार से धन राशि प्राप्त न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

मध्य जिला न्यायालय

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

मू.	10146.50)			
पू.	1.00)			
पु.	-7009.94)	3137.56	80.46	3057.10

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**— अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय — निर्देशन एवं प्रशासन — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष — मध्य जिला — 10067.04 लाख रुपये की बचत (10147.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन होने, मशीनरी और उपकरणों की खरीद न होने, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खरीदे गए 6 इलेक्ट्रिक वाहनों का भुगतान न होने, 31 वाहनों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से कोई स्वीकृति न मिलने, राउज एवेन्यू न्यायालय के कम्प्यूटरीकरण के लिए मर्दों की खरीद के संबंध में वर्ष के अंत में अनुमोदन प्राप्त होने और कम्प्यूटर हार्डवेयर की खरीद के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 440.99 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

An amount of ₹5358.20 lakhs remained wholly un-utilised under eight sub-heads. This includes the following sub-heads:-

1. **Under Major Head “4070”** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – High Court – ₹2344.20 lakhs – due to provision kept in Capital Head.
2. **Under Major Head “4059”** – Capital Outlay on Public Works – Office Buildings – Constructions – Infrastructural Facility for Judiciary (CSS) – ₹3000.00 – due to non receipt of funds from Govt. of India.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Central District Court

Major Head “4070”

Capital Outlay on Other Administrative Services :

O.	10146.50)			
S.	1.00)			
R.	-7009.94)	3137.56	80.46	3057.10

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head: –

1. **Under Major Head “4070”** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – Principal District & Session Judges – Central District – Savings of ₹10067.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10147.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to some proposals were under process, non procurement of machinery & equipment, non payment of 06 Electric Vehicles purchased during FY 2023-24 & no sanction received from the Govt. of NCT of Delhi in respect of 31 numbers of vehicles, sanction in respect of items for computerization of Rouse Avenue Courts received at the fag end of the year and administrative approval & expenditure sanction was not received from the Govt. of NCT of Delhi in respect of purchase of computers hardware.

Further, saving of ₹440.99 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 4 – वित्त

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
--	------------------------------	------------------	--------------------------

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित

पूरक	11.00)	11.00	..	-11.00
------	--------	-------	----	--------

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1.00
------------------------------	--	--	--	------

स्वीकृत –

मूल	384,63,17)			
पूरक	18,16)	384,81,33	248,00,36	-136,80,97

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-94,79,73
------------------------------	--	--	--	-----------

पूँजीगत

स्वीकृत –

मूल	573,92,83)			
पूरक	15,25)	574,08,08	34,79,98	-539,28,10

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				528,57,68
------------------------------	--	--	--	-----------

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 11.00 लाख रूपये की बचत थी (11.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 100.00 प्रतिशत थी ।

11.00 लाख रूपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल 13680.97 लाख रूपये की बचत थी (38481.33 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 18.16 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 35.55 प्रतिशत थी ।

336.05 लाख रूपये की राशि आठ उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(लाख रूपयों में)

प्रधान लेखा कार्यालय

मुख्यशीर्ष "2054"

राजकोष एवं लेखा प्रशासन

मू.	6113.00)			
पू.	1.00)	5812.00	5462.55	-349.45
पु.	-302.00)	5812.00	5462.55	-349.45

GRANT NO. 4 – FINANCE

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
--	------------------------------------	-----------------------	--------------------------

(In thousand of rupees)

REVENUE**Charged**

Supplementary	<u>11,00)</u>	<u>11,00</u>	..	<u>-11,00</u>
----------------------	---------------	--------------	----	---------------

Amount surrendered during the year				<u>1,00</u>
------------------------------------	--	--	--	-------------

Voted

Original	384,63,17)			
Supplementary	18,16)	384,81,33	248,00,36	-136,80,97

Amount surrendered during the year				-94,79,73
------------------------------------	--	--	--	-----------

CAPITAL**Voted**

Original	573,92,83)			
Supplementary	15,25)	574,08,08	34,79,98	-539,28,10

Amount surrendered during the year				528,57,68
------------------------------------	--	--	--	-----------

Notes and Comments

In the **Charged portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹11.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹11.00 lakhs) which constituted 100.00% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹11.00 lakhs remained wholly un-utilised under one sub-head.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹13680.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38481.33 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹18.16 lakhs) which constituted 35.55% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹336.05 lakhs remained wholly un-utilised under eight sub-heads.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Principal Accounts Office**Major Head “2054”**

Treasury and Accounts Administration

O. 6113.00)

S. 1.00)

R. -302.00)	5812.00	5462.55	-349.45
-------------	---------	---------	---------

आंतरिक लेखा परीक्षण निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2054"

राजकोष एवं लेखा प्रशासन

मू.	3541.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-871.50)	2672.50	2379.52	-292.98

योजना तथा मूल्यांकन निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	1072.00)			
पु.	-800.80)	271.20	188.24	-82.96

मुख्यशीर्ष "3451"

सचिवालय आर्थिक सेवाएं

मू.	2709.67)			
पू.	2.16)			
पु.	-1324.68)	1387.15	1282.22	-104.93

अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी

मुख्यशीर्ष "3454"

जनगणना सर्वेक्षण व ऑकड़े

मू.	1524.50)			
पू.	1.00)			
पु.	-528.75)	996.75	923.35	-73.40

उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन कर विभाग

मुख्यशीर्ष "2039"

राज्य उत्पाद शुल्क

मू.	8390.80)			
पु.	-3792.00)	4598.80	3513.61	-1085.19

व्यापार एवं कर विभाग

मुख्यशीर्ष "2043"

राज्य माल और सेवा कर

के तहत संग्रह प्रभार

मू.	11363.60)			
पू.	3.00)			
पु.	-1434.10)	9932.50	8124.01	-1808.49

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "2054" - राजकोष एवं लेखा प्रशासन - लेखा तथा राजकोष निदेशालय - लेखा निदेशालय - 784.38 लाख रुपये की बचत (5689.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, कम खरीद, कम बिलों की प्राप्ति, लघु सिविल व विद्युत संबंधी कार्य तथा कम मरम्मत व रख-रखाव के कारण हुई।

Directorate of Internal Audit**Major Head "2054"**

Treasury and Accounts Administration

O. 3541.00)

S. 3.00)

R. -871.50) 2672.50 2379.52 -292.98

Directorate of Planning and Evaluation**Major Head "2052"**

Secretariat General Services

O. 1072.00)

R. -800.80)

271.20 188.24 -82.96

Major Head "3451"

Secretariat - Economic Services

O. 2709.67)

S. 2.16)

R. -1324.68) 1387.15 1282.22 -104.93

Economics & Statistics**Major Head "3454"**

Census Surveys and Statistics

O. 1524.50)

S. 1.00)

R. -528.75) 996.75 923.35 -73.40

Excise and Entertainment**Tax Department****Major Head "2039"**

State Excise

O. 8390.80)

R. -3792.00)

4598.80 3513.61 -1085.19

Department of Trade & Taxes**Major Head "2043"**

Collection Charges under State

Goods & Services Tax

O. 11363.60)

S. 3.00)

R. -1434.10) 9932.50 8124.01 -1808.49

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2054"** – Treasury and Accounts Administration – Directorate of Accounts and Treasuries – Directorate of Accounts – Saving of ₹784.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5689.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹ 1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, less training programme, less procurement, receipt of less bills, minor civil & electric works and less repairs & maintenance.

2. **मुख्यशीर्ष "2054"**— राजकोष एवं लेखा प्रशासन – स्थानीय निधि लेखा परीक्षा – आंतरिक लेखा परीक्षण निदेशालय – 1164.48 लाख रुपये की बचत (3544.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम ईंधन बिल, सिर्फ 9 महीने के लिए डाटा एंट्री ओपरेटरों को आउटसोर्स करना तथा विभाग द्वारा कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – दिल्ली संवाद व विकास आयोग – 881.76 लाख रुपये की बचत (1070.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम खरीद और रिक्त पदों के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "3451"** – सचिवालय – आर्थिक सेवाएं – जिला योजना मशीनरी – कार्यान्वयन आधारित नीति निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़ा डाटा एवं अन्य मशीनरी एवं उपकरण गतिविधियों हेतु कार्यक्रम – 995.38 लाख रुपये की बचत (1001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "3454"**— जनगणना, सर्वेक्षण व आँकड़े – सर्वेक्षण एवं आँकड़े – आर्थिक सलाह और सांख्यिकी – अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय – 502.59 लाख रुपये की बचत (1421.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः बिलों की प्राप्ति न होने, रिक्त पदों, कम दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम और कम खरीद के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "2039"**— राज्य उत्पाद शुल्क – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – जिला कार्यकारी स्थापना – 3433.01 लाख रुपये की बचत (6262.85 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मुद्रण एवं प्रकाशन, बिलों की प्राप्ति न होना, रिक्त पदों, टीसीएस के लंबित बिल, ई-आबकारी पोर्टल से संबंधित प्रस्तावों का परिपक्व न होना तथा कुछ न्यायालयीन मामलों के लंबित होने से भुगतान जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ख) शराब एवं स्पिरिट की खरीद – विभागीय कमीशन दुकानें – 1055.91 लाख रुपये की बचत (1445.40 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम मरम्मत एवं रख-रखाव, कुछ प्रशासनिक कारणों से कुछ वस्तुओं की खरीद नहीं की जा सकी तथा सरकारी वकीलों के कुछ दावों पर अंतिम निर्णय नहीं दिए जा सकने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2043"**— राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह प्रभार – संग्रह प्रभार – 2497.66 लाख रुपये की बचत (9659.60 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम खरीद, कम संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होना, विभिन्न मदों के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकने तथा कुछ सीए एजेंसियों का भुगतान लंबित रहने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 776.95 लाख रुपये की बचत दो उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 53928.10 लाख रुपये की बचत थी (57408.08 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15.25 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 93.94 प्रतिशत थी।

2. **Under Major Head “2054”** – Treasury and Accounts Administration – Local Fund Audit – Directorate of Internal Audit – Saving of ₹1164.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3544.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹ 3.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, less fuel bills, Data Entry Operators outsourced for 9 months only and less training programme conducted by the department.
3. **Under Major Head “2052”** – Secretariat General Services – Secretariat – Dialogue & Development Commission of Delhi – Saving of ₹ 881.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1070.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills / claims, less procurement and vacant posts.
4. **Under Major Head “3451”** – Secretariat – Economic Services – District Planning Machinery – Programme for Evidence Based Policy Making Artificial Intelligence Big Data and Other M and E Activities – Saving of ₹995.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹ 1.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills.
5. **Under Major Head “3454”** – Census, Surveys and Statistics – Surveys and Statistics – Economic Advice And Statistics – Directorate of Economics and Statistics – Saving of ₹502.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1421.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹ 1.00 lakhs) was mainly due to non receipt of bills, vacant posts, less claims received, less training programme and less procurement.
6. **Under Major Head “2039”** – State Excise – (a) Direction & Administration – District Executive Establishment – Saving of ₹ 3433.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6262.85 Lakhs) was mainly due to less printing & publication, non receipt of bills, vacant posts, pending bills of TCS, non maturing of proposals related to e-Abkari portal and due to pending of some court cases, payment could not be released.

(b) Purchase of Liquor and Spirits – Departmental Commission Shops – Saving of ₹ 1055.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1445.40 Lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills, less repairs & maintenance, purchase of some items could not be made due to some administrative reasons and some claims of the government counsels could not be finalized.
7. **Under Major Head “2043”** – Collecton Charges under State Goods & Services Tax – Collection Charges – Saving of ₹ 2497.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9659.60 Lakhs lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, less procurement, receipt of less number of medical claim, administrative approval & expenditure sanction could not be obtained in respects of various items and payment of some CA agencies were pending.

Further, saving of ₹776.95 lakhs remained under two sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, there was overall saving of ₹53928.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57408.08 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹15.25 lakhs) which constituted 93.94% of the total sanctioned provision.

52551.00 लाख रुपये की राशि चार उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उप-शीर्ष शामिल हैं:-

1. **मुख्यशीर्ष "5475"**- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - सांख्यिकी - योजना भवन का निर्माण - 2501.00 लाख रुपये - मुख्यतः प्रशासनिक कारणों से योजना को अंतिम रूप नहीं दिये जाने और कार्य पूरा नहीं होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "7615"**- अन्य ऋण - स्थानीय निकायों को उपाय और साधने के लिए ऋण - 50000.00 लाख रुपये - मुख्यतः ऋण एवं अग्रिम धनराशि जारी नहीं होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(लाख रूपयों में)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मुख्यशीर्ष "5475"

अन्य सामान्य आर्थिक सेवा
पर पूँजी परिव्यय

मू. 1010.00)

पु. -760.00)

250.00

234.52

-15.48

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

1. **मुख्यशीर्ष "5475"**- अन्य सामान्य आर्थिक सेवा पर पूँजी परिव्यय - निर्देशन एवं प्रशासन -ई-गवर्नेंस परियोजना - 765.48 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 383.43 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

An amount of ₹52551.00 lakhs remained wholly unutilised under four sub-heads. This includes the following sub heads:-

1. **Under Major Head “5475”** – Capital Outlay on Other General Economic Services – Statistics – Construction of Yojana Bhawan – ₹2501.00 lakhs – due to administrative reasons scheme not finalized and non completion of work.
2. **Under Major Head “7615”** – Miscellaneous Loans – Ways & Means Loan to Autonomous/Local Bodies – ₹50000.00 lakhs – due to non release of loan & advances.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Information Technology Department

Major Head “5475”

Capital Outlay on Other
General Economic Services

O. 1010.00)

R. -760.00)

250.00

234.52

-15.48

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head “5475”** – Capital Outlay on Other General Economic Services – Direction & Administration – E-Governance Project – Saving of ₹ 765.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to proposal not finalised.

Further, saving of ₹383.43 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 5 – गृह

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
--	------------------------------	------------------	--------------------------

(हजार रूपयों में)

राजस्व

प्रभारित –

मूल	65,00)				
पूरक	1,35,00)	2,00,00	75,41	-1,24,59	

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि कुछ नहीं

स्वीकृत –

मूल	1074,54,70)				
पूरक	22,18,80)	1096,73,50	935,45,66	-161,27,84	

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -51,60,50

पूँजीगत

स्वीकृत –

मूल	272,96,30)				
पूरक	8,50)	273,04,80	108,00,73	-165,04,07	

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -128,98,80

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 124.59 लाख रुपये की कुल बचत थी (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 135.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 62.29 प्रतिशत थी ।

15.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 16127.84 लाख रुपये की कुल बचत थी (109673.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2218.80 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 14.70 प्रतिशत थी ।

201.00 लाख रुपये की राशि तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(लाख रूपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "2056"

जेल

मू.	57360.00)				
पू.	2212.80)	50125.00	44162.81	-5962.19	
पु.	-9447.80)				

GRANT NO. 5 – HOME

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	65,00)			
<u>Supplementary</u>	1,35,00)	2,00,00	75,41	-1,24,59
Amount surrendered during the year				<u>Nil</u>
Voted				
Original	1074,54,70)			
Supplementary	22,18,80)	1096,73,50	935,45,66	-161,27,84
Amount surrendered during the year				-51,60,50
CAPITAL				
Voted -				
Original	272,96,30)			
Supplementary	8,50)	273,04,80	108,00,73	-165,04,07
Amount surrendered during the year				-128,98,80

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, there was over all saving of ₹124.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹135.00 lakhs) which constituted of 62.29% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹15.00 lakhs remained wholly unutilised under one sub-head.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹16127.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹109673.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2218.80 lakhs) which constituted 14.70% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹201.00 lakhs remained wholly unutilised under three sub-heads.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

		(In lakh of rupees)		
Central Jail				
Major Head “2056”				
Jails				
O.	57360.00)			
S.	2212.80)			
R.	-9447.80)	50125.00	44162.81	-5962.19

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य

मू.	8162.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-601.00)	7562.00	6191.23	-1370.77

नागरिक सुरक्षा तथा**होम गार्ड****मुख्यशीर्ष "2070"**

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	4024.50)			
पु.	-888.00)	3136.50	2147.74	-988.76

दिल्ली अग्निशमन सेवा**मुख्यशीर्ष "2070"**

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	30018.50)			
पू.	4.00)			
पु.	6630.00)	36652.50	34639.33	-2013.17

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला**मुख्यशीर्ष "2055"**

पुलिस

मू.	7889.70)			
पू.	1.00)			
पु.	-853.70)	7037.00	6404.55	-632.45

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "2056"**- जेल - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - जेल स्थापना - 12139.61 लाख रुपये की बचत (55372.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2212.80 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने और 1.28 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि के आबंटन की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त न होने के कारण हुई।
(ख) जेल उत्पादन - 3070.38 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निविदा पर अंतिम स्वीकृति न होने, खिन्न विभाग की सहमति न मिलने तथा कुछ प्रस्तावों पर प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से तकनीकी स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।
- मुख्य शीर्ष "2210"**- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी - चिकित्सालय एवं औषधालय - केन्द्रीय जेल अस्पताल - 1971.77 लाख रुपये की बचत (8163.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों, निविदा को अंतिम रूप न देने और जनवरी 2024 के महीने में केन्द्रीय जेल, तिहाड़, मंडोली और रोहिणी में तैनात फार्मासिस्टों/फार्मसी अधिकारियों का अधिक संख्या में स्थानांतरण/तैनाती के कारण धन का उपयोग नहीं कर सकने के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "2070"**- अन्य प्रशासनिक सेवाएं - नागरिक सुरक्षा - नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड - 1876.76 लाख रुपये की बचत (4024.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को हटाया जाना, कम खरीद, कम बिल/दावों की प्राप्ति, कर्मचारियों का स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, कम दौरे, नए होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती न होना, एमएसीपी प्रक्रिया पूरी न होना और कम अधिकारिक दौरे आयोजित किए जाने के कारण हुई।

Major Head "2210"

Medical and Public Health

O. 8162.00)

S. 1.00)

R. -601.00)

7562.00

6191.23

-1370.77

Civil Defence & Home Guard**Major Head "2070"**

Other Administrative Services:

O. 4024.50)

R. -888.00)

3136.50

2147.74

-988.76

Delhi Fire Services**Major Head "2070"**

Other Administrative Services

O. 30018.50)

S. 4.00)

R. 6630.00)

36652.50

34639.33

-2013.17

Forensic Science Laboratory**Major Head "2055"**

Police

O. 7889.70)

S. 1.00)

R. -853.70)

7037.00

6404.55

-632.45

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

- Under Major Head "2056" – Jails – (a) Direction & Administration – Jail Establishment – Saving of ₹12139.61 lakh (against the sanctioned provision of ₹55372.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2212.80 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, less training programme, non finalization of tender and approval of award of compensation amounting to Rs. 1.28 cr. was not received from Finance Department.**

(b) Jail Manufacture – Saving of ₹ 3070.38 lakh (against the sanctioned provision of ₹ 4000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of tender, non receipt of concurrence of Finance Department & technical clearance from I.T. Department, Govt. of NCT of Delhi on some proposals.
- Under Major Head "2210" – Medical and Public Health – Urban Health Services - Allopathy – Hospital and Dispensaries – Central Jail Hospital – Saving of ₹1971.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8163.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, less claims, non finalization of tender and bulk transfer/posting of the Pharmacists/Pharmacy Officers posted in Central Jail, Tihar, Mandoli & Rohini in the month of January 2024, hence funds could not be utilized.**
- Under Major Head "2070" – Other Administrative Services – Civil Defence – Civil Defence and Home Guards – Saving of ₹ 1876.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4024.50 lakhs) was mainly due to vacant posts, Civil Defense volunteers removed, less procurement, receipt of less bills/claims, transfer/retirement of staff, less training programme, less visits, non recruitment of new Home Guard Volunteers, MACP process not completed and less official tours conducted.**

4. **मुख्यशीर्ष "2055"**— पुलिस — अपराध विज्ञान — अपराध विज्ञान प्रयोगशाला — 1485.15 लाख रुपये की बचत (7559.70 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम, दौरा कार्यक्रमों के अंतिम रूप से तय न हो सकने, प्रयोगशाला रिपोर्टों को स्थानांतरित करने के प्रस्तावों का तय नहीं हो सकने और कुछ प्रस्तावों/निविदाओं को प्रत्याशा के अनुसार मूर्त रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गयी थी :

1. **मुख्यशीर्ष "2070"**— अन्य प्रशासनिक सेवायें — अग्नि बचाव एवं नियंत्रण — बचाव एवं नियंत्रण — 4832.64 लाख रुपये का अधिक व्यय (28981.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने व एफओ/एलएफ के बकाया वेतन का भुगतान करने, दौरों में वृद्धि, मदों की संख्या और उनकी लागत में वृद्धि, सीए को शुल्क का भुगतान तथा अधिक मरम्मत व रख-रखाव के कारण हुई।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 16504.07 लाख रुपये की बचत थी (27304.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 8.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 60.44 प्रतिशत थी ।

20.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहीं।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(लाख रूपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजी परिव्यय

मू.	3570.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-1930.00)	1642.00	755.75	-886.25

दिल्ली अग्निशमन सेवायें

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	20822.00)			
पू.	1.50)			
पु.	-10931.00)	9892.50	8264.87	-1627.63

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

मुख्यशीर्ष "4055"

पुलिस पर पूंजी परिव्यय

मू.	2804.30)			
पू.	2.00)			
पु.	-48.30)	2758.00	1695.59	-1062.41

4. **Under Major Head “2055” – Police – Forensic Science – Forensic Science Laboratory – Saving of ₹ 1485.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7559.70 lakhs inclusive of Supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to less procurement, receipt of less bills/claims, less training programme, tour programme could not be finalized, proposals for transferring lab reports could not be finalized and some proposals / tenders could not be materialised as per anticipation.**

The above savings were partly off-set by excess under the following sub-head:

1. **Under Major Head “2070” – Other Administrative Services – Fire Protection and Control – Protection and Control – Excess of ₹ 4832.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 28981.00 lakhs inclusive of Supplementary provision of ₹4.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts/payment of arrear of salaries of FO/LF, increased tours, increase in number of items and its cost, payment of fee to CA and more repairs & maintenance.**

In the **Voted portion of the Capital section** of the grant, there was overall saving of ₹16504.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27304.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹8.50 lakhs) which constituted 60.44% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹20.00 lakhs remained wholly unutilised under one sub-head.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Central Jail

Major Head “4070”

Capital Outlay on Other
Administrative Services

O.	3570.00)			
S.	2.00)			
R.	-1930.00)	1642.00	755.75	-886.25

Delhi Fire Services

Major Head “4070”

Capital Outlay on Other
Administrative Services

O.	20822.00)			
S.	1.50)			
R.	-10931.00)	9892.50	8264.87	-1627.63

Forensic Science Laboratory

Major Head “4055”

Capital Outlay on Police

O.	2804.30)			
S.	2.00)			
R.	-48.30)	2758.00	1695.59	-1062.41

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई:-

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - निर्देशन एवं प्रशासन - (i) केन्द्रीय कारागार - 1207.44 लाख रुपये की बचत (1272.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा कुछ प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी से समय पर सहमति न मिलने से धनराशि का उपयोग नहीं कर सकने के कारण हुई।
(ii) अन्य व्यय - केन्द्रीय कारागार - 1608.81 लाख रुपये की बचत (2300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा कुछ प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारी से समय पर सहमति न मिलने से धनराशि का उपयोग नहीं कर सकने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "4070"**- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - निर्देशन एवं प्रशासन - दिल्ली अग्नि शमन सेवाएं - 12558.63 लाख रुपये की बचत (20823.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कुछ निविदाएं प्रक्रियाधीन होने, कुछ मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद न होने, कुछ आईटी वस्तुओं की खरीद न हो सकने तथा कुछ प्रस्तावों पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन नहीं मिलने के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "4055"**- पुलिस पर पूँजी परिव्यय - निर्देशन एवं प्रशासन - अपराध विज्ञान प्रयोगशाला - 738.61 लाख रुपये की बचत (781.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः नई प्रयोगशाला की स्थापना को अंतिम रूप नहीं दे सकने, अन्य अचल संपत्तियों की खरीद नहीं होने और आईटी उपकरणों, फर्नीचर व फिक्सचर की खरीद के लिए कुछ निविदा प्रस्तावों को मूर्त रूप न दे सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 352.10 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head “4070” – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – (i) Central Jail – Saving of ₹1207.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1272.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to non finalization of proposals and non receipt of timely concurrences from the Competent Authority on some proposals thus funds could not be utilized.**

(ii) Other Expenditure – Central Jail – Saving of ₹1608.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was mainly due to non finalization of tenders, non receipt of timely concurrences from the Competent Authority on some proposals thus funds could not be utilized.
2. **Under Major Head “4070” – Capital Outlay on Other Administrative Services – Direction and Administration – Delhi Fire Services – Saving of ₹12558.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20823.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.50 lakhs) was mainly due to receipt of less bills, some tenders were under process, non procurement of some machinery & equipment, some IT items could not be procured and approval of Competent Authority not received on some proposals.**
3. **Under Major Head “4055” – Capital Outlay on Police – Direction and Administration – Forensic Science Laboratory – Saving of ₹738.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹781.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to set up of new lab could not be finalized, non purchase of other fixed assets and some tender proposals for procurement of IT equipment and furniture & fixtures could not be materialized.**

Further, saving of ₹352.10 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 6 – शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित—				
मूल	52,00)			
पूरक	4,63,00)	5,15,00	82,31	-4,32,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-1,16
स्वीकृत –				
मूल	15400,18,00)			
पूरक	1,03,42)	15401,21,42	14101,20,42	-1300,01,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-343,67,57
पूंजीगत				
स्वीकृत –				
मूल	521,76,00)			
पूरक	6,00)	521,82,00	82,77,89	-439,04,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-348,06,19
टीका एवं टिप्पणियां				

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 432.69 लाख रूपये की कुल बचत थी (515.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 463.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 84.02 प्रतिशत थी।

4.00 लाख रूपये की राशि तीन उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहीं।

इसके अतिरिक्त, 427.53 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 130001.00 लाख रूपये की कुल बचत थी (1540121.42 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 103.42 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 8.44 प्रतिशत थी।

46825.00 लाख रूपये की राशि 92 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा – (अ) माध्यमिक शिक्षा –(क) निरीक्षण – दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान – 3000.00 लाख रूपये – सहायता अनुदान कम जारी होने और प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन रहने के कारण ।

GRANT NO. 6 – EDUCATION

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	<u>52,00)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>4,63,00)</u>	<u>5,15,00</u>	<u>82,31</u>	<u>-4,32,69</u>
Amount surrendered during the year				<u>-1,16</u>
<u>Voted -</u>				
<u>Original</u>	<u>15400,18,00)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>1,03,42)</u>	<u>15401,21,42</u>	<u>14101,20,42</u>	<u>-1300,01,00</u>
Amount surrendered during the year				<u>-343,67,57</u>
CAPITAL				
<u>Voted -</u>				
<u>Original</u>	<u>521,76,00)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>6,00)</u>	<u>521,82,00</u>	<u>82,77,89</u>	<u>-439,04,11</u>
Amount surrendered during the year				<u>-348,06,19</u>

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹432.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹515.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹463.00 lakhs) constituted 84.02% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilised under three sub-heads.

Further, saving of ₹427.53 lakhs was under one sub head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹130001.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1540121.42 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹103.42 lakhs) constituted 8.44% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹46825.00 lakhs remained wholly unutilised under ninety-two sub-heads. This includes the following sub-heads: –

- Under Major Head “2202” – General Education – (A) Secondary Education – (a) Inspection – Grant in Aid to Delhi Board of School Education – ₹3000.00 lakh – due to release of less Grant in aid and proposals were under process.**

(ख) शिक्षक और अन्य सेवाएं – शिक्षक नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना – 500.00 लाख रुपये – कम बिलों के प्राप्त होने और शिक्षकों की नवीन गतिविधियों के कम होने के कारण ।

(ग) राजकीय माध्यमिक विद्यालय – (i) स्कूल स्वास्थ्य योजना और बहुउद्देशीय छात्र पहचान पत्र – 500.00 लाख रुपये – कम बिलों के प्राप्त होने और कम खरीद के कारण ।

(ii) छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान (मान्यता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र) – 1000.00 लाख रुपये – सहायता अनुदान कम जारी होने के कारण ।

(iii) उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रचार गतिविधियाँ – 3000.00 लाख रुपये – कम गतिविधियों के कारण ।

(iv) इनक्यूबेशन बिजनेस ब्लास्टर टीमों के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान – 500.00 लाख रुपये – योजना के क्रियान्वित न हो सकने व योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप न देने के कारण ।

(v) देश के मेंटर के लिए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डी.सी.पी.सी.आर.) को सहायता अनुदान – 500.00 लाख रुपये – योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप न देने के कारण योजना को वर्ष 2023-24 के दौरान क्रियान्वित न कर सकने के कारण ।

(घ) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा – शिक्षक शिक्षा (सी.एस.एस) – 800.00 लाख रुपये – भारत सरकार से सहायता अनुदान जारी न होने के कारण ।

(ii) समग्र शिक्षा – शिक्षक शिक्षा (राज्य अंश) – 500.00 लाख रुपये – केन्द्रीय हिस्से के संदर्भ में आनुपातिक राज्य हिस्सा रखे जाने के कारण ।

(iii) समग्र शिक्षा माध्यमिक शिक्षा (टॉप अप) – 1300.00 लाख रुपये – सहायता अनुदान कम जारी होने के कारण ।

(ब) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – निर्देशन एवं प्रशासन – अभिभावक कार्यशालाओं के आयोजन के लिए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डी.सी.पी.सी.आर.) को सहायता अनुदान – 500.00 लाख रुपये – सहायता अनुदान जारी करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण ।

(स) सामान्य – निर्देशन एवं प्रशासन – बोली जाने वाली अंग्रेजी कौशल और संचार क्षमता के विकास के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था – 600.00 लाख रुपये – कम बिल प्राप्त होने और कम खरीद के कारण ।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"**– खेल एवं युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – स्कूलों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा – 500.00 लाख रुपये – कम बिल प्राप्त होने, कम खरीद होने और विभिन्न प्रस्तावों पर प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण ।

3. **मुख्यशीर्ष "2230"**– श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास – प्रशिक्षण – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान – (i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सी.एस.एस) – 2150.00 लाख रुपये – भारत सरकार से कम धनराशि जारी होने, योजना के बंद होने तथा कुछ प्रतिबद्ध देनदारियों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् जारी करने के कारण ।

(ii) दिल्ली कौशल विकास योजना – 7500.00 लाख रुपये – बिलों की प्राप्ति न होने के कारण ।

4. **मुख्यशीर्ष "2205"**– कला एवं संस्कृति – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – राष्ट्रीय नायकों के प्रेरक जीवन पर अभियान – 1000.00 लाख रुपये – राष्ट्रीय नायकों के प्रेरक जीवन पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण ।

- (b) Teachers and Other Services – Promotion of Teachers Innovation Activities – ₹500.00 lakh – due to receipt of less bills and less teachers innovation activities.
- (c) Govt. Secondary Schools – (i) School Health Scheme and issue of Multi-pupose Students I-cards – ₹ 500.00 lakh – due to receipt of less bills and less procurement.
- (ii) GIA to Entrepreneurship Development Programme For Students (Recognized Private Aided and Unaided School Students) – ₹ 1000.00 lakh – due to release of less Grant in aid.
- (iii) Entrepreneurship Development Programme Promotional Activities – ₹ 3000.00 lakh – due to less activities.
- (iv) GIA to DSEU for Incubation of Business Blaster Teams – ₹ 500.00 lakh – due to scheme could not be implemented & scheme modalities were not finalized.
- (v) GIA to DCPCR for Desh Ke Mentor – ₹ 500.00 lakh – due to modalities not finalized, hence scheme could not be implemented during 2023-24.
- (d) Samagra Shiksha – (i) Samagra Shiksha - Teachers Education (CSS) – ₹ 800.00 lakh – due to non release of Grant from Government of India.
- (ii) Samagra Shiksha - Teachers Education (State Share) – ₹ 500.00 lakh – due to proportionate State Share kept in reference to Central Share.
- (iii) Samagra Shiksha Secondary Education (Top Up) – ₹ 1300.00 lakh – due to release of less Grant in aid.
- (B) University and Higher Education – Direction & Administration – Grant in Aid to DCPCR For Organizing Parent Workshops – ₹ 500.00 lakh – due to approval not received from Finance Department for release of Grant-in Aid.
- (C) General –Direction & Administration – Conduct of Special Classes for development of spoken English Skills & Communicative Competence – ₹600.00 lakh – due to receipt of less bills and less procurement.
2. **Under Major Head “2204”** – Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme For Students –Self Defense For Girls Students in Schools – ₹500.00 lakh – due to receipt of less bills, less procurement and non receipt of administrative approval on various proposals.
3. **Under Major Head “2230”** – Labour, Employment and Skill Development – Training – Industrial Training Institute – (i) Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (CSS) – ₹2150.00 lakhs – due to release of less funds from Government of India, closure of scheme and some committed liabilities will be cleared after due approval of Competent Authority.
- (ii) Delhi Skill Development Scheme – ₹7500.00 lakhs – due to non receipt of bills.
4. **Under Major Head “2205”** – Art and Culture – (a) Direction & Administration – Campaign on the inspiring life of National Heroes – ₹1000.00 lakhs – due to no proposal received on the inspiring life of national heroes and release of less Grant in aid.

(ख) कला व संस्कृति का विकास – (i) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल – गली थियेटर एवं प्रदर्शन कलाएं – 500.00 लाख रुपये – वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी कार्यक्रम/गतिविधियों का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने के कारण।

(ii) भारत के त्यौहार – 500.00 लाख रुपये – डीटीसी बिल के भुगतान का प्रावधान किया गया था, लेकिन अमल में नहीं लाए जा सकने के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "2205"**– कला एवं संस्कृति – अभिलेखागार – डिजिटलीकरण और माइक्रो अभिलेखों का फिल्मांकन और अभिलेखीय रिकॉर्ड का संरक्षण – 500.00 लाख रुपये – निविदा स्वीकृत न होने और दिल्ली अभिलेखागार के अभिलेखीय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण एवं माइक्रोफिल्मिंग की परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी के बिलों में कमी पाई जाने से भुगतान नहीं किए जा सकने के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "2202"**– सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट को दिल्ली उच्च और तकनीकी शिक्षा आश्वासन योजना के लिए सहायता अनुदान – 500.00 लाख रुपये – कार्य प्रगति पर होने और वित्तीय वर्ष के अंत में योजना का नाम बदलकर 'दिल्ली उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सहायता ट्रस्ट' कर दिए जाने से सहायता अनुदान का उपयोग न कर सकने के कारण।

(ख) विश्वविद्यालयों को सहायता – (i) खेल विश्वविद्यालय के लिए सहायता अनुदान – 10000.00 लाख रुपये – नव स्थापित विश्वविद्यालय होने के कारण दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का शुरू न होना, क्योंकि परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में थी और कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण।

(ii) स्पोकन इंग्लिश के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान – 1000.00 लाख रुपये – कम सहायता अनुदान जारी किए जाने और डीएसईयू से निधि जारी करने के लिए कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

शिक्षा निदेशालय
मुख्यशीर्ष "2202"
सामान्य शिक्षा

मू.	1356107.15)			
पू.	63.00)			
पु.	12538.85)	1368709.00	1297709.62	-70999.38

मुख्यशीर्ष "2204"
खेल एवं युवा सेवायें

मू.	11901.85)			
पू.	8.92)			
पु.	-1321.12)	10589.65	9590.27	-999.38

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2203"
तकनीकी शिक्षा

मू.	52147.10)			
पू.	8.25)			
पु.	-14362.08)	37793.27	28750.53	-9042.74

- (b) Promotion of Art & Culture – (i) New Initiative for Promotion of Cultural Activities – Street Theatre and Performing Arts – ₹500.00 lakhs – due to no proposal for programme/activities was under consideration during financial year.
- (ii) Festival of India – ₹500.00 lakhs – due to provision for payment to DTC Bill was made but could not be materialised.
5. **Under Major Head “2205”** – Art and Culture – Archives – Digitalization & Micro Filming of Records and Conservation of Archival Reports – ₹500.00 lakhs – due to non approval of tender and deficiency found in the bills of implementing Agency of the project of Digitization & Microfilming of Archival Records of Delhi Archives, thus payment could not be made.
6. **Under Major Head “2202”** – General Education – University and Higher Education – (a) Direction & Administration – Grant in Aid to Delhi Higher Education Aid Trust for Delhi Higher and Technical Education support Scheme – ₹5000.00 lakh – due to work was under process and rename of scheme name as 'Delhi Higher & Technical Education Aid Trust' at the fag end of financial year, hence, Grant-In-Aid could not be utilized.
- (b) Assistance to Universities – (i) Grant in Aid to Sports Universities – ₹10000.00 lakh – due to newly established university, non starting of 'Delhi Sports University' as the project was at initial stage and non completion of some Codal formalities.
- (ii) Grant in Aid to DSEU for Spoken English Programme – ₹1000.00 lakhs – due to release of less Grant in aid and no request/proposal for release of fund received from DSEU.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

				(In lakh of rupees)
Directorate of Education				
Major Head “2202”				
General Education				
O.	1356107.15)			
S.	63.00)			
R.	12538.85)	1368709.00	1297709.62	-70999.38
 Major Head “2204”				
Sports and Youth Services				
O.	11901.85)			
S.	8.92)			
R.	-1321.12)	10589.65	9590.27	-999.38
 Directorate of Training & Technical Education				
Major Head “2203”				
Technical Education				
O.	52147.10)			
S.	8.25)			
R.	-14362.08)	37793.27	28750.53	-9042.74

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम एवं रोजगार व कौशल विकास

मू.	27236.90)			
पू.	5.15)			
पु.	-9961.63)	17280.42	12816.55	-4463.87

भाषा विभाग**मुख्यशीर्ष "2205"**

कला एवं संस्कृति

मू.	12636.00)			
पू.	7.00)			
पु.	-4725.00)	7918.00	4931.29	-2986.71

उच्च शिक्षा निदेशालय**मुख्यशीर्ष "2202"**

सामान्य शिक्षा

मू.	72630.00)			
पू.	4.00)			
पु.	-16670.65)	55963.35	49952.38	-6010.97

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा — (अ) प्रारंभिक शिक्षा — (क) राजकीय प्राथमिक विद्यालय — (i) वर्तमान सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान — 3358.32 लाख रुपये की बचत (33502.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद, कम मुद्रण कार्य, कम बिलों की प्राप्ति, कर्मचारियों द्वारा एलटीसी का लाभ नहीं उठाए जाने, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के एमएसीपी/स्टेपिंग अप मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर आपत्ति के कारण बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।
(ii) प्रसन्नता पाठ्यक्रम एवं उद्यमिता गतिविधियाँ — 829.62 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, कम बिलों की प्राप्ति और इस योजना के तहत कुछ गतिविधियों के संचालन नहीं किए जाने के कारण हुई।
(ख) स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम — (i) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) (सी.एस.एस) — 21454.59 लाख रुपये की बचत (28949.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान सहायता प्राप्त होने, केन्द्रांश और तदनुसूचित अनिवार्य राज्यांश की कम राशि जारी होने के कारण हुई।
(ii) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) (राज्य अंश) — 9474.73 लाख रुपये की बचत (16597.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः केन्द्रीय अंश की राशि कम जारी होने से आनुपातिक अनिवार्य राज्यांश कम जारी होने के कारण हुई।
(iii) समग्र शिक्षा (राज्य अंश) — 1118.66 लाख रुपये की बचत (17301.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण हुई।

Major Head "2230"Labour, Employment and
Skill Development

O. 27236.90)

S. 5.15)

R. -9961.63)

17280.42

12816.55

-4463.87

Language Department**Major Head "2205"**

Art and Culture

O. 12636.00)

S. 7.00)

R. -4725.00)

7918.00

4931.29

-2986.71

Directorate of Higher Education**Major Head "2202"**

General Education

O. 72630.00)

S. 4.00)

R. -16670.65)

55963.35

49952.38

-6010.97

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

1. **Under Major Head "2202" – General Education – (A) Elementary Education – (a) Govt. Primary School – (i) Provision of pre-primary/primary classes in existing Government Schools – Saving of ₹3358.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33502.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, less procurement, less printing work, receipt of less bills and LTC was not availed by the Staff, non finalization of MACP/Stepping up cases of teachers & other staff and non-clearance of bills on account of objection observed at various levels of processing.**
 - (ii) Happiness Curriculum & Entrepreneurship Activities – Saving of ₹829.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to less procurement, receipt of less bills and some activities not conducted under this scheme.
 - (b) National programme of mid day meal in School – (i) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) (CSS) – Saving of ₹21454.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28949.00 lakhs) was mainly due to less grant in aid received from Government of India, less release of Centre Share and corresponding mandatory State Share.
 - (ii) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) (State Share) – Saving of ₹9474.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16597.00 lakhs) was mainly due to proportionate State Share of Centre Share, less release of Centre Share and corresponding mandatory State Share.
 - (iii) Samagra Shiksha (State Share) – Saving of ₹1118.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17301.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of less funds from Government of India.

(iv) समग्र शिक्षा (सीएसएस) – 13470.68 लाख रुपये की बचत (25001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से सहायता अनुदान की दूसरी एवं बाद की किस्तें प्राप्त न होने के कारण हुई।

(v) समग्र शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा (टॉप अप) – 2398.11 लाख रुपये की बचत (16501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कैबिनेट की स्वीकृति न देने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) (सी.एस.एस) (एस.सी.एस.पी) – 3329.58 लाख रुपये की बचत (4206.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः केन्द्रीय अंश के कम जारी किए जाने के कारण आनुपातिक अनिवार्य राज्यांश कम जारी होने के कारण हुई।

(ii) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम.पोषण) (राज्य अंश) (एस.सी.एस.पी) – 2406.74 लाख रुपये की बचत (3448.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः केन्द्रीय अंश के कम जारी किए जाने के कारण आनुपातिक अनिवार्य राज्यांश कम जारी होने के कारण हुई।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) भवन का रखरखाव – विद्यालय कल्याण समिति (वीकेएस/एसएमसी) – 516.66 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लघु सिविल व विद्युत कार्यों के होने एवं स्कूलों द्वारा वास्तविक आवश्यकतानुसार धनराशि का कम उपयोग लघु मरम्मत कार्यों व अन्य छोटे-मोटे एसएमसी के अंतर्गत खर्चों को करने के कारण हुई।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण – एस.सी.ई.आर.टी. को सहायता अनुदान – 3885.58 लाख रुपये की बचत (12501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, पिछले वर्ष की अव्ययतीत राशि शेष रहने एवं एससीईआरटी की आय इस वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा समायोजित करने के कारण हुई।

(ग) पाठ्य पुस्तकें – पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति – 1565.44 लाख रुपये की बचत (12500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रशासनिक कारणों की वजह से डीबीटीबी बिलों का भुगतान अंतिम रूप से नहीं कर सकने के कारण हुई।

(घ) राजकीय माध्यमिक विद्यालय – (i) बारहवीं कक्षा में कम्प्यूटर विज्ञान का परिचय – 3870.53 लाख रुपये की बचत (10801.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रशासनिक कारणों से शिक्षा निदेशालय के शिक्षकों द्वारा खरीदे गए टैबलेट की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) युवा योजना – 2317.17 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने, कम मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य होने एवं स्थानीय दौरों में छात्रों की कम भागीदारी होने के कारण हुई।

(iii) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा – 1013.35 लाख रुपये की बचत (880.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम होने, अन्य कर्मचारियों व शिक्षकों के एमएसीपी/स्टेपिंग अप मामलों को अंतिम रूप से स्वीकृत न होने एवं प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर आपत्तियों के कारण बिलों का निपटारा न होने एवं रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

- (iv) Samagra Shiksha (CSS) – Saving of ₹13470.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non receipt of 2nd and subsequent installment of Grant in aid from Govt. of India.
- (v) Samagra Shiksha Elementary Education (TOP UP) – Saving of ₹2398.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to cabinet approval not granted for creation of capital assets.
- (c) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) (CSS) (SCSP) – Saving of ₹3329.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4206.00 lakhs) was mainly due to less release of Centre Share and corresponding mandatory State Share.
- (ii) Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM-POSHAN) (State Share) (SCSP)– Saving of ₹2406.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3448.00 lakhs) was mainly due to less release of Centre Share and corresponding mandatory State Share.
- (B) Secondary Education – (a) Maintenance of Building – Vidhalaya Kalyan Samiti (VKS/SMC) – Saving of ₹516.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was mainly due to less minor civil & electric works, less utilization of funds by the schools as expenditure made as per requirement of funds for minor repair work & other petty expenditure under SMC.
- (b) Teachers training – Grant-in-aid to SCERT – Saving of ₹3885.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and unspent balance of previous year and income of SCERT adjusted by Finance Department in this financial year.
- (c) Text Books – Free Supply of Text Books – Saving of ₹1565.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was mainly due to administrative reasons payment of DBT bills could not be finalized.
- (d) Govt. Secondary Schools – (i) Introduction of Computer Science at +2 Stage – Saving of ₹3870.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10801.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to permission for reimbursement of tablets purchased by teachers of Directorate of Education has not been received due to administrative reason.
- (ii) Scheme of YUVA – Saving of ₹2317.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills, less printing & publication work and less number of student participation in local tour.
- (iii) Vocational Education in Schools – Saving of ₹1013.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹880.50 lakhs) was mainly due to receipt of less bills/claims, less training programme, non finalization of MACP/Stepping up cases of teachers & other staff, non-clearance of bills on account objection observed at various levels of processing and non filling up of vacant post.

(iv) सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन – 2880.95 लाख रुपये की बचत (6500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम कार्यक्रम आयोजित होने एवं ग्रीष्मकालीन शिविरों में विधार्थियों की कम उपस्थिति के कारण हुई।

(v) छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (स्कूली छात्र) – 1445.49 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम कार्यक्रम आयोजित होने एवं प्रतिभागियों की कम संख्या के कारण हुई।

(vi) विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालयों को सहायता अनुदान – 4500.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान कम जारी होने के कारण हुई।

(vii) आर.पी.वी.वी. एवं एस.ओ.एस.ई. में विदेशी भाषा – 1905.94 लाख रुपये की बचत (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः योजना के अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित न होने, आउटसोर्स शिक्षकों के 40 रिक्त पदों पर मात्र 27 शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने तथा कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुछ शिक्षकों के त्यागपत्र देने के कारण हुई।

(ड.) गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – (i) कर्मचारियों के वेतन हेतु सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता – 1235.81 लाख रुपये की बचत (75000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा वेतन और भत्ते के लिए जमा की गई राशि का 5 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता शीर्षक के अंतर्गत माइनस डेबिट के रूप में जमा किए जाने के कारण हुई।

(ii) मुख्यमंत्री अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों की कोचिंग योजना – छात्रों की कोचिंग हेतु निजी संस्थानों को भुगतान – 555.69 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने और वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुई।

(च) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा (सी.एस.एस) – 7015.79 लाख रुपये की बचत (9001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने और भारत सरकार से सहायता अनुदान की दूसरी और बाद की किस्त प्राप्त न होने के कारण हुई।

(छ) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण (एस.सी.एस.पी.) – 676.27 लाख रुपये की बचत (2200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने, कम खरीद होने और प्रशासनिक कारणों से डीबीटी बिलों से संबंधित भुगतान को अंतिम रूप नहीं दिए जा सकने के कारण हुई।

(स) सामान्य – निर्देशन एवं प्रशासन – 615.54 लाख रुपये की बचत (3700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होने, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के एमएसीपी/स्टेपिंग अप मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर लेखा आपत्तियों के कारण बिलों का निपटारा न होने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"** – खेल एवं युवा सेवाएं – खेल व क्रीड़ा – खेलकूद एवं क्रीड़ा गति-विधियों को प्रोत्साहन – 1962.96 लाख रुपये की बचत (5655.35 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद, ईंधन व लुबरीकेन्ट के कम खपत होने, मरम्मत व रख-रखाव नहीं होने, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के एमएसीपी/स्टेपिंग अप मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर आपत्तियों के कारण बिलों का निपटारा न होने और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iv) Organisation of Summer Camps in Government Schools – Saving of ₹2880.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills, less programme organized and less attendance of students during Summer Camp.

(v) Entrepreneurship Development Programme for Students (Schools Students) – Saving of ₹1445.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due less programme organized and less number of participants.

(vi) Grant in Aid to School of Specialised Excellence – Saving of ₹4500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid.

(vii) Introduction of Foreign Languages in RPVVs & SOSEs – Saving of ₹1905.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to scheme not yet completely implemented, only 27 teachers joined out of 40 vacancies of outsourced teachers and some of the teachers resigned early after joining.

(e) Assistance to Non Govt. Secondary Schools – (i) Assistance to Govt. aided schools for salaries of Employees – Saving of ₹1235.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75000.00 lakhs) was mainly due to 5% share towards pay & allowances deposit by Managing Committee of the Govt. Aided School as minus debit under the head Assistance to Govt. Aided Schools for Salaries of Employees.

(ii) Chief Minister Super Talented Children Coaching Scheme – Payment of Private Institute for Coaching of Students – Saving of ₹555.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills and bills not raised by the company upto closing of the financial year.

(f) Samagra Shiksha – Samagra Shiksha (CSS) – Saving of ₹7015.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and non receipt of 2nd and subsequent installment of Grant in aid from Govt. of India.

(g) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Free Supply of Text Books (SCSP) – Saving of ₹676.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills and less procurement and due to administrative reasons payment related to DBT bills could not be finalized.

(C) General – Direction & Administration – Saving of ₹615.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills/claims, no training programme, non finalization of MACP/Stepping up cases of teachers & other staff, non-clearance of bills on account objection observed at various levels of processing and non filling up of vacant post.

2. **Under Major Head “2204” – Sports and Youth Services – Sports and Games – Promotion of Sports and Games Activities – Saving of ₹1962.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5655.35 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills, less procurement, decrease in consumption of fuel & lubricants, no repair and maintenance works, non finalization of MACP/Stepping up cases of teachers & other staff, non-clearance of bills on account of objection observed at various levels of processing and non filling up of vacant post.**

3. **मुख्यशीर्ष "2203"**— तकनीकी शिक्षा – (क) तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता – (i) नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान को सहायता अनुदान – 1218.51 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान शुद्ध घाटे के आधार पर प्राप्त होता है अतः व्यय प्राप्त सहायता अनुदान से और विश्वविद्यालय द्वारा उत्पन्न आय/प्राप्तियों से करने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय – 18447.00 लाख रुपये की बचत (29000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, विश्वविद्यालय के पास सहायता अनुदान-पूँजी में बचत उपलब्ध होने और विश्वविद्यालय में पूँजीगत परियोजनाएं /कार्य विचाराधीन होने के कारण हुई।

(ख) इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान – (i) दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 1125.00 लाख रुपये की बचत (5600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 1202.15 लाख रुपये की बचत (4900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती समय पर नहीं होने और मार्च 2024 के कुछ लंबित बिलों का समय पर निपटारा नहीं हो सकने के कारण हुई।

(iii) महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 675.00 लाख रुपये की बचत (2600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2230"**— श्रम, रोजगार व कौशल विकास – प्रशिक्षण – शिल्पकार व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण – शिल्पकार प्रशिक्षण योजना – 2912.76 लाख रुपये की बचत (14328.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों की प्राप्ति, रिक्त पदों, कर्मचारियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति, फर्मों/ठेकेदारों द्वारा बिलों को जमा न करने, सीसीआई व पीटीआई की पुनः नियुक्ति में देरी होने और सीआई व जीआई की ज्वाइनिंग में देरी होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2205"**— कला एवं संस्कृति – कला व संस्कृति का विकास – (i) हिन्दी अकादमी को अनुदान – 605.92 लाख रुपये की बचत (1850.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, आम चुनाव (लोकसभा) 2024 आचार संहिता लागू होने से कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकने और रिक्त पदों के लिए प्रावधान रखे जाने के कारण हुई।

(ii) उर्दू अकादमी को अनुदान – 696.23 लाख रुपये की बचत (1147.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने और जी सी के गठन न होने व आम चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा – (क) विश्वविद्यालयों को सहायता – (i) अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना – 1238.28 लाख रुपये की बचत (9001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, वित्त विभाग, जीएनसीटी, दिल्ली द्वारा अव्ययित शेष राशि का सत्यापन न करने तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए पीडब्ल्यूडी और अन्य एजेंसियों के पास अग्रिम राशि बकाया होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय – 1976.65 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः नव स्थापित विश्वविद्यालय होने, कम सहायता अनुदान जारी होने, रिक्त पदों के न भरने और जैम पोर्टल के सक्रिय न होने और बजट अवधि के लिए परियोजनाओं व नियोजित पहलों में देरी या स्थगित होने के कारण हुई।

3. **Under Major Head “2203” – Technical Education – (a) Assistance to Universities for Technical Education – (i) Grant-in-aid to Netaji Subhash University of Technology – Saving of ₹1218.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and Grant in Aid is received by Netaji Subhash University of Technology on a net- deficit basis, hence the expenditure was incurred from Grant in Aid received and incomes/receipts generated by University.**
- (ii) Delhi Skill and Entrepreneurship University – Saving of ₹18447.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid, savings under Grant in Aid-Capital were available with the university and Capital Project/Works were under consideration in the University.
- (b) Engineering/Technical Colleges and Institutes – (i) Grant-in-aid to Delhi Technological University – Saving of ₹1125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5600.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid.
- (ii) Grant in Aid to Delhi Pharmaceutical Science and Research University – Saving of ₹1202.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4900.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and recruitment of non-teaching staff was not done in time. Some of the pending bills of March, 2024 could not be processed in time.
- (iii) Grant-in-aid to Technical University for Women – Saving of ₹675.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2600.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid.
4. **Under Major Head “2230” – Labour, Employment and Skill Development – Training – Training of Craftsmen and Supervisors – Craftsman Training Scheme – Saving of ₹2912.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14328.80 lakhs inclusive of Supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills/claims, vacant posts due to transfer/retirement of staff, non-submission of bills by the firms / contractor, late re-engagement of CCI & PTI and late joining of CI & GI.**
5. **Under Major Head “2205” – Art and Culture – Promotion of Arts and Culture – (i) Grants to Hindi Academy – Saving of ₹605.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1850.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid, programmes could not be organized due to imposition of MCC General Election (Lok Sabha) 2024 and provision kept for vacant post.**
- (ii) Grants to Urdu Academy – Saving of ₹696.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1147.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid, programmes could not be organized due to non constitution of GC and imposition of Model Code of Conduct for General Election 2024.
6. **Under Major Head “2202” – General Education – University and Higher Education – (a) Assistance to Universities – (i) Setting up of Ambedkar University -- Saving of ₹1238.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant posts, non validation of unspent balance by Finance Department, GNCTD of Delhi and advances outstanding with the PWD & other agencies for various activities.**
- (ii) Delhi Teachers University – Saving of ₹1976.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to newly established university and release of less Grant in aid, non filling of vacant posts, non activation of GeM portal and projects or initiatives planned for the budget period delayed or postponed.

(ख) सरकारी कॉलेज और संस्थान – शहीद राजगुरु महिला कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज को सहायता अनुदान – 630.65 लाख रुपये की बचत (3200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अव्ययित शेष राशि का सत्यापन वित्त विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा न हो पाने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 5575.26 लाख रुपये की बचत सोलह उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2202"** – सामान्य शिक्षा – (अ) प्रारंभिक शिक्षा – (क) प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों का सहायता – दिल्ली नगर निगम – प्राथमिक शिक्षा के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 13294.61 लाख रुपये का अधिक व्यय (170973.92 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा – शिक्षक शिक्षा (टॉप अप) (राज्य अंश) – 1742.14 लाख रुपये का अधिक व्यय (2501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) समग्र शिक्षा शिक्षक शिक्षा (राज्य अंश) – 542.46 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ग) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए समग्र शिक्षा (सीएसएस) (एससीएसपी) – 597.12 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए समग्र शिक्षा (राज्य अंश) (एससीएसपी) – 2182.95 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा अधिक निधियों के जारी होने के कारण हुआ।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) परीक्षा – गुणवत्ता सुधार के लिए परीक्षण सुधार शाखा – 595.82 लाख रुपये का अधिक व्यय (2501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों की प्राप्ति और अधिक खरीद के कारण हुआ।

(ख) सरकारी माध्यमिक स्कूल – (i) सरकारी माध्यमिक स्कूल – 6882.29 लाख रुपये का अधिक व्यय (212057.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, बकाया राशि का भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिक बिलों की प्राप्ति और अधिक खरीद के कारण हुआ।

(ii) अतिरिक्त स्कूली सुविधाएं – 17699.97 लाख रुपये का अधिक व्यय (553263.70 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, बकाया राशि के भुगतान और अधिक बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(iii) समावेशी शिक्षा – 1000.84 लाख रुपये का अधिक व्यय (7933.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी, अधिक बिलों की प्राप्ति और अधिक खरीद के कारण हुई।

(b) Government Colleges and Institutes – Grant in Aid to Shaheed Rajguru College of Applied Sciences For Women – Saving of ₹630.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was mainly due to non revalidation of unspent balance amount by Finance Department, Govt. of NCT of Delhi.

Further, Saving of ₹5575.26 lakhs was under sixteen sub heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads:

1. **Under Major Head “2202” – General Education – (A) Elementary Education – (a) Assistance to local Bodies for primary education – Delhi Municipal Corporation – Grants-in-Aid to Municipal Corporation of Delhi for Primary Education – Excess of ₹13294.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹170973.92 lakhs against the supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.**

(b) Samagra Shiksha – (i) Samagra Shiksha - Teacher Education (TOP UP) (State Share) – Excess of ₹1742.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more funds from Govt. of India.

(ii) Samagra Shiksha Teacher Education (State Share) – Excess of ₹542.46 lakhs (against the supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Samagra Shiksha for SC Students (CSS) (SCSP) – Excess of ₹597.12 lakhs (against the supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.

(ii) Samagra Shiksha for SC Students (State Share) (SCSP) – Excess of ₹2182.95 lakhs (against the supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to release of more funds from Government of India.

(B) Secondary Education – (a) Examinations – Examination Reform Branch for quality Improvement – Excess of ₹595.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of more bills and more procurement.

(b) Govt. Secondary Schools – (i) Govt. Secondary Schools – Excess of ₹6882.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹212057.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts, payment of arrears, hiring of outsourced staff, receipt of more bills and more procurement.

(ii) Additional Schooling facilities – Excess of ₹17699.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹553263.70 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts, payment of arrears and receipt of more bills.

(iii) Inclusive Education – Excess of ₹1000.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7933.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts, increase in Dearness Allowance, receipt of more bills and more procurement.

(ग) गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 4669.95 लाख रुपये का अधिक व्यय (20001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सब्सिडी देने के कारण हुआ।

(घ) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जाति छात्रों के लिए समग्र शिक्षा (राज्य अंश) (एससीएसपी) – 627.08 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः केन्द्रीय अंश के संदर्भ में आनुपातिक राज्यांश रखे जाने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 729.43 लाख रुपये का अधिक व्यय दो उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 43904.11 लाख रुपये की कुल बचत थी (52182.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 84.14 प्रतिशत थी।

10744.00 लाख रुपये की राशि सत्रह उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – (अ) सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – (i) स्कूल विज्ञान संग्रहालय की स्थापना – 1000.00 लाख रुपये – योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।
(ii) बाहरवीं कक्षा में कम्प्यूटर विज्ञान का परिचय – 4200.00 लाख रुपये – कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और प्रशासनिक कारणों से कम्प्यूटरों की खरीद पूरी न हो सकने के कारण हुई।
(ब) खेल कूद, युवा सेवाये व क्रीडा स्टेडियम – अन्य व्यय – खेल के मैदानों, खेल परिसरों, तरणतालों आदि का विकास – 500.00 लाख रुपये – काम की धीमी गति के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "4250"** – अन्य सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – श्रम – मोडल आई.टी.आई – 750.00 लाख रुपये – मशीनरी व उपकरणों की खरीद न होने और आईसीटी की खरीद न होने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – कला एवं संस्कृति – अन्य व्यय – एसीएल भवन का निर्माण/नवीकरण – 500.00 लाख रुपये – एमओयू के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण।
4. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – कला एवं संस्कृति – अभिलेखागार – आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूंजी कार्य – 1500.00 लाख रुपये – आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से कोई पूंजीगत कार्य नहीं किए जाने के कारण।
5. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय – इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के लिए भूमि का आवंटन एवं भवन निर्माण – 1000.00 लाख रुपये – कार्य के प्रक्रियाधीन होने के कारण।

(c) Assistance to Non Govt. Secondary Schools – Right of Education Act – Excess of ₹4669.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to more subsidies.

(d) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Samagra Shiksha for SC Students (State Share) (SCSP) – Excess of ₹627.08 lakhs (against the supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to proportionate State Share kept in reference to Central Share.

Further, excess of ₹729.43 lakhs remained under two sub heads which exceed ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹43904.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52182.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹6.00 lakhs) constituted 84.14% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹10744.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen sub-heads. This includes the following sub-heads: -

1. **Under Major Head “4202”** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture –
(A) General Education – Secondary Education – (i) Setting Up of School Science Meuseum – ₹1000.00 lakhs – due to scheme modalities were not finalized.

(ii) Introduction of Computer Science At 2+ Stage – ₹4200.00 lakhs – due to some proposals not finalized and procurement of computers could not be completed due to administrative reasons.

(B) Sports and Youth Services and Sports Stadium – Other Expenditure – Development of Play Grounds, Sports Complexes and Swimming Pools etc. – ₹500.00 lakhs – due to slow pace of work.
2. **Under Major Head “4250”** – Capital Outlay on Other Social Services – Labour – Model ITI – ₹750.00 lakhs – due to non purchase of machinery & equipment and non purchase of ICT.
3. **Under Major Head “4202”** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – Art and Culture – Other Expenditure – Construction/Renovation of ACL Building – ₹500.00 lakhs – due to payment made as per MOU.
4. **Under Major Head “4202”** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – Art and Culture – Archives – Capital Work Through Outsourcing – ₹1500.00 lakhs – due to no capital work done through outsource staff.
5. **Under Major Head “4202”** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – General Education – University and Higher Education – Allotment of Land & Construction of Building for Indraprastha Vishwavidyalaya – ₹1000.00 lakhs – due to work was under process.

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	22660.00)			
पु.	-13339.00)	9321.00	3235.60	-6085.40

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	15000.00)			
पु.	12186.32)	2813.68	3026.02	212.34

मुख्यशीर्ष "4250"

अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	3212.00)			
पू.	4.00)			
पु.	510.13)	3726.13	903.12	-2823.01

पुरातत्व विभाग

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	7302.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-6532.00)	771.00	649.86	-121.14

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4202"**— शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – (क) माध्यमिक शिक्षा – स्कूली पुस्तकार्यों में सुधार – 802.28 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन होने और विद्यालय स्तर पर कम धन राशि का उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(ख) सामान्य – विद्यालय भवनों के काम की आउटसोर्सिंग – 11862.12 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति और आम लोग सभा चुनाव 2024 के संदर्भ में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर प्रतिबंध लगे होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4202"**— शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाएं – 11973.98 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के प्रक्रियाधीन होने एवं 41.14 करोड़ रुपये की राशि का व्यय प्राधिकार 150.00 करोड़ रुपये के बजट को संशोधित अनुमानों में 15.00 करोड़ करने तथा पूनः संशोधित अनुमानों में 28.00 करोड़ करने के पहले जारी करने के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 की पुनः संशोधित अनुमानों में 30.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट आवंटन का अनुरोध विभाग द्वारा किया गया। अतः पहले से हुए व्यय के कारण बजट 28.00 करोड़ से 30.26 करोड़ रुपये हो गया जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत में वास्तविक बजट 150.00 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Dte. of Education

Major Head “4202”

Capital Outlay on Education,
Sports, Art and Culture

O.	22660.00)			
R.	-13339.00)	9321.00	3235.60	-6085.40

Dte. of Training & Technical Education

Major Head “4202”

Capital Outlay on Education
Sports Art and Culture

O.	15000.00)			
R.	12186.32)	2813.68	3026.02	212.34

Major Head “4250”

Capital Outlay on Other Social Services

O.	3212.00)			
S.	4.00)			
R.	510.13)	3726.13	903.12	-2823.01

Department of Archaeology

Major Head “4202”

Capital Outlay on Education
Sports Art and Culture

O.	7302.00)			
S.	1.00)			
R.	-6532.00)	771.00	649.86	-121.14

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads: –

- Under Major Head “4202” – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – General Education – (a) Secondary Education – Improvement of School Libraries – Saving of ₹802.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was mainly due to proposal was under process and less funds utilized at school level.**

(b) General – Outsourcing of Work of School Building – Saving of ₹11862.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was mainly due to slow pace of work and restriction in view of Model Code of Conduct applied with reference to General Lok Sabha Election 2024.
- Under Major Head “4202” – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – Technical Education – Engineering /Technical Colleges and Institutes – Infrastructure Projects of Autonomous Institutions / Universities – Saving of ₹11973.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was mainly due to work was under process and authorization for the amount of Rs. 41.14 cr. has already been issued before reducing the budget from Rs. 150.00 cr. to Rs. 15.00 cr. in RE and then to Rs. 28.00 cr. in Modified RE. Further, the department has requested to allot additional budget of Rs. 30.00 cr. during MRE 2023-2024. Hence, due to already occurred expenditure budget escalated from Rs 28.00 cr to Rs 30.26 cr. while the actual budget was allocated Rs. 150.00cr. in the beginning of FY 2023-24.**

3. **मुख्यशीर्ष "4250"** – अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – श्रम – उपकरण – 1159.85 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विभिन्न आईटीआई के लिए कम्प्यूटरों की केन्द्रीकृत खरीद के लिए निविदा वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक प्रदान की गई थी लेकिन सामग्री की आपूर्ति अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने से भुगतान जारी नहीं किए जा सकने के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – कला एवं संस्कृतिक – अन्य व्यय – स्मारकों का संरक्षण – 6651.14 लाख रुपये की बचत (7301.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम्प्यूटर की खरीद न होने, भवन व संरचना का काम कोडल औपचारिकताओं के पूरा न होने के कारण अंतिम रूप से स्वीकृत न हो सकने, कार्य की धीमी गति, अन्य अचल संपत्तियों की खरीद न होने, फोटोकॉपी मशीन की खरीद के प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दिए जा सकने, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कार्यालय स्थान का नवीनीकरण नहीं किए जा सकने और डीटीडीसी द्वारा हेरिटेज संपत्तियों की खरीद के कार्य में धीमी गति होने के कारण हुई।

3. **Under Major Head “4250”** – Capital Outlay on Other Social Services – Labour – Equipment – Saving of ₹1159.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to tender for centralized procurement of computer for various ITI was awarded by the end of FY 2023-24, but material was supplied in the next financial year, hence payment could not be released.
4. **Under Major Head “4202”** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – Art and Culture – Other Expenditure – Conservation of Monuments – Saving of ₹6651.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7301.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non procurement of computer, building & structures work could not finalized due to non finalization of codal formalities, low pace of work and non purchase of other fixed assets, proposal for procurement of photocopier could not be materialized, renovation of office space through PWD could not be materialized and due to slow pace of work by DTTDC for procurement of Heritage assets.

अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित				
मूल	7,77,25)			
पूरक	2,61,00)	10,38,25	1,17,15	-9,21,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-1,50,75
स्वीकृत-				
मूल	7545,55,82)			
पूरक	1,19,88)	7546,75,70	6565,70,57	-981,05,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-136,46,70
पूंजीगत				
स्वीकृत-				
मूल	235,21,93)			
पूरक	20,00)	235,41,93	109,15,55	-126,26,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-93,44,93
टीका एवं टिप्पणियां				

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 921.10 लाख रूपये की कुल बचत थी (1038.25 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 261.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 88.71 प्रतिशत थी।

140.05 लाख रूपये की राशि ग्यारह उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

इसके अतिरिक्त, 376.98 लाख रूपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रूपये से कम थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 98105.13 लाख रूपये की कुल बचत थी (754675.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 119.88 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 13.00 प्रतिशत थी।

GRANT NO. 7 – MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	<u>7,77,25)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>2,61,00)</u>	<u>10,38,25</u>	<u>1,17,15</u>	<u>-9,21,10</u>
Amount surrendered during the year				<u>-1,50,75</u>
Voted –				
Original	7545,55,82)			
Supplementary	1,19,88)	7546,75,70	6565,70,57	-981,05,13
Amount surrendered during the year				-136,46,70
CAPITAL				
Voted –				
Original	235,21,93)			
Supplementary	20,00)	235,41,93	109,15,55	-126,26,38
Amount surrendered during the year				-93,44,93

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹921.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1038.25 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹261.00 lakhs) constituted 88.71% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹140.05 lakhs remained wholly un-utilized under eleven sub-heads.

Further, saving of ₹376.98 lakhs remained in one sub head which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Revenue Section** of the grant, there was overall saving of ₹98105.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹754675.70 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹119.88 lakhs) which constituted 13.00% of the total sanctioned provision.

18748.17 लाख रुपये की राशि सतरह उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी — अन्य स्वास्थ्य सेवाएं — (i) स्वास्थ्य कार्ड — 3925.00 लाख रुपये — निविदाओं के प्रक्रियाधीन होने के कारण।

(ii) स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) एवं अग्रम पंक्ति कर्मियों (एफसीडब्ल्यू) को कोविड-19 टीकाकरण के परिचालन लागत के लिए सहायता अनुदान — 2000.00 लाख रुपये — धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण।

(iii) कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज 3.0 का कार्यान्वयन — 5000.00 लाख रुपये — धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण।

(ब) जन स्वास्थ्य — (क) जन स्वास्थ्य प्रचार — वेक्टर जनित रोग और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता अभियान — 1024.17 लाख रुपये — डीआईपी से बिल प्राप्त नहीं होने और प्रशासनिक कारणों से लंबित बिलों को मंजूरी नहीं मिलने के कारण।

(ख) अन्य व्यय — रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान — 500.00 लाख रुपये — कम सहायता अनुदान जारी होने और रोगी कल्याण समिति के लिए दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन से कोई मांग प्राप्त न होने से अनुदान जारी नहीं किए जा सकने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2211"**— परिवार कल्याण — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — परिवार कल्याण निदेशालय (सी.एस. एस) — 750.00 लाख रुपये — भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।

(ख) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं — (i) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस) — 2001.00 लाख रुपये — अधिक सहायता अनुदान जारी होने से और विभिन्न प्रशासनिक कारणों से एमसीडी को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी/प्रतिपूर्ति किए जाने वाले सहायता अनुदान के प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत/संसाधित नहीं किए जा सकने के कारण।

(ii) शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का सुधार (सी.एस.एस) — 501.00 लाख रुपये — विभिन्न प्रशासनिक कारणों से एमसीडी को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी/प्रतिपूर्ति किए जाने वाले सहायता अनुदान के प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत/संसाधित नहीं किए जा सकने के कारण।

(iii) अस्पतालों में पोस्ट-पार्टम ईकाइयों पर व्यय हेतु अनुदान — 500.00 लाख रुपये — लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अभाव में एमसीडी को सहायता अनुदान जारी नहीं किए जा सकने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 312132.07)

पू. 29.69)

पु. -11039.87)

301121.89

249793.51

-51328.38

An amount of ₹18748.17 lakhs remained wholly un-utilized under seventy sub-heads. This includes the following sub-heads: –

1. **Under Major Head “2210” – Medical and Public Health – (A) Urban Health Services Allopathy – Other Health Scheme – (i) Health Card – ₹3925.00 lakhs – due to tender was under process.**
 - (ii) Grant in Aid for Operational Cost For COVID – 19 Vaccination for Health Care Workers (HCWs) and Front Line Workers (FCWs) – ₹2000.00 lakhs – due to non requirement of funds.
 - (iii) Implementation of Emergency COVID -19 Response Package 3.0 – ₹5000.00 lakhs – due to non requirement of funds.

(B) Public Health – (a) Public Health Publicity – Awareness Campaign Vector Borne Diseases and Other Health Issues – ₹1024.17 lakhs – due to bills not received from DIP and non approval of pending bills on administrative reasons.

(b) Other Expenditure – Grant In Aid to Rogi Kalyan Samiti – ₹500.00 lakhs – due to release of less Grant in aid and no demand received from 'Delhi State Health Mission for Rogi Kalyan Samiti', hence funds could not be released.
2. **Under Major Head “2211” – Family Welfare – (a) Direction and Administration – Directorate of Family Welfare (CSS) – ₹750.00 lakhs – due to non receipt of funds from Government of India.**
 - (b) Urban Family Welfare Services – (i) Urban Family Welfare Services (CSS) – ₹2001.00 lakhs – due to proposals for Grant-In-Aid to be released/reimbursed under various Centrally Sponsored Scheme to MCD could not be processed / submitted for approval due to various administrative reasons.
 - (ii) Revamping of Urban Family Welfare Centres (CSS) – ₹501.00 lakhs – due to proposals for Grant-In-Aid to be released / reimbursed under various Centrally Sponsored Scheme to MCD could not be processed / submitted for approval due to various administrative reasons.
 - (iii) Grants For Expenditure on Post- Partum Units In Hospital – ₹500.00 lakhs – due to Grant-in-Aid could not be released to MCD for want of Audit Reports.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

Dir. of Health Services
Major Head “2210”
Medical and Public Health

O. 312132.07)
S. 29.69)
R. -11039.87)

301121.89 249793.51 -51328.38

(In lakh of rupees)

जी. बी. पंत अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 39832.00)

पू. 8.00)

पु. 4036.50)

43876.50

41493.40

-2383.10

अरुणा आसफ अली राजकीय अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 6163.00)

पू. 1.00)

पु. -356.00)

5808.00

5642.63

-165.37

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 34125.00)

पू. 2.00)

पु. -2058.75)

32068.25

31948.87

-119.38

गुरु तेग बहादुर मेडिकल

कॉलेज एवं अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 44660.00)

पू. 6.00)

पु. 401.00)

45067.00

42494.42

-2572.58

मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 25576.00)

पू. 2.00)

पु. 2400.90)

27978.90

26145.14

-1833.76

परिवार कल्याण निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2211"

परिवार कल्याण

मू. 17005.00)

पू. 16.05)

पु. 296.06)

17317.11

10717.53

-6599.58

G.B. Pant Hospital
Major Head "2210"
 Medical and Public Health
 O. 39832.00)
 S. 8.00)
 R. 4036.50) 43876.50 41493.40 -2383.10

Aruna Asaf Ali Govt. Hospital
Major Head "2210"
 Medical and Public Health
 O. 6163.00)
 S. 1.00)
 R. -356.00) 5808.00 5642.63 -165.37

Deen Dayal Upadhyay Hospital
Major Head "2210"
 Medical and Public Health
 O. 34125.00)
 S. 2.00)
 R. -2058.75) 32068.25 31948.87 -119.38

Guru Teg Bahadur Medical College & Hospital
Major Head "2210"
 Medical and Public Health
 O. 44660.00)
 S. 6.00)
 R. 401.00) 45067.00 42494.42 -2572.58

Maulana Azad Medical College
Major Head "2210"
 Medical and Public Health
 O. 25576.00)
 S. 2.00)
 R. 2400.90) 27978.90 26145.14 -1833.76

Directorate of Family Welfare
Major Head "2211"
 Family Welfare
 O. 17005.00)
 S. 16.05)
 R. 296.06) 17317.11 10717.53 -6599.58

संजय गांधी स्मारक अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 18890.00)

पू. 2.00)

पु. -3540.00)

15352.00

12972.57

-2379.43

आयुष निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 13054.00)

पू. 1.00)

पु. 79.00)

13134.00

9180.65

-3953.35

डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 25794.00)

पू. 4.00)

पु. 265.00)

26063.00

24222.08

-1840.92

डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल

कॉलेज एवं अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 4550.90)

पु. -576.50)

3974.40

3445.07

-529.33

डा. हेडगेवर आरोग्य संस्थान

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 8959.00)

पू. 2.00)

पु. 426.00)

9387.00

8279.80

-1107.20

आचार्य भिक्षु अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 6995.00)

पू. 5.00)

पु. 563.00)

7563.00

6446.29

-1116.71

जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 6345.00)

पू. 2.00)

पु. 1371.00)

7718.00

7266.17

-451.83

Sanjay Gandhi Memorial Hospital**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	18890.00)			
S.	2.00)			
R.	-3540.00)	15352.00	12972.57	-2379.43

Directorate. of Ayush**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	13054.00)			
S.	1.00)			
R.	79.00)	13134.00	9180.65	-3953.35

Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	25794.00)			
S.	4.00)			
R.	265.00)	26063.00	24222.08	-1840.92

Dr. Baba Saheb Ambedkar Medical**College & Hospital****Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	4550.90)			
R.	-576.50)	3974.40	3445.07	-529.33

Dr. Hedgewar Arogya Sansthan**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	8959.00)			
S.	2.00)			
R.	426.00)	9387.00	8279.80	-1107.20

Acharya Bhikshu Hospital**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	6995.00)			
S.	5.00)			
R.	563.00)	7563.00	6446.29	-1116.71

Jag Parvesh Chandra Hospital**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	6345.00)			
S.	2.00)			
R.	1371.00)	7718.00	7266.17	-451.83

लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 10109.00)

पु. -45.00)

10154.00

8730.86

-1423.14

अम्बेडकर नगर अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 2863.00)

पु. -698.00)

2165.00

2069.36

-95.64

बुराड़ी अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 10247.00)

पू. 3.00)

पु. -2708.00)

7542.00

6985.51

-556.49

इंदिरा गांधी अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू. 14123.00)

पू. 2.00)

पु. -4933.00)

9192.00

8429.29

-762.71

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — (i) चिकित्सा स्थापना — 691.65 लाख रुपये की बचत (3200.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिल/दावों की प्राप्ति, कोई विदेशी दौरा न होने, कम खरीद, मजदूरी के अंतर्गत किये गए व्ययों के वस्तु शीर्ष 'ओ ई' में डेबिट करने, कम मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य करने और बकाया बिलों पर अंतिम स्वीकृति न होने के कारण हुई।

(ii) सरकारी निजी भगीदारी डायलिसिस — 501.52 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लोक नायक अस्पताल व राजीव गांधी अस्पताल में हेमोडायलिसिस सेवाएं निलंबित रहने के कारण हुई।

(ख) अस्पताल एवं औषधालय — (i) सरकारी औषधालय — 1875.78 लाख रुपये की बचत (23917.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, बकाया बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने और कम बिलों / दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(ii) मानव व्यवहार तथा सम्बन्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान — 1708.04 लाख रुपये की बचत (17000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान सहायता जारी करने, रिक्त पदों के न भरने, उपकरणों की खरीद न होने और मरम्मत व रखरखाव का कार्य पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करने के साथ-साथ पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के समायोजन के कारण हुई।

Lal Bahadur Shastri Hospital**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	10109.00)			
R.	- 45.00)	10154.00	8730.86	-1423.14

Ambedkar Nagar Hospital**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	2863.00)			
R.	-698.00)	2165.00	2069.36	-95.64

Burari Hospital**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	10247.00)			
S.	3.00)			
R.	-2708.00)	7542.00	6985.51	-556.49

Indira Gandhi Hospital**Major Head "2210"**

Medical and Public Health

O.	14123.00)			
S.	2.00)			
R.	-4933.00)	9192.00	8429.29	-762.71

Saving occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub-heads :-

1. **Under Major Head "2210" – Medical and Public Health – (A) Urban Health Services Allopathy – (a) Direction and Administration – (i) Medical Establishment –** Saving of ₹691.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, no foreign tours, less procurement, expenses under wages now debitible under object head-OE, to less repair & maintenance work and non finalization of arrear bills.

(ii) PPP Dialysis – Saving of ₹501.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was mainly due to haemodialysis services were suspended in Lok Nayak & Rajeev Gandhi hospital.

(b) Hospital and Dispensaries – (i) Government Dispensaries – Saving of ₹1875.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23917.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, non finalization of arrear bills and receipt of less bills & claims.

(ii) Grant-in-aid to Institute of Human Behaviour & Allied Sciences – Saving of ₹1708.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid, non- filling of vacant posts, non procurement of equipments and repair & maintenance work transferred to PWD along with adjustment of unspent balance of previous year.

(iii) दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान – 653.87 लाख रुपये की बचत (8050.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, एवं 503.87 लाख रुपये की राशि को वित्त विभाग द्वारा दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के साथ समायोजित करने के कारण इस राशि को जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।

(iv) मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 1296.85 लाख रुपये की बचत (5800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 1296.85 लाख रुपये की राशि को वित्त विभाग द्वारा दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के साथ समायोजित करने के कारण इस राशि को जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।

(v) आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के लिए दिल्ली राज्य स्वास्थ्य अभियान को सहायता अनुदान – 13471.63 लाख रुपये की बचत (27500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, एवं 8116.63 लाख रुपये की राशि को वित्त विभाग द्वारा दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के साथ समायोजित करने के कारण इस राशि को जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।

(vi) जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोसाइटी को सहायता अनुदान – 1354.00 लाख रुपये की बचत (5002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः 2152.00 लाख रुपये की राशि को वित्त विभाग द्वारा जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के साथ समायोजित के कारण इस राशि को जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) जेजे क्लस्टर्स के लिए मोबाइल वैन औषधालय (एससीएसपी) – 548.40 लाख रुपये की बचत (2203.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति और कम खरीद के कारण हुई।

(ii) स्वास्थ्य केन्द्र (एससीएसपी) – 848.37 लाख रुपये की बचत (8473.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः केन्द्र सरकार से केन्द्रीय अंश निधि प्राप्त न हाने के कारण अतः दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन को राज्य अंश निधि हस्तांतरित नहीं कर सकने के कारण हुई।

(घ) अन्य व्यय – (i) केन्द्रीय दुर्घटना एवं अपघात सेवार्यों के लिए सहायता अनुदान – 5345.30 लाख रुपये की बचत (23000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने और 3345.30 लाख रुपये की राशि को वित्त विभाग द्वारा 'केन्द्रीयकृत दुर्घटना एवं अपघात सेवाओं' के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के साथ समायोजित करने के कारण इस राशि को जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य अभियान (सीएसएस) – 7858.00 लाख रुपये की बचत (16000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस अनुदान) की दो किस्तों के लिए भारत सरकार द्वारा 8142.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई अतः दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा केवल उक्त राशि के लिए दावा किए जाने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य अभियान (राज्य अंश) – 2479.06 लाख रुपये की बचत (10666.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः इस सी.एस.एस. योजना के अंतर्गत प्रत्याशित धन राशि को जारी करने का आधार भारत सरकार से प्राप्त राशि (राज्य अंश, नकदी, अन्य वस्तुएं व आई, एस, अनुदान) के आधार पर था, अतः इसी आधार पर धनराशि पर दावा करने के कारण हुई।

(iii) Grant-in-aid to Delhi State Cancer Institute – Saving of ₹653.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8050.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and Rs. 503.87 lakhs could not be released as same was adjusted against unspent balance of previous year with the 'Delhi State Cancer Institute' by the Finance Department.

(iv) Grant-in-aid to Maulana Azad Institute of Dental Sciences – Saving of ₹1296.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5800.00 lakhs) was mainly due to Rs. 1296.85 Lakhs could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year with the 'Delhi State Cancer Institute' by the Finance Department.

(v) GIA to Delhi State Health Mission for Aam Aadmi Mohalla Clinic – Saving of ₹13471.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27500.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and Rs.8116.63 Lakhs could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year with the 'Delhi State Health Mission-Aam Aadami Mohalla Clinic' by the Finance Department.

(vi) GIA to Janakpuri Super Speciality Hospital Society -- Saving of ₹1354.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to Rs. 2152.00 Lakhs could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year with the 'Janak Puri Super Speciality Hospital' by the Finance Department.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Mobile Van Dispensaries for JJ Clusters (SCSP) – Saving of ₹548.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2203.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims and less procurement.

(ii) Health Centers (SCSP) – Saving of ₹848.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8473.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to no Central Share/ funds received from Central Government, so State Share funds could not be transferred to 'Delhi State Health Mission'.

(d) Other Expenditure – (i) Grant in Aid to Centralized Accident & Trauma Services – Saving of ₹5345.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and Rs. 3345.30 lakhs could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year with the 'Centralised Accident & Trauma Services' by the Finance Department.

(ii) Delhi State Health Mission (CSS) – Saving of ₹7858.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was mainly due to in the year 2023-24 only Rs. 8142.00 was released by Govt. of India for two installment of 'National Health Mission' (CSS Grant) so 'Delhi State Health Mission' claim only for that amount from State.

(iii) Delhi State Health Mission (State Share) – Saving of ₹2479.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10666.00 lakhs) was mainly due to the amount was based on the anticipated release under CSS (State Share of cash, Kind and IM Grant) by Govt. of India & was claimed only on that basis of release.

(ब) जन स्वास्थ्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – प्राथमिक, माध्यमिक क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत – 4989.41 लाख रुपये की बचत (5001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम व्यय और लंबित बिलों के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – (i) यकृत एवं पैतृक विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 5625.00 लाख रुपये की बचत (22500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 5625.00 लाख रुपये की राशि को वित्त विभाग द्वारा यकृत एवं पैतृक विज्ञान संस्थान के पास पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के साथ समायोजित करने के कारण इस राशि को जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।

(स) सामान्य – अन्य व्यय – (i) केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी एवं राज्य औषधी प्राधिकरण – 8390.36 लाख रुपये की बचत (24998.37 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना के लिए आवंटित बजट पूरी तरह से खर्च नहीं किए जाने और कुछ बिलों के देरी से प्राप्त होने के कारण हुई।

2. मुख्यशीर्ष "2210" – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) अरुणा आसफ अली राजकीय अस्पताल – 520.37 लाख रुपये की बचत (6158.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति होने, आउटसोर्स कर्मचारी के वस्तु व्यय शीर्ष में परिवर्तन होने, कम मरम्मत व रख-रखाव होने, पुरानी मशीनों को अनुपयोगी घोषित करने, कम प्रशिक्षण व्यय, डॉक्टरों/रेडियोग्राफरो के बकाया भुगतान के प्रस्तावों पर अंतिम स्वीकृति दिए जा सकने, प्रत्याक्षित बिल प्राप्त नहीं होने, कुछ निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जा सकने और नये ओपीडी ब्लॉक के लिए अतिरिक्त जनशक्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जा सकने के कारण हुई।

(ii) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, अस्पताल प्रशासन का पुनरुद्धार – 2137.19 लाख रुपये की बचत (34082.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों के वस्तु व्यय शीर्ष में परिवर्तन होने, कम मरम्मत व रख-रखाव कार्य, कम खरीद, अनुमानित बिलों के प्राप्त न होने, ईंधन की कम खपत और स्वीकृतियों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(iii) गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल – 2121.58 लाख रुपये की बचत (44616.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 6.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः एमएसीपी मामले, व प्रारंभिक वेतन को अंतिम रूप नहीं दे सकने, विक्रेता द्वारा समय पर बिल जमा नहीं किए जाने, रिक्त पदों, अनिश्चित खर्चों के लिए प्रावधान रखने और डीजीएचएस के आदेश के अनुसार कुछ फर्मों को ब्लैक लिस्टेड किए जाने से उक्त फर्मों के खर्चों पर रोक लगाए जाने के कारण हुई।

3. मुख्यशीर्ष "2211" – परिवार कल्याण – अन्य व्यय – राज्य स्वास्थ्य समिति (दिल्ली) को सहायता अनुदान – 2290.85 लाख रुपये की बचत (12000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 'राज्य स्वास्थ्य सोसायटी' के पास उपलब्ध प्रारंभिक शेष को समायोजित, करने के कारण हुई।

4. मुख्यशीर्ष "2210" – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – संजय गांधी स्मारक अस्पताल – 5919.43 लाख रुपये की बचत (18892.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति और बोली परामर्श/कोडल आपचारिकताओं के अपूर्ण रहने के कारण हुई।

(B) Public Health – (a) Direction and Administration – Introduction of Hospital Management Information System for Primary/Secondary/ Tertiary Health care – Saving of ₹4989.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to less expenditure and pending bills.

(b) Other Expenditure – (i) Grant in Aid to Institute of Liver And Biliary Sciences – Saving of ₹5625.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22500.00 lakhs) was mainly due to Rs. 5625.00 lakhs could not be released as same were adjusted against unspent balance of previous year with the 'Institute for Liver & Biliary Science' by the Finance Department.

(C) General – Other Expenditure – (i) Central Procurement Agency & State Drug Authority – Saving of ₹8390.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24998.37 lakhs) was mainly due to the budget allocated for project was not fully expended and some bills were received late.

2. **Under Major Head “2210” – Medical & Public Health – Urban Health Services Allopathy – Hospital & Dispensaries – (i) Aruna Asaf Ali Government Hospital – Saving of ₹520.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6158.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, change of object head of outsourced staff, less repair & maintenance, condemnation of old machines, less training expenses, proposal of arrears of Doctors / Radiographers could not be finalized, anticipated bills not received, some tenders could not be finalized and proposal for additional manpower for new OPD Block could not be finalized.**

(ii) Deen Dayal Upadhyay Hospital, revamping of hospital Administration – Saving of ₹2137.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34082.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, change of object head for outsourced staff, less repair & maintenance work, less procurement, non receipt of anticipated claims, less consumption of fuel and non receipts of sanctions.

(iii) Guru Tegh Bahadur Medical College and Hospital – Saving of ₹2121.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44616.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹6.00 lakhs) was mainly due to MACP cases and entry pay could not be finalized, non submission of bills by vendor in time, vacant posts, provision kept for uncertain expenses and as per order dated 16.05.2024 of DGHS some firms were blacklisted due to which the expenditure of the said firms kept on hold.

3. **Under Major Head “2211” – Family Welfare – Other Expenditure – Grant-in-aid to State Health Society (Delhi) – Saving of ₹2290.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to adjustment of opening balance available with the 'State Health Society'.**

4. **Under Major Head “2210” – Medical & Public Health – Urban Health Services Allopathy – Hospital & Dispensaries – Sanjay Gandhi Memorial Hospital – Saving of ₹5919.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18892.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims and due to incomplete codal formalities/consultation of bids.**

- (ब) शहरी स्वास्थ्य सेवायें-औषधालयों की अन्य प्रणालियां - आयुर्वेद - (i) आयुष निदेशालय - 942.63 लाख रुपये की बचत (3689.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल/दावे प्राप्त होने, कम प्रशिक्षण व्यय, कम खरीद, जैम पर प्रतिस्पर्धा तथा प्रशासनिक कारणों से दवाओं की खरीद के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति न हो सकने के कारण हुई।
- (ii) खेडा डाबर में दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान - 2837.50 लाख रुपये की बचत (4050.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि का उपयोग किए जाने के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "2210"**- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य - (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें - ऐलोपैथी - अस्पताल एवं औषधालय - डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल - 1470.92 लाख रुपये की बचत (25693.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों और कर्मचारियों व विक्रेताओं द्वारा बिलों को जमा न करने के कारण हुई।
- (ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - ऐलोपैथी - डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल - 1099.86 लाख रुपये की बचत (4544.90 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम मरम्मत व रख-रखाव कार्यों के होने, नियमित पदों को न भरे जाने, नवीन संशोधन के अनुसार "ओ.ई." व्यय शीर्ष से परामर्शदाताओं का वेतन आहरण करने और कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन रहने के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "2210"**- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी - (क) अस्पताल एवं औषधालय - (i) डा0 हेडगेवार आरोग्य संस्थान - 681.20 लाख रुपये की बचत (8961.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व स्थानांतरण होने, कुछ खरीद प्रस्तावों व एएमसी/सीएमसी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरी होने, बिलों/दावों की देरी से प्राप्ति और प्रशासनिक कारणों से कुछ भत्ते एवं एमएसीपी बकायों को अंतिम रूप न दे सकने के कारण हुई।
- (ii) आचार्य भिक्षु अस्पताल - 553.71 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कर्मचारियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने, कम दावों के प्राप्त होने, मांग के लिए बोलियों को अंतिम रूप न दिए जा सकने, विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत करने में देरी तथा तकनीकी कारणों से कुछ बिलों का भुगतान नहीं किए जा सकने के कारण हुई।
- (ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एससीएसपी) - 1350.59 लाख रुपये की बचत (10079.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न करने, सम्मेलन/प्रशिक्षण का आयोजन भौतिक रूप में न करने और वित्त विभाग द्वारा आईपीडी/ओपीडी सेवाओं के दो वर्षों के बकाया भुगतान के लिए अनुमोदन न दिए जाने के कारण हुई।
7. **मुख्यशीर्ष "2210"**- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी - अस्पताल एवं औषधालय - (i) अम्बेडकर नगर अस्पताल - 786.78 लाख रुपये की बचत (2856.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के व्यय शीर्ष में परिवर्तन होने और कम बिलों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ii) बुराड़ी में 700 बेडों का अस्पताल - 3254.49 लाख रुपये की बचत (10240.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, विदेशी दौरे न होने, कम मरम्मत व रख-रखाव कार्य, कम खरीद, प्रतिपूर्ति के लिए कम बिल प्राप्त होने और एमएसीपी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) Urban Health Services - Other System of Medicines – Ayurveda – (i) Directorate of Ayush – Saving of ₹942.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3689.00lakhs) was mainly due to receipt of less bills/claims, less training expenses, less procurement, due to competition on GeM and the proposal of procurement of medicines could not be finalized due to administrative reasons.

(ii) GIA of Delhi Ayurvedhic Charak Sansthan at Khera Dabur – Saving of ₹2837.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4050.00 lakhs) was mainly due to unspent balance of previous year was utilized.

5. **Under Major Head “2210” – Medical & Public Health – (A) Urban Health Services Allopathy – Hospital & Dispensaries – Dr. Baba Saheb Ambedkar Hospital – Saving of ₹1470.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25693.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4.00 lakhs) was mainly due to vacant posts and non submission of bills by staff & vendors.**

(B) Medical Education, Training and Research – Allopathy – Dr. Baba Saheb Ambedkar Medical College & Hospital – Saving of ₹1099.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4544.90 lakhs) was mainly due to receipt of less bills/claims, less repair & maintenance work, non filling of regular posts, drawl of salary in respect of consultants in OE head as per new modification and some proposals remained under process.

6. **Under Major Head “2210” – Medical & Public Health – Urban Health Services Allopathy – (a) Hospital & Dispensaries – (i) Dr. Hedgewar Arogya Sansthan – Saving of ₹681.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8961.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to retirement & transfer of staff, delay in finalization of some purchase proposal & AMC / CMC proposal, late receipts of bills/claims and some allowances bills & MACP arrear could not be finalized due to administrative reasons.**

(ii) Acharya Bhikshu Hospital – Saving of ₹553.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹5.00 lakhs) was mainly due to transfer/ retirement of staff, receipt of less claims, bids for demands could not be finalized, delay in submission of bills by vendors and some bills could not be cleared due to technical reasons.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – Lal Bahadur Shastri Hospital (SCSP) – Saving of ₹1350.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10079.00 lakhs) was mainly due to non filling of vacant post, non submission of bills by the vendor, non conduction of conference/ training in physical mode and non approval of Finance Department for outstanding payment of two years of IPD/OPD services.

7. **Under Major Head “2210” – Medical & Public Health – Urban Health Services Allopathy – Hospital & Dispensaries – (i) Ambedkar Nagar Hospital – Saving of ₹786.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2856.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, change of object head of outsourced staff and receipt of less bills/claims.**

(ii) 700 Bedded hospital at Burari – Saving of ₹3254.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10240.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, no foreign tours, less repair & maintenance work, less procurement, less bills received for reimbursement and non finalization of MACP Cases.

(iii) इंदिरा गांधी अस्पताल – 5685.71 लाख रुपये की बचत (14115.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आउटसोर्स कर्मचारियों के व्यय वस्तु शीर्ष में परिवर्तन होने, कम प्रशिक्षण व्यय, कम मरम्मत एवं रख-रखाव, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम खरीद, नियमित पदों के न भरने, राजपत्र अधिसूचना के कारण वेतन का भुगतान 'ओई' शीर्ष से किए जाने और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2722.34 लाख रुपये की बचत आठ उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अर्न्तगत अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) राजीव गांधी सूपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान – 1556.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (8801.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को सहायता अनुदान – 778.47 लाख रुपये का अधिक व्यय (9403.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ब) जन स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण – मलेरिया और डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दिल्ली नगर निगम को अनुदान – 864.77 लाख रुपये का अधिक व्यय (13667.28 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(स) सामान्य – अन्य व्यय – (i) दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा – 3942.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (32001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लंबित/अधिक बिलों के कारण हुआ।

(ii) दिल्ली आरोग्य कोष – 2499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (5001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः 71.82 करोड़ रुपये के बिल भुगतान हेतु लंबित रहने के कारण हुआ।

(iii) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – जी.बी.पंत अस्पताल – 2054.20 लाख रुपये का अधिक व्यय (39311.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 8.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लंबित मजदूरी बिलों का भुगतान, अधिक बिलों की प्राप्ति, अधिक मुद्रण और प्रकाशन कार्य, रिक्त पदों के भरने, बिजली व पानी के बिलों का भुगतान और आउटसोर्स बिलों का भुगतान करने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान – ऐलोपैथी – शिक्षा – मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज – 594.46 लाख रुपये का अधिक व्यय (25550.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, अधिक बिलों की प्राप्ति, अधिक खरीद, पत्रिकाओं के भुगतान और अधिक मरम्मत व रख-रखाव के कारण हुआ।

(iii) Indira Gandhi Hospital – Saving of ₹5685.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14115.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to change of object head of outsourced staff, less training expenses, less repair & maintenance, receipt of less bills/claims, less procurement, non filling of regular posts, wages were paid from the head OE due to Gazette Notification and tender for outsourced staff not finalized.

Further, saving of ₹2722.34 lakhs remained under eight sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head “2210” – Medical and Public Health – (A) Urban Health Services Allopathy – Hospitals and Dispensaries – (i) GIA to Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital - Excess of ₹1556.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8801.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.**

(ii) GIA to Chacha Nehru Bal Chikitsalaya – Excess of ₹778.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9403.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.

(B) Public Health – Prevention and Control of Diseases – GIA MCD for Malaria & Dengue Control Programme – Grant to Municipal Corporation of Delhi For Malaria and Dengue Control Program – Excess of ₹864.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13667.28 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.

(C) General – Other Expenditure – (i) Delhi Govt. Employees Health Scheme – Medical facilities to pensioners – Excess of ₹3942.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to pending/more bills.

(ii) Delhi Arogya Kosh – Excess of ₹2499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to bill amounting to rupees 71.82 crores was pending for payment.

(iii) Urban Health Services Allopathy – Hospital & Dispensaries – G.B. Pant Hospital – Excess of ₹2054.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39311.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹8.00 lakhs) was mainly due to payment of pending wages bills, receipt of more bills, more printing & publication work, filling of vacant posts, payment of electricity bills & water bills and payment of outsourced bills.

2. **Under Major Head “2210” – Medical & Public Health – Medical Education Training and Research – Allopathy – Education – Maulana Azad Medical College – Excess of ₹594.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25550.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts, receipt of more bills, more procurement, payment of journals and more repair & maintenance work.**

3. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ – अस्पताल एवं औषधालय – जग प्रवेश चंद्रा अस्पताल – 919.17 लाख रुपये का अधिक व्यय (6347.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों को भरने, बकायों का भुगतान करने, अधिक बिलों की प्राप्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिक खरीद तथा अधिक मरम्मत व रख-रखाव कार्य के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 841.48 लाख रुपये का अधिक व्यय तीन उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 12626.38 लाख रुपये की कुल बचत थी (23541.93 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 20.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 53.63 प्रतिशत थी।

290.00 लाख रुपये की राशि आठ उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	1688.93)			
पु.	-924.93)	734.00	179.29	-584.71

लोक नायक अस्पताल

मुख्यशीर्ष "4210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	3855.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1166.50)	2689.50	2596.91	-92.59

जी.बी.पंत अस्पताल

मुख्यशीर्ष "4210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	5210.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1951.00)	3260.00	3074.99	-185.01

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल

मुख्यशीर्ष "4210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	1100.00)			
पु.	-700.00)	400.00	385.42	-14.58

3. **Under Major Head "2210" – Medical & Public Health – Urban Health Services – Hospital and Dispensaries – Jag Pravesh Chandra Hospital – Excess of 919.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6347.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to filling of vacant posts & payment of arrears, receipt of more bills, engagement of outsourced staff, more procurement and more repair & maintenance work.**

Further, excess of ₹841.48 lakhs remained under three sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹12626.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23541.93 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹20.00 lakhs) constituted 53.63% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹290.00 lakhs remained wholly unutilized under eight sub-heads.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Dir. of Health Services

Major Head "4210"

Capital Outlay on Medical and Public Health

O. 1688.93)

R. -924.93)

734.00

179.29

-584.71

Lok Nayak Hospital

Major Head "4210"

Capital Outlay on Medical and Public Health

O. 3855.00)

S. 1.00)

R. -1166.50)

2689.50

2596.91

-92.59

G.B. Pant Hospital

Major Head "4210"

Capital Outlay on Medical and Public Health

O. 5210.00)

S. 1.00)

R. -1951.00)

3260.00

3074.99

-185.01

Deen Dayal

Upadhyay Hospital

Major Head "4210"

Capital Outlay on Medical and Public Health

O. 1100.00)

R. -700.00)

400.00

385.42

-14.58

गुरु तेग बहादुर मेडिकल
कॉलेज एवं अस्पताल

मुख्यशीर्ष "4210"
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	1540.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1193.00)	348.00	255.96	-92.04

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज

मुख्यशीर्ष "4210"
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	3152.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1643.00)	1510.00	1491.11	-18.89

इंदिरा गांधी अस्पताल

मुख्यशीर्ष "4210"
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	1130.00)			
पु.	-455.00)	675.00	216.20	-458.80

5.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. मुख्यशीर्ष "4210" - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी - अस्पताल एवं औषधालय - (i) केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी एवं राज्य औषधि प्राधिकरण - 1330.16 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन होने तथा अन्य विभागों से केन्द्रीय क्रय एजेंसी को प्रत्याशित मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
(ii) लोक नायक अस्पताल - 1159.09 लाख रुपये की बचत (3756.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के प्रस्ताव लंबित होने, कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन होने, कम खरीद और अन्य अचल संपत्तियों की खरीद न होने के कारण हुई।
(iii) जी.बी.पंत अस्पताल - 2136.01 लाख रुपये की बचत (5211.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन होने, मोटर वाहन की खरीद के प्रत्याशित प्रस्ताव प्राप्त न होने, कम्प्यूटरों की खरीद हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने और फर्नीचर व लाइब्रेरी की पुस्तकों की खरीद हेतु निविदाओं/बोली पर अंतिम स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
(iv) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल - 714.54 लाख रुपये की बचत (1100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने और एचआईएमएस पर अंतिम स्वीकृति न होने के कारण हुई।

**Guru Teg Bahadur Medical
College and Hospital
Major Head "4210"**
Capital Outlay on Medical and
Public Health

O.	1540.00)			
S.	1.00)			
R.	-1193.00)	348.00	255.96	-92.04

**Maulana Azad Medical College
Major Head "4210"**
Capital Outlay on Medical and
Public Health

O.	3152.00)			
S.	1.00)			
R.	-1643.00)	1510.00	1491.11	-18.89

**Indira Gandhi Hospital
Major Head "4210"**
Capital Outlay on Medical and
Public Health

O.	1130.00)			
R.	-455.00)	675.00	216.20	-458.80

Saving occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head "4210" – Capital Outlay on Medical & Public Health – Urban Health Services-Allopathy – Hospital and Dispensaries – (i) Central Procurement Agency & State Drug Authority -- Saving of ₹1330.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to proposals were under process and anticipated demand not received in Central Procurement Agency from other Department.**

(ii) Lok Nayak Hospital – Saving of ₹1159.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3756.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to pending proposal for purchase of two electric vehicles, some proposals were under process, less procurement and non purchase of other fixed assets.

(iii) G.B. Pant Hospital – Saving of ₹2136.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5211.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills, some proposals were under process, anticipated proposal for purchase of motor vehicle not received, approval for purchase of computer not received and non finalization of tender / bid for purchase of furniture & Library books.

(iv) Deen Dayal Upadhyay Hospital – Saving of ₹714.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was mainly due to less procurement of machinery & equipment and non finalization of HIMS.

(v) गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल – 1285.04 लाख रुपये की बचत (1541.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः मोटर वाहनों की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने तथा नई मशीनरी की खरीद प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

(vi) मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज – 1661.89 लाख रुपये की बचत (3153.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के दौरान एलएएन उन्नयन सहित कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन रहने और कम खरीद करने के कारण हुई।

(vii) इंदिरा गांधी अस्पताल – 913.80 लाख रुपये की बचत (1130.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जैम पर बोली परिपक्व न होने, फर्नीचर व फिक्सचर की खरीद न होने, बिलों/दावों की प्राप्ति न होने और निविदा के स्वीकृत होने के बावजूद आपूर्ति प्राप्त न होने से भुगतान न कर सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1086.07 लाख रुपये की बचत तीन उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

(v) Guru Teg Bahadur Medical College and Hospital – Saving of ₹1285.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1541.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to no proposal received for purchase of motor vehicles and procurement of new machinery was under process.

(vi) Maulana Azad Medical College – Saving of ₹1661.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3153.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to some proposals including LAN upgradation were under process during the financial year and less procurement.

(vii) Indira Gandhi Hospital – Saving of ₹913.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1130.00 lakhs) was mainly due to non maturing bid on GeM, non procurement of furniture & fixtures, bills / Claims not received and tender finalized but supply not received, hence payment could not be released.

Further, saving of ₹1086.07 lakhs remained under three sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
(हजार रूपयों में)				
राजस्व				
प्रभारित				
मूल	6.00)			
पूरक	6,15,70)	6,21,70	2,94,23	-3,27,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत				
मूल	9257,14,00)			
पूरक	550,37,06)	9807,51,06	8769,64,86	-1037,86,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-18,26
पूँजीगत				
स्वीकृत				
मूल	1761,75,00)			
पूरक	1204,40,50)	2966,15,50	2283,37,99	-682,77,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-3,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 327.47 लाख रूपये की कुल बचत थी (621.70 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 615.70 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि स्वीकृत विनियोजन का 52.67 प्रतिशत थी।

274.70 लाख रूपये की राशि पांच उपशीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 103786.20 लाख रूपये की कुल बचत थी (980751.06 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 55037.06 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 10.58 प्रतिशत थी।

49050.50 लाख रूपये की राशि 92 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) अन्य कार्यक्रम – वार्षिक लाभार्थी सत्यापन योजना – 1500.00 लाख रूपये – योजना के विचाराधीन रहने के कारण।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) (एस.सी.एस.पी) – 15550.00 लाख रूपये – एनएसएपी पर कार्यवाही प्रणाली उपलब्ध नहीं होने कारण।

GRANT NO. 8 – SOCIAL WELFARE

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
Original	6,00)			
Supplementary	6,15,70)	6,21,70	2,94,23	-3,27,47
Amount surrendered during the year				Nil
<u>Voted -</u>				
Original	9257,14,00)			
Supplementary	550,37,06)	9807,51,06	8769,64,86	-1037,86,20
Amount surrendered during the year				-18,26
CAPITAL				
<u>Voted –</u>				
Original	1761,75,00)			
Supplementary	1204,40,50)	2966,15,50	2283,37,99	-682,77,51
Amount surrendered during the year				-3,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹327.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹621.70 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹615.70 lakhs) constituted 52.67% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹274.70 lakhs remained wholly unutilised under five sub-head.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹103786.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹980751.06 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹55037.06 lakhs) constituted 10.58% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹ 49050.50 lakhs remained wholly unutilised under ninety-two sub-heads. This includes the following sub heads: –

- Under Major Head “2235” – Social Security and Welfare – Social Welfare – (a) Other Programmes – Annual Beneficiaries Verification Scheme – ₹1500.00 lakhs – due to scheme was under consideration.**

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Senior Citizen Pension Scheme (Expansion of Old Age Assistance) (SCSP) – ₹15550.00 lakhs – due to function not available on NSAP.

(ii) विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता (एस.सी.एस.पी) – 5568.00 लाख रुपये – एनएसएपी पर कार्यवाही प्रणाल उपलब्ध नहीं होने कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) महिलाओं का कल्याण – (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस) (एन.एस.ए.पी) (सी.एस.एस.) – 1350.00 लाख रुपये – वित्तीय वर्ष 2023–24 की अवधि में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण।

(ii) महिलाओं की गरिमा के लिए स्वभाव सम्बन्धित परिवर्तन – 1000.00 लाख रुपये – वर्ष 2023–24 के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2236"** – पोषण – पोषक आहार एवं पेयों का वितरण – विशेष पोषक कार्यक्रम – पूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त आहार – 1000.00 लाख रुपये – योजना के बंद होना और 10097 आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के लिए बाल अनुकूल/ शिक्षण सामग्री की खरीद का प्रस्ताव शुरू किया गया था परन्तु वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंतिम चरण और आदर्श आचार संहिता लगाने के कारण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण – (अ) अनुसूचित जातियों का कल्याण – शिक्षा – मिडिल क्लास तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री जूनियर छात्रवृत्ति योजना – 1015.00 लाख रुपये – योजना के प्रक्रियाधीन होने के कारण।

(ब) पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अल्पसंख्यकों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री विधार्थी प्रतिभा योजना – 3000.00 लाख रुपये – वर्ष 2021–22 के दौरान प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग प्रदान करने वाली संस्थाओं का लंबित भुगतान जारी नहीं किया जा सका क्योंकि योजना के तहत कुछ संशोधन मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आवश्यकता के लिए विचाराधीन थे। इसके अतिरिक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के पूर्ण न होने के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "2041"** – वाहनों पर कर – अन्य व्यय – छूट (ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रेकिंग शुल्क एवं सिम कार्ड की लागत) – 1200.00 लाख रुपये – जीपीएस लगाने व सिम कार्ड उपलब्ध कराने के बिलों पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अनुसार रोक लगाने के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "3452"** – पर्यटन – (अ) पर्यटक अवस्थापना – सार्वजनिक क्षेत्र के व अन्य उपक्रमों को सहायता – (i) दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान – 10000.00 लाख रुपये – कुछ प्रस्ताव स्पष्टीकरण एवं दिशा-निर्देशों के अभाव में प्रस्तुतीकरण के अधीन थे तथा सहायता अनुदान जारी करने के संदर्भ में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ii) दिल्ली फिल्म फंड के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान – 500.00 लाख रुपये – परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे थे तथा सहायता अनुदान जारी करने के संदर्भ में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ब) सामान्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – मंत्रिपरिषद का जनता से जुड़ाव – 600.00 लाख रुपये – प्रस्तावों के प्राप्त न होने एवं मंत्रिपरिषद की सार्वजनिक बैठक आयोजित कराने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण धनराशि को उपयोग नहीं कर सकने के कारण।

(ख) प्रोत्साहन व प्रचार – दिल्ली की दिवाली के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान – 1500.00 लाख रुपये – नगर में वायु की खराब गुणवत्ता की वजह से कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकने के कारण।

- (ii) Unemployment Allowance to disabled persons (SCSP) – ₹5568.00 lakhs – due to function not available on NSAP.
2. **Under Major Head “2235” – Social Security and Welfare – Social Welfare – (a) Women’s Welfare – (i) Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) (NSAP) (CSS) – ₹1350.00 lakhs – due to no fund has been received from Ministry of Rural Development, Govt. of India during F.Y. 2023-24.**
- (ii) Behavioral Change for Dignity of Women – ₹1000.00 lakhs – due to no proposal received for year 2023-24.
3. **Under Major Head “2236” – Nutrition – Distribution of nutritious food & beverages – Special Nutrition Programme – Additional Diet Under Supplementary Nutrition Programme – ₹1000.00 lakhs – due to closure of Scheme and the proposal for the procurement of child friendly / learning materials for the up gradation of 10097 AWCs under the scheme was initiated however due to fag end of F.Y.2023-24 & Model Code of Conduct, the process has not been finalized.**
4. **Under Major Head “2225” – Welfare of Scheduled Castes /Scheduled Tribes and Backward Classes – (A) Welfare of Scheduled Castes – Education Chief Minister Junior Scholarship Scheme for Students Upto Middle Classes – ₹1015.00 lakhs – due to scheme was under process.**
- (B) Welfare of Backward Classes – Education – Jai Bhim Mukhyamantri Vidharthi Pratibha Yojana For Minorities/OBC/EWS – ₹3000.00 lakhs – due to pending payment of coaching for competitive examination provided during the year 2021-22 could not be released because some modification under the scheme have been under consideration which needs approval of Council of Minister. Further, revised guidelines of the scheme for further implementation of the scheme were under finalization.**
5. **Under Major Head “2041” – Taxes on Vehicles – Other Expenditure – Subsidies (GPS Tracking Charges and Sim Card Cost in Auto Rickshaws) – ₹1200.00 lakhs – due to bills for installation of GPS and providing SIM have been put on hold with prior approval of competent authority.**
6. **Under Major Head “3452” – Tourism – (A) Tourist Infrastructure – Assistance to Public sector & other undertakings (i) GIA to DTTDC for Dilli Shopping Festival – ₹10000.00 lakhs - due to some proposals were under submission for clarification & guidelines and no proposal has been received regarding release of amount as Grant-in-Aid from Delhi Tourism and Transport Development Corporation (DTTDC).**
- (ii) GIA to DTTDC for Dilli Films Funds – ₹500.00 lakhs - due to operational guidelines were under preparation and no proposal has been received regarding release of amount as Grant-in-Aid from Delhi Tourism and Transport Development Corporation (DTTDC).
- (B) General – (a) Direction & Administration – Public Engagement for Council of Ministers – ₹600.00 lakhs - due to non receipt of proposals and no proposal has been received for organizing public meeting of Council of Ministers, hence funds could not be utilized.**
- (b) Promotion & Publicity – GIA to DTTDC for Delhi ki Diwali – ₹1500.00 lakhs - due to bad air quality in the city, event could not be organised.

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

सामाजिक कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	209036.50)			
पू.	6.45)			
पु.	-23175.95)	185867.00	172472.78	-13394.22

महिला एवं बाल विकास निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	208973.00)			
पू.	34.15)			
पु.	3874.83)	212881.98	189145.20	-23736.78

**अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति
एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग**

मुख्यशीर्ष "2225"

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति
एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

मू.	17569.00)			
पू.	7.00)			
पु.	-5477.00)	12099.00	5447.77	-6651.23

परिवहन विभाग

मुख्यशीर्ष "2041"

वाहनों पर कर

मू.	30482.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-9961.00)	20522.00	13876.41	-6645.59

मुख्यशीर्ष "3055"

सड़क परिवहन

मू.	425900.00)			
पू.	54984.25)			
पु.	50112.75)	530997.00	491705.05	-39291.95

पर्यटन विभाग

मुख्यशीर्ष "3452"

पर्यटन

मू.	31836.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-24843.00)	6996.00	3804.16	-3191.84

Savings / Excess occurred mainly under the following Major heads: –

(In lakh of rupees)

Social Welfare Department

Major Head “2235”

Social Security and Welfare

O. 209036.50)

S. 6.45)

R. -23175.95)

185867.00

172472.78

-13394.22

**Directorate of Women and Child
Development**

Major Head “2235”

Social Security and Welfare

O. 208973.00)

S. 34.15)

R. 3874.83)

212881.98

189145.20

-23736.78

**Deptt. for Welfare of SC/ST
and Backward classes**

Major Head “2225”

Welfare of SC/ST and

Other Backward Classes

O. 17569.00)

S. 7.00)

R. -5477.00)

12099.00

5447.77

-6651.23

Transport Department

Major Head “2041”

Taxes on Vehicles

O. 30482.00)

S. 1.00)

R. -9961.00)

20522.00

13876.41

-6645.59

Major Head “3055”

Road Transport

O. 425900.00)

S. 54984.25)

R. 50112.75)

530997.00

491705.05

-39291.95

Tourism Department

Major Head “3452”

Tourism

O. 31836.00)

S. 3.00)

R. -24843.00)

6996.00

3804.16

-3191.84

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2235"** - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - (अ) समाज कल्याण - (क) विकलांगों का कल्याण - मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पाठशाला/गृह - 597.80 लाख रुपये की बचत (2645.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आईसीएसआईएल के बोनस बिल व विक्रेताओं के प्रत्याशित बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) वृद्ध अशक्त व निःस्सहायों का कल्याण - वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) - 4310.25 लाख रुपये की बचत (120000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की मृत्यु होने, पीएफएमएस द्वारा अवितरित पेंशन को वापस लौटा देने, योजना के अंतर्गत जाली मामलों को रोकने, रिक्तियों के जारी न होने और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत टॉप-अप राशि लाभार्थियों को नहीं दिए जा सकने के कारण हुई।

(ग) अन्य कार्यक्रम - मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना - 617.09 लाख रुपये की बचत (4500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या और कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(ब) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.)(एन.एस.ए.पी.) (सी.एस.एस) - 3128.86 लाख रुपये की बचत (4450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से सीएसएस योजना के अंतर्गत कम निधियों के जारी होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2235"** - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - समाज कल्याण - (क) बाल कल्याण - (i) लड़कों के लिए बाल गृह /निरीक्षण गृह - 1249.20 लाख रुपये की बचत (2464.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिल/दावे प्राप्त होने, कम खरीद, रिक्त पदों, बिल/फाइलें स्वीकृत नहीं होने, बिजली, पानी व एमटीएलएल के बिलों में उतार-चढ़ाव होने और समय-समय पर लड़कों के लिए बाल गृह में बच्चों की संख्या घटने/बढ़ने के कारण हुई।

(ii) आँगनवाड़ी उन्नयन प्रोत्साहन योजना - 846.32 लाख रुपये की बचत (1001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः 10097 आँगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के लिए बाल मैत्रीपूर्ण/शिक्षण सामग्री की खरीद का प्रस्ताव शुरू किया गया था परन्तु वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम चरण और आदर्श आचार संहिता लगने के कारण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।

(iii) बाल अधिकार आयोग - 1035.00 लाख रुपये की बचत (1400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं जुलाई 2023 में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के साथ-साथ सदस्यों का भी कार्यकाल पूर्ण हो गया। इसके अलावा अनुबंध पर रखे गये कर्मचारियों द्वारा भी वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण करने के कारण बचत हुई।

(iv) सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 (सी.एस.एस) - आँगनवाड़ी सेवा योजना - आँगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य) - 3601.26 लाख रुपये की बचत (8951.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत कम धनराशि जारी किए जाने के कारण हुई।

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads :-

1. **Under Major Head “2235” – Social Security and Welfare – (A) Social Welfare –**
 - (a) Welfare of Handicapped – School/ Home for Mentally Retarded Children – Saving of ₹597.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2645.00 lakhs) was mainly due to bill from ICSIL including Bonus & vendors bills not received as anticipated.
 - (b) Welfare of Aged, Infirm and Destitute – Senior Citizen Pension Scheme (Expansion of Old Age Assistance) – Saving of ₹4310.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to death, PFMS returns and stoppage of duplicate cases within the scheme, non opening of vacancies and under IGNOAPS scheme top-up amount could not be remitted to beneficiaries.
 - (c) Other Programmes – Mukhayamantri COVID-19 Parivar Arthik Sahayata Yojana – Saving of ₹617.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries and receipt of less application.

(B) National Social Assistance Programme – National Old Age Pension Scheme – Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) (NSAP) (CSS) – Saving of ₹3128.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4450.00 lakhs) was mainly due to non receipt of CSS funds from Govt. of India.
2. **Under Major Head “2235” – Social Security and Welfare – Social Welfare – (a) Child Welfare –**
 - (i) Children Home/Observation Home for Boys – Saving of ₹1249.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2464.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills/claims, less procurement, vacant posts, bills/files were not approved, electricity, water, MTNL bills are fluctuated, children in Children Home for Boys increased/decreased from time to time.
 - (ii) Incentivised Anganwadi Updation Scheme – Saving of ₹846.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to the proposal for the procurement of child friendly / learning materials for the up gradation of 10097 AWCs under the scheme was initiated however due to fag end of F.Y.2023-24 & Model Code of Conduct, the process has not been finalised.
 - (iii) Child Right Commission – Saving of ₹1035.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and the post of Chairman get vacant in the month of July 2023 & subsequently members completed their tenure. Further engaged contractual staff also completed their tenure during the year.
 - (iv) Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (CSS) – Anganwadi Services Scheme - Anganwadi Services (General) – Saving of ₹3601.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8951.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to Govt. of India released fewer funds under this scheme during the F.Y.2023-24.

– पोषण अभियान – 712.65 लाख रुपये की बचत (2390.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 में केवल तीन तिमाहियों के लिए धनराशि जारी किए जाने के कारण बचत हुई।

(v) सक्षम ऑगनवाड़ी और पोषण 2.0 (राज्य अंश) – ऑगनवाड़ी सेवा योजना – ऑगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य) – 1626.04 लाख रुपये की बचत (5811.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों के प्राप्त होने और कुछ प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण 1367 आधार नामांकन टैबलेटों की खरीद के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण हुई।

(vi) सक्षम ऑगनवाड़ी और पोषण 2.0 (राज्य अंश) – ऑगनवाड़ी सेवा योजना – ऑगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य) – 1118.00 लाख रुपये की बचत (21118.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः पिछले वित्त वर्ष 2022–23 की अव्ययित शेष राशि से व्यय किए जाने के कारण हुई।

(vii) मिशन वात्सल्य (सी.एस.एस) – 504.72 लाख रुपये की बचत (1800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) महिला कल्याण – (i) महिलाओं के लिए राज्य आयोग – 886.05 लाख रुपये की बचत (3500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः धन के उपयोग में अनियमितताओं को देखते हुए दिल्ली महिला आयोग की वित्त वर्ष 2023–24 की सहायता अनुदान राशि की तीसरी किस्त को विभाग द्वारा रोक दिए जाने के कारण हुई।

(ii) मिशन शक्ति (राज्य अंश) – सामर्थ्य–प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) – 3030.80 लाख रुपये की बचत (3100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः केंद्रीय अंश के संदर्भ में आनुपातिक राज्य अंश रखे जाने और भारत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को धनराशि जारी करने में देरी के कारण वित्त वर्ष 2023–24 में संबंधित राज्य अंश स्थानांतरित नहीं किए जा सकने के कारण हुई।

(iii) समृद्धि परियोजना के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान – 693.50 लाख रुपये की बचत (800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान राशि जारी होने और डीएसईयू के पास पिछले वित्त वर्ष 2022–23 की अव्ययित धनराशि उपलब्ध होने से डीएसईयू को कम धनराशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – विधवाओं को पेंशन (एससीएसपी) – 6822.93 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कम होने और कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2225"**– अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति व पिछड़ा वर्ग का कल्याण – अनुसूचित जातियों का कल्याण – (क) शिक्षा – सार्वजनिक विद्यालयों में ट्यूशन फीस की वापसी – 908.57 लाख रुपये की बचत (3100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लोकसभा चुनाव 2024 के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने, संबंधित स्कूल/शैक्षिक क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर आवेदनों के लंबित होने और आवेदकों के बैंक खातों के साथ आधार संख्या के नहीं जुड़े होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) सार्वजनिक विद्यालयों में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति (एस.सी.एस.पी) – 1013.16 लाख रुपये की बचत (2100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लोकसभा चुनाव 2024 के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने, संबंधित स्कूल/शैक्षिक क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर आवेदनों के लंबित होने और आवेदकों के बैंक खातों के साथ आधार संख्या के नहीं जुड़े होने के कारण कई आवेदनों पर कार्यवाही नहीं कर सकने के कारण हुई।

– Poshan Mission — Saving of ₹712.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2390.00 lakhs) was mainly due to Ministry of WCD, Govt. of India released funds only for three quarters of F.Y.2023-24, hence savings occurred.

(v) Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (State Share) – Anganwadi Services Scheme - Anganwadi Services (General) – Saving of ₹1626.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5811.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims and proposal for procurement of 1367 Aadhar Enrolment Tablets has not been finalized due to some procedural formalities.

(vi) Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (State Share) – Anganwadi Services Scheme - Anganwadi Services (General) – Saving of ₹1118.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21118.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to expenditure incurred from the unspent balance of previous F.Y . i.e. 2022-23.

(vii) Mission Vatsalaya (CSS) – Saving of ₹504.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was mainly due to fund was not received from Govt. of India.

(b) Women Welfare – (i) State Commission for Women – Saving of ₹886.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was mainly due to Department had with held the fund of 3rd installment of Grant-in-Aid of Financial Year 2023-24 of Delhi Commission for Women after seeing the irregularities in the utilization of funds.

(ii) Mission Shakti (State Share) – Samarthya – Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) – Saving of ₹3030.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was mainly due to proportionate State Share kept in reference to Central Share and delayed release of funds by Govt. of India to state/UT for payment to beneficiaries, hence corresponding State Share could not been transferred in F.Y.2023-24.

(iii) Grant in Aid to DSEU for Project Samriddhi – Saving of ₹693.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and DSEU had unspent balance of funds of previous F. Y. 2022-23 accordingly less funds released to DSEU.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – Pension to Widows (SCSP) – Saving of ₹6822.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries and less number of applications received under this scheme.

3. **Under Major Head “2225”** – Welfare of Scheduled Castes /Scheduled Tribes and Backward Classes – Welfare of Scheduled Castes – (a) Education – Reimbursement of Tution Fees in Public Schools – Saving of ₹908.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3100.00 lakhs) was mainly due to Model Code of Conduct of Lok Sabha Election 2024 and also pendency of applications at the level of concerned School, Educational Zonal Office and no seeding of Aadhaar with bank accounts of applicants.

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Reimbursement of Tution Fees in Public Schools (SCSP) – Saving of ₹1013.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was mainly due to Model Code of Conduct of Lok Sabha Election 2024 and also pendency of applications at the level of concerned School, Educational Zonal Office and no seeding of Aadhaar with bank accounts of applicants, hence, many applications could not be processed.

- (ii) जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (एस.सी.एस.पी) – 1999.09 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना में परिवर्तन/संशोधन के प्रक्रियाधीन रहने के कारण हुई।
- (iii) मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (एस.सी.एस.पी) – 519.15 लाख रुपये की बचत (650.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लोकसभा चुनाव 2024 के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं कर सकने और संबंधित स्कूल/शैक्षिक क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर आवेदनों के लंबित होने और आवेदकों के बैंक खातों के साथ आधार संख्या के नहीं जुड़े होने के कारण कई आवेदनों पर कार्यवाही नहीं कर सकने के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "2041"** – वाहनों पर कर – (क) वसूली प्रभार – वसूली प्रभार – 1848.77 लाख रुपये की बचत (7210.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को किराये पर लेने के कारण पीओएल और वाहनों की मरम्मत व रख-रखाव पर व्यय में कमी आने के कारण हुई।
- (ख) अन्य व्यय – (i) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ एवं गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान – 7497.41 लाख रुपये की बचत (7500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।
- (ii) अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – 767.76 लाख रुपये की बचत (1990.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावों पर अंतिम स्वीकृति न होने के कारण हुई।
- (iii) छूट (हल्के मोटर वाहनों में जीपीएस ट्रेकिंग शुल्क एवं सिम कार्ड की लागत) – 855.38 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से जीपीएस लगाने व सिम उपलब्ध कराने के बिलों का भुगतान रोक देने के कारण हुई।
- (iv) पार्किंग फीस के बदले दिल्ली नगर निगम को मुआवजा – 3623.93 लाख रुपये की बचत (8500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वाहनों की कम बिक्री एवं पार्किंग शुल्क की कम वसूली होने के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "3055"** – सड़क परिवहन – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – परिवहन विभाग – 585.61 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को सहायता – (i) क्लस्टर बसों को घाटा पूर्ति के लिये क्षतिपूर्ति – 15609.88 लाख रुपये की बचत (140609.45 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15609.45 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः डीआईएमटीएस द्वारा देरी से बिलों को जमा करने के कारण हुई।
- (ii) डीटीसी बसों में मार्शलों की तैनाती – 7123.00 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के रोके जाने के कारण हुई।
- (iii) क्लस्टर बसों में मार्शलों की तैनाती – 5693.91 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के रोके जाने के कारण हुई।
- (iv) दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के क्रियान्वयन के लिए डीटीआईडीसी को सहायता अनुदान – 9000.00 लाख रुपये की बचत (12000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सब्सिडी वितरित होने और दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रोत्साहन पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण जून 2023 के बाद सब्सिडी वितरित नहीं करने के कारण हुई।

- (ii) Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojna (SCSP) – Saving of ₹1999.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to change/ amendment in scheme was under process.
- (iii) Mukhyamantri Vidhyarti Pratibha Yojana (SCSP) – Saving of ₹519.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs) was mainly due to funds could not be utilized due to Model Code of Conduct of Lok Sabha Election 2024 and also pendency of applications at the level of concerned School, Educational Zonal Office and no seeding of Aadhaar with bank accounts of applicants, many applications could not be processed.
4. **Under Major Head “2041” – Taxes on Vehicles – (a) Collection charges – Collection charges – Saving of ₹1848.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7210.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant post, receipt of less bills/claim and reduction of expenditure on POL & Repair & Maintenance of vehicle due to hiring of Electronic Vehicles.**
- (b) Other Expenditure – (i) Roads Safety Cell & GIA to NGOS – Saving of ₹7497.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid.
- (ii) Computerisation of Records – Saving of ₹767.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1990.50 lakhs) was mainly due to and non finalization of proposals at various levels.
- (iii) Subsidies (GPS Tracking Charges and SIM Card Cost in Light Motor Vehicles) Saving of ₹855.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to bills for installation of GPS and providing SIM have been put on hold with prior approval of competent authority.
- (iv) Compensation to Municipal Corporation of Delhi Against Parking Fee – Saving of ₹3623.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was mainly due to less sale of vehicles and less realization of parking fee.
5. **Under Major Head “3055” – Road Transport – (a) Direction and Administration – Transport Department – Saving of ₹585.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills.**
- (b) Assistance to Public Sector and other undertakings – (i) Compensation for Meeting Deficit of Cluster Buses – Saving of ₹15609.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹140609.45 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹15609.45 lakhs) was mainly due to late submission of bill by DIMTS.
- (ii) Deployment of Marshall in DTC Buses – Saving of ₹7123.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was mainly due to scheme was withheld.
- (iii) Deployment of Marshall in Cluster Buses – Saving of ₹5693.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was mainly due to scheme was withheld.
- (iv) GIA to DTIDC for Implementation of Delhi Electric Vehicle Policy – Saving of ₹9000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to less subsidy distributed and due to technical issue in the Delhi Electronic Vehicles incentive portal the subsidy was not disbursed post June2023.

6. **मुख्यशीर्ष "3452"**— पर्यटन — (अ) पर्यटन अवस्थापना — सार्वजनिक क्षेत्र के व अन्य उपक्रमों का सहायता — (i) गार्डन ऑफ फाइव सेन्सेस के पुनर्विकास के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान — 2892.48 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की संकल्पना पर्यटन मंत्री द्वारा अनुमोदित की जा चुकी थी तथा अगले वित्तीय वर्ष में इस पर व्यय करने का निर्णय लेने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली फिल्म नीति के कार्यान्वयन के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान — 997.30 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयारी के स्तर पर रहने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान — 2986.36 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्थगित होने, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) द्वारा धनराशि वापस कर दिए जाने और बाद में अनुदान जारी करने के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ब) सामान्य — प्रोत्साहन एवं प्रचार — (i) दिल्ली एक गंतव्य-पर्यटन को प्रोत्साहन — 2877.92 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम भागीदारी होने और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) से सहायता अनुदान के रूप में धनराशि जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) पर्यटन आधारभूत ढाँचा — 3750.00 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य का निष्पादन प्रक्रियाधीन होने तथा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) से सहायता अनुदान के रूप में धनराशि जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली की छाप/पहचान के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान — 1250.00 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के अगले वित्त वर्ष के दौरान लागू करने तथा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) द्वारा धनराशि वापस कर दी जाने तथा बाद में अनुदान जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 4334.51 लाख रुपये की बचत बारह उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गई थी :-

1 **मुख्यशीर्ष "2235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण — समाज कल्याण — महिलाओं का कल्याण — विधवाओं को पेंशन — 8890.63 लाख रुपये का अधिक व्यय (100002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

2 **मुख्यशीर्ष "3055"**— सड़क परिवहन — निर्देशन एवं प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता — (i) घाटा पूर्ति के लिये डी.टी.सी. को सहायता अनुदान — 25633.20 लाख रुपये का अधिक व्यय (264366.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 39366.80 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अत्यधिक कार्यशील घाटे और देनदारियों के कारण हुआ।

(ii) महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को छूट — 10998.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (15002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः महिला यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण हुआ।

6. **Under Major Head “3452” – Tourism – (A) Tourism Infrastructure – Assistance to Public Sector and Other Undertakings – (i) Grant in aid to DTTDC for Re-development of Garden of Five Senses Policy – Saving of ₹2892.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was mainly due to conceptual plan of scheme had been approved by minister of Tourism & expenditure will be made in the next Financial Year.**

(ii) Grant in aid to DTTDC for Implementation of Delhi Film Policy – Saving of ₹997.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to operational guidelines were being prepared.

(iii) Grant in aid to DTTDC for Delhi International Film Festival – Saving of ₹2986.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to postponement of Delhi International Film Festival, refund of amount by Delhi Tourism and Transport Development Corporation (DTTDC) and further no proposal received for release of grant.

(B) General – Promotion and Publicity – (i) Promotion of Tourism – Delhi as a Destination – Saving of ₹2877.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to less participation and no proposal has been received regarding release of amount as GIA from Delhi Tourism and Transport Development Corporation (DTTDC).

(ii) Tourism Infrastructure – Saving of ₹3750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to execution of work was under process and no proposal has been received regarding release of amount as GIA from Delhi Tourism and Transport Development Corporation (DTTDC).

(iii) GIA to DTTDC for Branding Delhi – Saving of ₹1250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was mainly due to scheme would take place during the next financial year, refund of amount by Delhi Tourism and Transport Development Corporation (DTTDC) and further no proposal received for release of grant.

Further, saving of ₹4334.51 lakhs remained under twelve sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above said savings were partly off set by excesses under the following sub-heads: –

1. **Under Major Head “2235” – Social Security and Welfare – Social Welfare – Women Welfare – Pension to Widows – Excess of ₹8890.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to increase in beneficiaries.**

2. **Under Major Head “3055” – Road Transport – Direction and Administration – (i) Assistance to Public Sector and other undertakings – GIA in Aid to DTC for Working Deficit – Excess of ₹25633.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹264366.80 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹39366.80 lakhs) was mainly due to excess working deficit & liabilities.**

(ii) Subsidy to DTC for Female Commuters – Excess of ₹10998.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to more number of female commuters.

(iii) महिला यात्रियों के लिए क्लस्टर बसों को छूट - 7165.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (15002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः महिला यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण हुआ।

(iv) 579 ई-बसों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु सब्सिडी -5240.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ई-बसों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण हुआ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 68277.51 लाख रुपये की कुल बचत थी (296615.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 120440.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 23.02 प्रतिशत थी।

23764.00 लाख रुपये की राशि 25 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "4235"**- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - समाज कल्याण - (क) विकलांगों का कल्याण - विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (एस.आई.पी.डी. ए.) (सी.एस.एस) - 500.00 लाख रुपये - भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "6225"**- अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण - सामान्य - अन्य ऋण - मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना के अंतर्गत डीएसएफडीसी को ऋण - 500.00 लाख रुपये - मानक संचालन प्रतिक्रियों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "7055"** - सड़क परिवहन के लिए ऋण - सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण - जेआईसीए ऋण के पुर्नभुगतान के लिए डीएमआरसी को अधीनस्थ ऋण - 20000.00 लाख रुपये - वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण।
4. **मुख्यशीर्ष "5452"**- पर्यटन पर पूंजी परिव्यय - पर्यटक ढांचा - पर्यटक आवास - दिल्ली सदन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद - 2000.00 लाख रुपये - इस परियोजना को ई.एफ.सी. को संदर्भित करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

महिला एवं बाल विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4235"

सामाजिक सुरक्षा एवं
कल्याण पर पूंजी परिव्यय

मू.	1649.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-607.50)	1044.50	186.41	-858.09

**अ.जा./अ.ज.जा. एवं
पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग**

मुख्यशीर्ष "4225"

अ.जा./अ.ज.जा. एवं
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण
पर पूंजी परिव्यय

मू.	6500.00)			
पु.	-1435.00)	5065.00	3648.80	-1416.20

(iii) Subsidy to Cluster Buses for Female Commuters – Excess of ₹7165.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to more number of female commuters.

(iv) Subsidy for Electric Vehicles for 579 E - Buses – Excess of ₹5240.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to committed liability for procurement of e-buses.

In the Voted portion of the Capital Section of the grant, saving of ₹68277.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹296615.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹120440.50 lakhs) constituted 23.02% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹23764.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty-five sub-heads. This includes the following sub-heads: –

1. **Under Major Head “4235”** – Capital Outlay on Social Security and Welfare – Social Welfare – (a) Welfare of Handicapped – Scheme for Implementation of Persons with disabilities act 1995 (SIPDA) (CSS) – ₹500.00 Lakhs – due to non receipt of funds from Government of India.
2. **Under Major Head “6225”** – Loans for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes & Minorities – General – Other Loans – Loan to DSFDC Under Chief Minister Street Vendors Loan Scheme – ₹500.00 Lakhs – due to Standard Operating Procedure not finalized.
3. **Under Major Head “7055”** – Loans for Road Transport – Loans to Public Sector & Other Undertakings – Subordinate Debts to DMRC for Repayment to JICA Loan ₹20000.00 lakhs – due to approval of Finance Department could not be obtained before close of financial year.
4. **Under Major Head “5452”** – Capital Outlay on Tourism – Tourist Infrastructure – Tourist Accommodation – Purchase of Land for construction of Delhi Sadan – ₹2000.00 Lakhs – due to the project was being referred to EFC.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major heads: –

(In lakh of rupees)

Department for Women & Child Development

Major Head “4235”

Capital Outlay on Social Security & Welfare

O.	1649.00)			
S.	3.00)			
R.	-607.50)	1044.50	186.41	-858.09

Department for Welfare of SC/ST & Other Backward Classes

Major Head “4225”

Capital Outlay on Welfare of S.C./S.T. & Other Backward Classes

O.	6500.00)			
R.	-1435.00)	5065.00	3648.80	-1416.20

परिवहन विभाग

मुख्यशीर्ष "5055"

सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय

मू.	109473.00)			
पू.	75980.50)			
पु.	4978.50)	190432.00	144846.86	-45585.14

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4235"** - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय - समाज कल्याण - अन्य व्यय - विद्यमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डी.डब्ल्यू.सी.डी.) - 1248.14 लाख रुपये की बचत (1300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्वीकृति जारी होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने और प्रशासनिक कारणों से कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "4225"** - अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय - अनुसूचित जाति का कल्याण - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - अनुसूचित जातियों की बस्तियों का सुधार (एस.सी.एस.पी) - 2581.20 लाख रुपये की बचत (6500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आदर्श आचार संहिता के चलते क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य निष्पादित नहीं किए जा सकने, कार्य की धीमी प्रगति, जिन एजेंसियों को कार्य आवंटित किया गया उनके द्वारा कम दरें उद्धृत किए जाने के कारण प्रत्याशित धनराशि का उपयोग नहीं किए जा सकने के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "5055"** - सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय - (क) भूमि व भवन - नई तकनीक सहित बस डिपों और टर्मिनलों का निर्माण - 88056.42 लाख रुपये की बचत (130000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 40000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रथम अनुपूरक प्रावधानों में 450 करोड़ रुपये के समर्पण तथा द्वितीय अनुपूरक प्रावधानों में तकनीकी अनुपूरक के माध्यम से 400 करोड़ रुपये के बहाल किए जाने, मार्च 2024 के अंतिम सप्ताह में अतिरिक्त आवंटित धनराशि का उपयोग समय की कमी के कारण नहीं किए जा सकने के कारण हुई।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश - डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना (राज्य अंश) - 2495.75 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम निवेश और मामले में मध्यस्थता के कारण व्यय नहीं किए जा सकने के कारण हुई।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गई थी :-

1. **मुख्यशीर्ष "5055"** - सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय - अन्य व्यय - आरआरटीएस गलियारा - 50349.50 लाख रुपये का अधिक व्यय (14150.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 14149.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आरआरटी कॉरिडोर के लिए दिल्ली सरकार के हिस्से का प्रावधान रखने के कारण हुआ।

Transport Department
Major Head "5055"
Capital Outlay on Road
Transport

O.	109473.00)			
S.	75980.50)			
R.	4978.50)	190432.00	144846.86	-45585.14

Savings occurred more than ₹5.00 crore under the following sub heads:-

1. **Under Major Head "4235"** – Capital Outlay on Social Security and Welfare – Social Welfare – Other Expenditure – Provision of Additional Facilities in the Existing Buildings (DWCD) – Saving of ₹1248.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was mainly due to sanction issued but fund could not be utilized by PWD and some proposals were not approved due to administrative reasons.
2. **Under Major Head "4225"** – Capital Outlay on Welfare of S.C./S.T. & Other Backward Classes – Welfare of Scheduled Castes – Special Component Plan for Scheduled Castes – Improvement of SC Basties (SCSP) – Saving of ₹2851.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was mainly due to work could not be executed due to implementation of Model Code of Conduct by the executing agencies, slow progress of works & lesser rates quoted by the agencies to whom works were awarded, hence anticipated funds could not be utilized.
3. **Under Major Head "5055"** – Capital Outlay on Road Transport – (a) Land and Buildings – Construction of Bus Depots and Terminals Including New Technology – Saving of ₹88056.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹40000.00 lakhs) was mainly due to surrender of Rs 450 crore in 1st supplementary & Rs 400 crore restored in 2nd supplementary via technical supplementary and additional funds allocated in the last week of March'2024, thus could not be utilized due to paucity of time.

(b) Investment in Public Sector and Other Undertakings – Installation of CCCTV Cameras in DTC & Cluster Buses (State Share) – Saving of ₹2495.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to less investment and expenditure could not be incurred due to arbitration in the matter.

The above said savings were partly off set by excesses under the following sub-head: –

1. **Under Major Head "5055"** – Capital Outlay on Road Transport – Other Expenditure – RRTS Corridor – Excess of ₹50349.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14150.50 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹14149.50 lakhs) was mainly due to provision kept for Delhi Government share for RRT corridor.

अनुदान संख्या 9 – उद्योग

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
(हजार रूपयों में)				
राजस्व				
प्रभारित-				
मूल	3,00)			
पूरक	5,99,00)	6,02,00	5,81,14	-20,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-1,00
स्वीकृत-				
मूल	505,34,00)			
पूरक	13,40)	505,47,40	249,68,59	-255,78,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-140,62,10
पूंजीगत				
स्वीकृत -				
मूल	8,49,00)			
पूरक	31,24,20)	39,73,20	97,14	-38,76,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-32,46,00
टीका एवं टिप्पणियां				

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 20.86 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि (602.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 599.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 3.46 प्रतिशत थी ।

3.00 लाख रूपये की राशि 2 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 25578.81 लाख रूपये की कुल बचत थी जोकि (50547.40 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 13.40 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 50.60 प्रतिशत थी ।

17746.00 लाख रूपये की राशि पैंतीस उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "2851"** – ग्रामीण एवं लघु उद्योग – अनुसंधान एवं विकास – स्टार्टअप महोत्सव – 1000.00 लाख रूपये – योजना के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुतिकरण होने के कारण ।
2. **मुख्यशीर्ष "2852"** – उद्योग – सामान्य – औद्योगिक संवर्धन – (i) दिल्ली की चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 – 1000.00 लाख रूपये – ऑक्सीजन नीति को 30.06.2023 से आगे नहीं बढ़ाए जाने के कारण ।
(ii) दिल्ली इलेक्ट्रानिक सिटी के प्रचार और विकास के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान – 1000.00 लाख रूपये – डीएसआईआईडीसी से प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना के कारण ।

GRANT NO. 9 – INDUSTRIES

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
				(In thousand of rupees)
REVENUE				
Charged –				
Original	3,00)			
Supplementary	5,99,00)	6,02,00	5,81,14	-20,86
Amount surrendered during the year				-1,00
Voted –				
Original	505,34,00)			
Supplementary	13,40)	505,47,40	249,68,59	-255,78,81
Amount surrendered during the year				-140,62,10
CAPITAL				
Voted –				
Original	8,49,00)			
Supplementary	31,24,20)	39,73,20	97,14	-38,76,06
Amount surrendered during the year				-32,46,00

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹20.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹602.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹599.00 lakhs) constituted 3.46% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under two sub-heads.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹25578.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50547.40 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹13.40 lakhs) constituted 50.60% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹17746.00 lakhs remained wholly unutilised under thirty-five sub-heads. This includes the following sub heads: -

1. **Under Major Head “2851”** – Village & Small Industries – Research & Development – Start-up Festival – ₹1000.00 lakhs – due to the scheme was under submission for approval of competent authority.
2. **Under Major Head “2852”** – Industries – General – Industrial Promotion – (i) Medical Oxygen Production Promotion Policy of Delhi 2021 – ₹1000.00 lakhs - due to oxygen policy could not be extended beyond 30.06.2023.

(ii) Grant in Aid to DSIIDC for Promotion & Development of Dilli Electronic City – ₹1000.00 lakhs - due to the proposal from DSIIDC was likely to be received.

(iii) दिल्ली के गाँधी नगर गारमेंट हब के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान - 1500.00 लाख रुपये - योजना प्रक्रियाधीन होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2230"** - श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास - रोजगार सेवाएं - रोजगार बाजार 2.0 के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान - 1200.00 लाख रुपये - सहायता अनुदान जारी न किए जाने और प्रशासनिक कारणों से मेलों/रोजगार मेलों का आयोजन न किए जाने के कारण।
4. **मुख्यशीर्ष "2401"** - कृषि पालन - निर्देशन एवं प्रशासन - किसान आय सहायता - 4961.31 लाख रुपये - योजना लागू न होने के कारण।
5. **मुख्यशीर्ष "3456"** - नागरिक आपूर्ति - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान - 1000.00 लाख रुपये - मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के क्रियान्वित नहीं होने के कारण।

(ख) नागरिक आपूर्ति योजना - (i) मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना - 1000.00 लाख रुपये - योजना के अभी तक क्रियान्वित नहीं होने के कारण।

(ii) एन.एफ.एस के तहत खाद्यान्नों व एफपीएस डीलरों के मार्जिन के अंतर राज्य आवाजाही के लिए राज्य संस्थानों को सहायता (सी.एस.एस.) - 3901.00 लाख रुपये - भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता राशि प्राप्त होने की सम्भावना थी और यह धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण।

(ग) उपभोक्ता छूट - आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की जांच के लिए बाजारों पर हस्तक्षेप का प्रावधान- 500.00 लाख रुपये - बाजार हस्तक्षेप नहीं पाये जाने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

उद्योग विभाग

मुख्यशीर्ष "2851"

ग्रामीण तथा लघु उद्योग

मू.	5733.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-2261.00)	3475.00	2951.11	-523.89

मुख्यशीर्ष "2852"

उद्योग

मू.	7165.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-5515.00)	1651.00	136.49	-1514.51

रोजगार विभाग

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

मू.	3559.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-345.20)	3214.80	2950.69	-264.11

(iii) Grant in Aid to DSIIDC for Gandhi Nagar Garment Hub of Dilli – ₹1500.00 lakhs - due to scheme was under process.

3. **Under Major Head “2230”** – Labour Employment and Skill Development – Employment Services – GIA to DSEU for Rozgar Bazar 2.0 – ₹1200.00 lakhs - due to non release of Grant in aid and non organizing of fairs / rozgar mela due to administrative reasons.

4. **Under Major Head “2401”** – Crop Husbandary – Direction and Administration – Farmers’ Income Support – ₹4961.31 lakhs - due to scheme not implemented.

5. **Under Major Head “3456”** – Civil Supplies – (a) Direction & Administration – Campaign for Door Step Delivery of Ration – ₹1000.00 lakhs - due to non implementation of Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojna.

(b) Civil Supply Schemes – (i) Mukhya Mantri Ghar Ghar Rashan Yojana – ₹1000.00 lakhs - due to scheme yet to be implemented.

(ii) Assistance to State Agencies for Inter-state Movement of Food Grains and FPS Dealers Margin Under NFS (CSS) — ₹3901.00.00 lakhs - due to central assistance was likely to be received from Govt. of India and non receipt of funds from Govt. of India.

(c) Consumer Subsidies – Provision for Market Intervention to check the rising prices of Essential Commodity – ₹500.00 lakhs -- due to non marketing intervention has been found, hence, funds could not be utilized.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head:–

(In lakh of rupees)

Industries Department
Major Head “2851”
Village & Small Industries

O.	5733.00)			
S.	3.00)			
R.	-2261.00)	3475.00	2951.11	-523.89

Major Head “2852”

Industries				
O.	7165.00)			
S.	1.00)			
R.	-5515.00)	1651.00	136.49	-1514.51

Labour Department
Major Head “2230”
Labour Employment and Skill Development

O.	3559.00)			
S.	1.00)			
R.	-345.20)	3214.80	2950.69	-264.11

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले
मुख्यशीर्ष "3456"
नागरिक आपूर्ति

मू.	25421.19)			
पू.	8.40)			
पु.	25.91)	25455.50	16959.60	-8495.90

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई:-

- मुख्यशीर्ष "2851"** - ग्रामीण तथा लघु उद्योग - अनुसंधान और विकास - स्टार्टप्स को बढ़ावा - 1586.14 लाख रुपये की बचत (1600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के सक्षम अधिकारी के पास अनुमोदन हेतु विचाराधीन होने के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "2852"** - उद्योग - (क) उपभोगता उद्योग - अन्य - सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजनाओं का पीएम सूत्रीकरण (सी.एस.एस.) - 542.65 लाख रुपये की बचत (634.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण हुई।
(ख) सामान्य - औद्योगिक संवर्धन - गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के पुर्नजन्म के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान - 2375.67 लाख रुपये की बचत (2405.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डीएसआईआईडीसी से 20.00 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं प्रस्ताव सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के लिए विचाराधीन थे और वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व अनुमान स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी इसलिए धनराशि के अप्रयुक्त रह जाने के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "2230"** - श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास - श्रम - निर्देशन एवं प्रशासन - मुख्यालय स्थापना - 520.31 लाख रुपये की बचत (3471.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण व्यय, कम मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य, एमएसीपी बकाया व संशोधित वेतन निर्धारण नहीं हो सकने और अनुमानित मूल्य से कम मूल्य पर निविदाएं प्रदान किए जाने व एएमसी के लिए लगाई गई बोलियों पर समय पर अंतिम सहमति नहीं दिये जाने के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "3456"** - नागरिक आपूर्तियां - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - 1548.22 लाख रुपये की बचत (6532.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम खरीद, कम मरम्मत व रख-रखाव कार्य, रिक्त पदों के न भरने, गैर पैनल अधिवक्ताओं के लंबित बिलों, किराये के लंबित दावे और कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।
(ख) नागरिक आपूर्ति योजनाएं - गरीबी रेखा पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाना - 2030.05 लाख रुपये की बचत (2700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की मुफ्त आपूर्ति के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 409.19 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति संतुलित की गई थी :-

- मुख्यशीर्ष "3456"** - नागरिक आपूर्तियाँ - आपूर्ति - नागरिक आपूर्ति योजनाएं - एन.एफ.एस.ए के तहत खाद्यान्नों व एफपीएस डीलरों के मार्जिन के अंतर राज्य आवाजाही के लिए राज्य संस्थानों को सहायता (राज्य अंश) - 1373.95 लाख रुपये का अधिक व्यय (7001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः एफपीएस डीलर के मार्जिन मनी और परिवहन दावे के लंबित होने के कारण हुआ।

**Food & Civil Supplies &
Consumers Affairs
Major Head "3456"**

Civil Supplies

O. 25421.19)

S. 8.40)

R. 25.91)

25455.50

16959.60

-8495.90

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads:-

1. **Under Major Head "2851"** – Village & Small Industries – Research & Development – Promotion of Start-up – Saving of ₹1586.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was mainly due to scheme was under submission for the approval of competent authority.
2. **Under Major Head "2852"** – Industries – (a) Consumer Industries – Others – PM Formulation of Micro Food Processing Enterprises Schemes (CSS) – Saving of ₹542.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹634.00 lakhs) was mainly due to receipt of less funds from Government of India.

(b) General – Industrial Promotion – Grant in Aid to DSIIDC for Regeneration of Non-Conforming Industrial Area – Saving of ₹2375.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2405.00 lakhs) was mainly due to the proposal from DSIIDC had been received for Rs. 20.00 Crore and under submission for approval of competent authority and Administrative Approval and Estimate Sanction could not be accorded by Finance Department, hence the amount was left unutilised.

3. **Under Major Head "2230"** – Labour Employment and Skill Development – Labour – Direction and Administration – Headquarter Establishment – Saving of ₹520.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3471.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, less training expenses, less repair & maintenance work and MACP arrear and revised pay fixation could not be materialized, tender awarded at lower value than estimated and bids for AMC not finalized in time.
4. **Under Major Head "3456"** – Civil Supplies – (a) Direction & Administration – Saving of ₹1548.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6532.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills/claims, less procurement, less repair & maintenance work and non filling of vacant posts, pending bills of non-panel advocates, pending claims of rent and some proposal could not be finalized.

(b) Civil Supplies Schemes – Streamlining of Public Distribution System with Focus Upon Below Poverty Line – Saving of ₹2030.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was mainly due to free supply of specified food article by Govt. of India.

Further, saving of ₹409.19 lakhs remained under one sub-head which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above said savings were partly off set by excesses under the following sub-head: –

1. **Under Major Head "3456"** – Civil Supplies – Supplies – Civil Supplies Schemes – Assistance to State Agencies for Inter-state Movement of Food Grains and FPS Dealers Margin Under NFSA (State Share) – Excess of ₹1373.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to pending claim of margin of money of FPS dealers & transportation claims.

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 3876.06 लाख रुपये की कुल बचत थी (3973.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3124.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 97.55 प्रतिशत थी ।

3358.20 लाख रुपये की राशि नौ उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "4851"** – ग्रामीण व लघु उद्योगों पर पूँजी परिव्यय – लघु उद्योग – गांधी नगर मार्केट का पुर्नविकास प्रोजेक्ट – 2500.00 लाख रुपये – मुख्यतः योजना के कार्यान्वयन में देरी होने के कारण हुआ ।
2. **मुख्यशीर्ष "5475"** – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – नागरिक आपूर्ति – जिला मंच तथा राज्य आयोग को आवास उपलब्ध कराना – 501.00 लाख रुपये – मुख्यतः संसदीय चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किए जा सकने के कारण हुआ ।

इसके अतिरिक्त, 483.73 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

In the **Voted portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹3876.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3973.20 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3124.20 lakhs) constituted 97.55% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹3358.20 lakhs remained wholly unutilised under nine sub-heads. This includes the following sub heads: -

1. **Under Major Head “4851”** – Capital Outlay on Village and Small Industries – Small Scale Industries – Redevelopment Project of Gandhi Nagar Market – ₹2500.00 lakhs - due to implementation of scheme got delayed.
2. **Under Major Head “5475”** – Capital Outlay on Other General Economic Services – Civil Supplies – Providing Accomodation to District Forum and State Commission – ₹501.00 lakhs - due to Model Code of Conduct in vogue for Parliamentary Election, hence, the sanction could not be utilized by PWD.

Further, saving of ₹483.73 lakhs remained under one sub-head which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 10 – विकास

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)	
				(हजार रूपयों में)
राजस्व				
प्रभारित—				
मूल	21,45)			
पूरक	10)	21,55	50	-21,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-2,20
स्वीकृत —				
मूल	3848,39,77)			
पूरक	212,50,33)	4060,90,10	3643,28,19	-417,61,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-73,51,43
पूँजीगत				
प्रभारित—				
मूल	5,00)			
पूरक	19,31)	24,31	14,88	-9,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				कुछ नहीं
स्वीकृत				
मूल	588,84,78)			
पूरक	35,00)	589,19,78	319,25,97	-269,93,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				-182,67,98
टीका एवं टिप्पणियां				

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 21.05 लाख रूपये की कुल बचत थी (21.55 लाख रूपये के स्वीकृत विनियोजन एवं 0.10 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 97.68 प्रतिशत थी ।

15.55 लाख रूपये की राशि पॉच उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 41761.91 लाख रूपये की कुल बचत थी (406090.10 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 21250.33 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 10.28 प्रतिशत थी ।

5129.42 लाख रूपये की राशि 50 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "2225"**— अ.ज./अ.ज.जा एवं अन्य पिछडा वर्ग का कल्याण – अल्पसंख्यकों का कल्याण – आर्थिक विकास – अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सी.एस.एस.) – 900.00 लाख रूपये – भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण ।

GRANT NO. 10 – DEVELOPMENT

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	<u>21,45)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>10)</u>	<u>21,55</u>	<u>50</u>	<u>-21,05</u>
Amount surrendered during the year				<u>-2,20</u>
Voted -				
Original	3848,39,77)			
Supplementary	212,50,33)	4060,90,10	3643,28,19	-417,61,91
Amount surrendered during the year				-73,51,43
CAPITAL				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	<u>5,00)</u>			
<u>Supplementary</u>	<u>19,31)</u>	<u>24,31</u>	<u>14,88</u>	<u>-9,43</u>
Amount surrendered during the year				<u>Nil</u>
Voted –				
Original	588,84,78)			
Supplementary	35,00)	589,19,78	319,25,97	-269,93,81
Amount surrendered during the year				-182,67,98

Notes and Comments

In the **Charged portion of the Revenue Section** of the grant, saving of ₹21.05 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹21.55 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹0.10 lakhs) constituted 97.68% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹15.55 lakhs remained wholly unutilized under five sub-heads.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, saving of ₹41761.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹406090.10 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹21250.33 lakhs) constituted 10.28% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹5129.42 lakhs remained wholly unutilised under fifty sub-heads. This includes the following sub heads: -

- Under Major Head “2225” – Welfare of S.C./S.T & Other Backward Classes – Welfare of Minorities – Economic Development – Multi - Sectoral Development Programme for Minority concentration Districts (CSS) – ₹900.00 lakhs -- due to non receipt of funds from Government of India.**

2. मुख्यशीर्ष "2245" –प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत – आपदा राहत कोष – राहत कोष एवं जमा खातों में स्थानान्तरण–राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष – दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया कोष (केन्द्रीय अंश) – 1500.00 लाख रुपये – आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए डीडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2404"

डेयरी विकास

मू.	1400.00)	1400.00	397.42	-1002.58
-----	----------	---------	--------	----------

सिंचाई एवं बाढ़

नियंत्रण विभाग

मुख्यशीर्ष "2711"

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी

मू.	25273.85)			
पू.	1.60)			
पु.	-1442.49)	23832.96	22823.47	-1009.49

मण्डल आयुक्त कार्यालय

मुख्यशीर्ष "2030"

स्टाम्प और पंजीकरण

मू.	4605.00)			
पु.	-679.00)	3926.00	3869.28	-56.72

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	6461.16)			
पू.	1.00)			
पु.	-4494.41)	1967.75	732.40	-1235.35

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	15755.50)			
पु.	-3162.11)	12593.39	7226.71	-5366.68

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	1840.34)			
पु.	-854.64)	985.70	948.70	-37.00

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	9041.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-2745.09)	6297.91	6134.28	-163.63

2. **Under Major Head “2245” – Relief on Account of Natural Calamities – Calamity Relief Fund – Transfer to Relief Fund and Deposit accounts – State Disaster Response Fund – Delhi Disaster Response Fund (Center Share) – ₹1500.00 lakhs – due to sufficient fund was available in DDRF to meet out disaster like situation.**

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Development Department

Major Head “2404”

Dairy Development

O. 1400.00)	1400.00	397.42	-1002.58
-------------	---------	--------	----------

Irrigation & Flood Control Department

Major Head “2711”

Flood Control & Drainage

O. 25273.85)

S. 1.60)

R. -1442.49)	23832.96	22823.47	-1009.49
--------------	----------	----------	----------

Divisional Commissioner’s Office

Major Head “2030”

Stamps and Registration

O. 4605.00)

R. -679.00)

	3926.00	3869.28	-56.72
--	---------	---------	--------

Major Head “2052”

Secretariat General Services

O. 6461.16)

S. 1.00)

R. -4494.41)	1967.75	732.40	-1235.35
--------------	---------	--------	----------

Major Head “2053”

District Administration

O. 15755.50)

R. -3162.11)

	12593.39	7226.71	-5366.68
--	----------	---------	----------

Major Head “2070”

Other Administrative Services

O. 1840.34)

R. -854.64)

	985.70	948.70	-37.00
--	--------	--------	--------

Major Head “2235”

Social Security and Welfare

O. 9041.00)

S. 2.00)

R. -2745.09)	6297.91	6134.28	-163.63
--------------	---------	---------	---------

मुख्यशीर्ष "2245"प्राकृतिक आपदाओं
के लिए राहत

मू.	32685.00)			
पु.	-9446.00)	23239.00	15003.42	-8235.58

मुख्यशीर्ष "3604"स्थानीय निकायो तथा पंचायती
राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति
तथा कार्यभार

मू.	215500.00)			
पू.	21166.43)			
पु.	17333.57)	254000.00	253278.59	-721.41

वन विभाग**मुख्यशीर्ष "2406"**

वानिकी और वन्य जीवन

मू.	11378.62)			
पू.	2.00)			
पु.	1020.51)	12401.13	8134.86	-4266.27

पर्यावरण विभाग**मुख्यशीर्ष "3435"**

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

मू.	9885.00)			
पू.	5.00)			
पु.	-1044.00)	8646.00	6483.77	-2162.23

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2404"** - डेरी विकास - अन्य व्यय - डेरी कालोनियों का स्थानान्तरण - 1002.58 लाख रुपये की बचत (1400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः चार गौशालाओं के भोजन/रख-रखाव शुल्क के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा विभिन्न कारणों से सहमति नहीं दिए जा सकने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "2711"** - बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी - (अ) बाढ़ नियंत्रण - निर्देशन एवं प्रशासन - 614.60 लाख रुपये की बचत (3052.45 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान 1.60 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम खरीद होने, कम प्रशिक्षण व्यय, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण होने और आदर्श आचार संहिता के कारण आईटी से संबंधित कुछ प्रस्तावों पर स्वीकृति नहीं दे सकने के कारण हुई।
(ब) जल निकासी - मशीनरी व उपकरण - रख-रखाव - 1714.22 लाख रुपये की बचत (20323.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावे प्राप्त होने और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व स्थानान्तरण से रिक्त पदों के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "2030"** - स्टाम्प और पंजीकरण - गैर न्यायिक - स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय - राजस्व सचिव - 509.38 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने और स्टाम्प शुल्क जुटाने पर कम कमीशन देय होने के कारण हुई।

Major Head "2245"Relief on Account of
Natural Calamities

O. 32685.00)

R. -9446.00) 23239.00 15003.42 -8235.58

Major Head "3604"Compensation and Assignments
to local bodies & Panchayati

Raj Institutions:

O. 215500.00)

S. 21166.43)

R. 17333.57) 254000.00 253278.59 -721.41

Forest Department**Major Head "2406"**

Forestry and Wildlife

O. 11378.62)

S. 2.00)

R. 1020.51) 12401.13 8134.86 -4266.27

Environment Department**Major Head "3435"**

Ecology and Environment

O. 9885.00)

S. 5.00)

R. -1044.00) 8646.00 6483.77 -2162.23

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads:-

1. **Under Major Head "2404"** – Dairy Development – Other Expenditure – Shifting of Dairy Colonies – Saving of ₹1002.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was mainly due to proposal for feeding/maintenance charges of 04 Gaushalas could not be concurred by the Finance Department due to various reasons.
2. **Under Major Head "2711"** – Flood Control and Drainage – (A) Flood Control – Direction and Administration – Saving of ₹614.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3052.45 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.60 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills/claims, less procurement, less training expenses, retirement / transfer of staff and some proposals related to IT items could not be approved due to implementation of Model Code of Conduct.
(B) Drainage – Machinery & Equipment – Maintenance -- Saving of ₹1714.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20323.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claims and posts lying vacant due to retirement & transfer of staff.
3. **Under Major Head "2030"** – Stamps and Registration Stamps – Non Judicial – Expenses on Sale of Stamps – Secretary Revenue – Saving of ₹509.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills/claims and commission reduced for mobilization of stamp duty.

4. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – दिल्ली वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान – 5729.76 लाख रुपये की बचत (6462.16 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा सहायता अनुदान राशि जारी नहीं करने के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – (i) राजस्व सचिव – 1876.36 लाख रुपये की बचत (3550.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, कम मुद्रण व प्रकाशन होने, कम मरम्मत और रख-रखाव कार्य, रिक्त पदों व कर्मचारियों के स्थानांतरण, प्रत्याशित दावे/बिल प्राप्त न होने और कुछ व्ययों के अन्य लेखा शीर्षों में दर्ज किए जाने के कारण हुई।
- (ii) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा – 4541.68 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सरकार द्वारा यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप न दिए जाने से यात्रा के आयोजित नहीं होने के कारण हुई।
- (iii) विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं – 1909.47 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः धार्मिक गतिविधियों पर कम व्यय होने और नोडल शाखा (मुख्यालय) व जिला कार्यालयों द्वारा विक्रेताओं के बिलों के भुगतान न किए जाने के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – अन्य व्यय – नागरिक सुरक्षा – निर्देशन और प्रशासन – 886.13 लाख रुपये की बचत (1770.34 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावे प्राप्त होने, कम संख्या में स्वयंसेवकों को सेवा पर बुलाने, अपेक्षानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम न होने और कुछ प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
7. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – पुनर्वास – अन्य राहत उपाय – (i) जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापितों के संबंध में मासिक तदर्थ राहत का भुगतान – 955.36 लाख रुपये की बचत (3500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।
- (ii) रक्षा/दिल्ली पुलिस/अर्धसैनिक/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षाकर्मी के लड़ाई/कार्यवाही के दौरान मरने पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी – 1440.00 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावे प्राप्त होने और 40 से अधिक मामले मंत्रिसमूह (जीओएम) के समक्ष निर्णय हेतु लंबित होने के कारण हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "2245"** – प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत – (अ) बाढ़, तूफान इत्यादि – निशुल्क राहत – राजस्व सचिव – अन्य मदें – 5946.16 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जिला कार्यालयों द्वारा कॉविड-19 अवधि के लंबित भुगतानों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण हुई।
- (ब) सामान्य – (क) आपदा तैयारी में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र – आपदा प्रतिक्रिया कोष द्वारा वित्तपोषित संक्रमण/सर्वव्यापी महामारी कोष – 9318.52 लाख रुपये की बचत (9375.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल/दावे प्राप्त होने और दिल्ली में कोई भयावह स्थिति न होने से संपूर्ण व्यय नहीं किए जा सकने के कारण हुई।
- (ख) आपदा उन्मुख क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक योजना पर प्रबंधन – आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ – 521.74 लाख रुपये की बचत (1400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावे एवं जनशक्ति की नियुक्ति में देरी होने से अपेक्षित व्यय नहीं होने के कारण हुई।

4. **Under Major Head “2052”** – Secretariat General Services – Secretariat – Grant-in-aid to Delhi Wakf Board – Saving of ₹5729.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6462.16 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to non release of Grant-in-Aid by Finance Department.
5. **Under Major Head “2053”** – District Administration – District Establishments – (i) Secretary Revenue – Saving of ₹1876.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3550.50 lakhs) was mainly due to less procurement, less printing & publication, less repair & maintenance work, vacant posts & transfer of staff, anticipated Claims/bills not received and some expenditure booked in other Heads of accounts.
- (ii) Mukhyamantari Teerth Yatra – Saving of ₹4541.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was mainly due to yatra was not conducted, due to non finalization of yatra schedule by the Government..
- (iii) Services for Various Religious Activities – Saving of ₹1909.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due less expenditure incurred on religious activities and non settlement of bills of vendors by Nodal Branch (HQ) & Districts offices.
6. **Under Major Head “2070”** – Other Administrative Services – Other Expenditure – Civil Defence – Direction & Administration -- Saving of ₹886.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1770.34 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims, less number of volunteers called out for duty, training not conducted as per anticipations and some proposals were not received.
7. **Under Major Head “2235”** – Social Security and Welfare – Rehabilitation – Other Relief Measures – (i) Payment of Monthly Ad-hoc relief in respect of J&K Migrants – Saving of ₹955.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was mainly due to less beneficiaries.
- (ii) Exgratia Payment to Defence/Delhi Police/Para Milatry/ Home guard & Civil Defence Personnel dying in operation/war – Saving of ₹1440.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to receipt of less claims and more than 40 cases were pending for decision of Group of Ministers (GoM).
8. **Under Major Head “2245”** – Relief on Account of Natural Calamities – (A) Floods, Cyclones etc. – Gratuitous Relief – Secretary Revenue -- Other items -- Saving of ₹5946.16 lakhs (against sanctioned provision of ₹20000.00) was mainly due to pending payment of Covid-19 period were not settled by the districts offices.
- (B) General – (a) Centre for Training in Disaster Preparedness – Epidemic/Pandemic Financed From Disaster Response Fund – Saving of ₹9318.52 lakhs (against sanctioned provision of ₹9375.00) `was mainly due to receipt of less bills/claims and no disastrous situation in Delhi, hence, expenditure could not be met.
- (b) Management of Natural Disasters, Contingency Plans In Disaster Prone Areas – Disaster Management Cell – Saving of ₹521.74 lakhs (against sanctioned provision of ₹1400.00) was mainly due to less claim and expected expenditure was not incurred due to delay in hiring of manpower.

9. **मुख्यशीर्ष "3604"**— स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा कार्यभार – स्टैम्प ड्यूटी – (i) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – नई दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 2048.04 लाख रुपये की बचत (5500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के शुद्ध कर संग्रह, एनडीएमसी क्षेत्र में संपत्ति पंजीकरण की कम संख्या और एनडीएमसी को अपेक्षानुसार हस्तांतरण शुल्क जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।
10. **मुख्यशीर्ष "2406"**— वानिकी और वन्य जीवन – (अ) वानिकी – सामाजिक एवं खेती वानिकी – वृक्षारोपण योजना – वृक्षारोपण व वृक्षों के बीजों का वितरण – 865.53 लाख रुपये की बचत (3414.87 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों के प्राप्त होने और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डिजिटल उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई।
- (ब) वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास – राज्य क्षतिपूरक वनीकरण (एससीएएफ) – राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा कोष (एससीएफ) से वित्तपोषित वनीकरण – 1789.82 लाख रुपये की बचत (2568.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः सी.ए.एम.पी.ए. वार्षिक परिचालन योजना के अनुमोदन में देरी के कारण पौधारोपण नहीं किए जा सकने, भूमि का दाखिल खारीज न होने के कारण निविदाओं के प्रक्रियाधीन होने और पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान जारी नहीं किए जाने के कारण हुई।
11. **मुख्यशीर्ष "3435"**— पारिस्थितिकी और पर्यावरण – प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण – अन्य व्यय – (i) जन पर्यावरणीय जागरूकता और अन्य गतिविधिया – 1187.49 लाख रुपये की बचत (1201.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने और सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले गम्भीर प्रदूषण संकट से संबंधित अप्रत्याशित व्यय के लिए धनराशि रखे जाने के कारण हुई।
- (ii) पर्यावरण विभाग में तकनीकी तंत्र की स्थापना – 684.43 लाख रुपये की बचत (685.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः हरित अध्येताओं के भुगतान लंबित होने, फाइल प्रक्रियाधीन होने और प्रदूषण से निजात पाने के लिए ग्रीन वॉर रूम के लिए वाहनों को किराये पर लेने की योजना बंद किए जाने के कारण हुई।
- (iii) दिल्ली पार्क व बगीचा समितियां – 1702.07 लाख रुपये की बचत (2540.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एमसीडी/भूमि स्वमित्व एजेंसियों से अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं होने, 4.90 लाख रुपये की अव्ययित राशि उपलब्ध होने और शेष छमाही के लिए वेतन हेतु सांकेतिक प्रावधान रखे जाने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 5025.50 लाख रुपये की बचत 13 उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से, अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :-

1. **मुख्यशीर्ष "3604"**— स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा कार्यभार – स्टैम्प ड्यूटी – दिल्ली नगर निगम को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 18660.20 लाख रुपये का अधिक व्यय (231166.43 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2116643.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के शुद्ध कर संग्रह के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "3435"**— पारिस्थितिकी और पर्यावरण – प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण – वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम – प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपाय – 1836.64 लाख रुपये का अधिक व्यय (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वास्तविक व्यय के लिए लोक निर्माण विभाग को प्राधिकृत किये जाने के कारण हुआ।

9. **Under Major Head “3604”** – Compensation / Assignments to local bodies & Panchayati raj Institutions – Stamp Duty – (i) Share of Local Bodies Against tax Collections -- GIA to New Delhi Municipal Corporation in lieu of share in taxes -- Saving of ₹2048.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was mainly due to as per net tax collection of Govt. of NCT of Delhi, less number of property registration in NDMC area and transfer duty as expected was not released to NDMC.
10. **Under Major Head “2406”** – Forestry and Wild Life – (A) Forestry – Social and Farm Forestry – Plantation Scheme – Plantation and Distribution of Seedlings -- Saving of ₹865.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3414.87 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less claims and proposals for procurement of Digital Equipment not approved during the financial year 2023-24.
- (B) Afforestation and Eco-Development – State Compensatory Afforestation (SCA) – Compensatory Afforestation Financed from State Compensatory Afforestation Funds (SCAF) – Saving of ₹1789.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2568.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to late approval of CAMPA annual plan of operation, hence plantation could not be done, tenders were not processed due to non mutation of land and payment related to the work completed was not released.
11. **Under Major Head “3435”** – Ecology & Environment – Prevention and Control of Pollution – Other Expenditure – (i) Public Environment Awareness and Other Activities – Savings of ₹1187.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1201.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills and funds kept for the unforeseen expenditure to be declared by the Government related to Severe Pollution Crisis
- (ii) Technical Set up in the Department of Environment – Savings of ₹684.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹685.00 lakhs) was mainly due to payments of Green Fellows were pending & file was under process and discontinuation of hiring of vehicles for green War Room for fighting pollution.
- (iii) Delhi Parks and Garden Societies – Savings of ₹1702.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2540.00) was mainly due to NOC was not received from MCD/land owing agencies and unspent balance of Rs. 4.9 lakh was available and token provision kept for salary of remaining half year.

Further, Saving of ₹5025.50 lakhs occurred under thirteen sub-heads which was more than ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: -

1. **Under Major Head “3604”** – Compensation / Assignments to local bodies & Panchayati raj Institutions – Stamp Duty – GIA to Municipal Corporation of Delhi in lieu of share in taxes – Excess of ₹18660.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹231166.43 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2116643.00 lakhs) was mainly due to as per net tax collection of Govt. of NCT of Delhi.
2. **Under Major Head “3435”** – Ecology & Environment – Prevention and Control of Pollution – Prevention of Air and Water Pollution – Pollution Control and Emergency Measures – Excess of ₹1836.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to authorization to PWD for the actual expenditure released.

इसके अतिरिक्त, 701.74 लाख रुपये की बचत दो उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 9.43 लाख रुपये की कुल बचत थी (24.31 लाख रुपये के स्वीकृत विनियोजन एवं 19.31 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 38.79 प्रतिशत थी ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 26993.81 लाख रुपये की कुल बचत थी (58919.78 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 35.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 45.81 प्रतिशत थी ।

12716.78 लाख रुपये की राशि 15 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "4059"**— सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय — कार्यालय भवन — निर्माण — उपायुक्त कार्यालय — 1500.00 लाख रुपये — पिछले वर्ष की प्रतिबद्ध देनदारियों के अभी तक लंबित रहने और नोडल शाखा से कोई दावा प्राप्त नहीं होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "4202"**— शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय — खेल एवं युवा सेवाएं — जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास — 5500.00 लाख रुपये — खेल गतिविधियां आयोजित नहीं होने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "4702"** — लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय — भू-जल — जिला स्तर पर जल निकायों का विकास — 5500.00 लाख रुपये — पूंजीगत कार्य शुरू नहीं हो सकने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4515"

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों

पर पूंजी परिव्यय

मू.	12700.00)			
पू.	2.00)			
पु.	7128.00)	19830.00	15248.57	-4581.43

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

मुख्यशीर्ष "4702"

लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय

मू.	1400.00)			
पु.	-1100.00)	300.00	266.82	-33.18

मुख्यशीर्ष "4711"

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं

पर पूंजी परिव्यय

मू.	25055.00)			
पु.	-14864.99)	10190.01	8023.45	-2166.56

Further, Excess of ₹701.74 lakhs remained under two sub-heads which exceeds ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the **Charged portion of the Capital Section** of the grant, saving of ₹9.43 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹24.31 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹19.31 lakhs) constituted 38.79% of the total sanctioned appropriation.

In the **Voted portion of the Capital section** of the grant, the overall saving of ₹26993.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58919.78 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹35.00 lakhs) constituted 45.81% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹12716.78 lakhs remained wholly unutilized under fifteen sub-heads. This includes the following sub heads :-

1. **Under Major Head “4059”** – Capital Outlay on Public Works – Office Buildings – Construction – Dy. Commissioner Office – ₹1500.00 lakhs – due to the committed liabilities of previous year were still pending and no claim received from Nodal Branch.
2. **Under Major Head “4202”** – Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture – Sports and Youth Services – Development of Sports Facilities at District level — ₹5500.00 lakhs – due to non conduction of sports activities.
3. **Under Major Head “4702”** – Capital Outlay on Minor Irrigation – Ground Water – Development of Water Bodies at District Level – ₹5500.00 lakhs – due to capital work could not be taken up.

Saving / Excess occurred mainly under the following Major heads: –

(In lakh of rupees)

Development Department

Major Head “4515”

Capital Outlay on Other

Rural Development Programme

O. 12700.00)

S. 2.00)

R. 7128.00) 19830.00 15248.57 -4581.43

Irrigation and Flood

Control Department

Major Head “4702”

Capital Outlay on Minor Irrigation

O. 1400.00)

R. -1100.00) 300.00 266.82 -33.18

Major Head “4711”

Capital Outlay on Flood

Control Projects

O. 25055.00)

R. -14864.99) 10190.01 8023.45 -2166.56

वन विभाग

मुख्यशीर्ष "4406"

वानिकी और वन्य जीवन
पर पूँजी परिव्यय

मू.	5600.00)			
पू.	4.00)			
पु.	2313.10)	7917.10	7873.14	-43.96

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4702"**— लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय — भूजल — जल निकायों का पुनरुद्धार और संरक्षण — 1133.18 लाख रुपये की बचत (1400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निविदाओं को अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं करने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "4711"**— बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय — जल निकासी — (क) नागरिक कार्य — नालियों का पुनरुद्धार — 1918.48 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की प्रगति के अनुसार प्रावधान रखे जाने, प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति समय पर प्राप्त न होने और ठेकेदारों द्वारा कम प्रतिशत की दरें उद्धृत किए जाने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय — (i) अन्य जल निकासी कार्य — 13865.48 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ कार्य शुरू न होने, नई खरीदी गई मशीनों को एजेंसी द्वारा स्थापित न किए जाने, एनजीटी व जीआरएपी के प्रतिबंध के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका जिसकी वजह से एजेंसी/ठेकेदारों द्वारा कोई नया बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई।

(ii) प्रमुख जल निकासी कार्य — 724.39 लाख रुपये की बचत (995.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः यथोचित कार्य की प्रगति हांसिल न होने और एजेंसी द्वारा समय पर बिलों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 960.19 लाख रुपये की बचत दो उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :-

1. **मुख्यशीर्ष "4515"**— अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजी परिव्यय — ग्रामीण विकास — ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के अन्तर्गत कार्य हेतु ग्रामीण विकास बोर्ड (आईडीआरयूवी) — 2463.06 लाख रुपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः नये कार्यों के अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "4406"**— वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय — पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन — (क) वन्य जीवन — वन्य जीव अभयारण्यों/वन्य जीव खण्ड का विकास — 998.89 लाख रुपये का अधिक व्यय (1501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः ईटीएफ परियोजनाओं के लिए प्रावधान रखे जाने, अभयारण्य में विकास कार्यों और बकाया बिलों का निपटारा करने के कारण हुआ।

(ख) सार्वजनिक उद्यान — चकबंदी सहित वनों का विकास — 1295.18 लाख रुपये का अधिक व्यय (4052.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः नवीन पौधा रोपन व नई पौधा नर्सरी के विकास के लिए प्रावधान रखे जाने और बकाया बिलों का निपटारा करने के कारण हुआ।

Forest Department

Major Head "4406"

Capital Outlay on Forestry & Wildlife

O.	5600.00)			
S.	4.00)			
R.	2313.10)	7917.10	7873.14	-43.96

Savings occurred more than ₹5.00 crore under the following sub heads:-

1. **Under Major Head "4702"** – Capital Outlay on Minor Irrigation – Ground Water – Rejuvenation & Preservation of Water Bodies – Saving of ₹1133.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was mainly due to non finalization of tender.
2. **Under Major Head "4711"** – Capital Outlay on Flood Control Projects – Drainage –
(a) Civil Works – Rejuvenation of Drains – Saving of ₹1918.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per progress of work, non receipt of administrative approval & expenditure sanction in time and contractors quoted less percentage rates.

(b) Other Expenditure – (i) Other Drainage Works – Saving of ₹13865.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was mainly due to some work not initiated, newly procured machines were not commissioned by the agency and the works could not be completed due to NGT ban, GRAP, hence no further bills submitted by agency /contractor.

(ii) Major Drainage Works – Saving of ₹724.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹995.00 lakhs) was mainly due to work progress could not be achieved and bills were not submitted by the agency in time.

Further, Savings of ₹960.19 lakhs remained under two sub-head which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub-heads: -

1. **Under Major Head "4515"** – Capital Outlay on Other Rural Development Programme – Rural Development – Village Development Board for works under Integrated Development of Rural Villages (IDRUV) – Excess of ₹2463.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to sanction on new work.
2. **Under Major Head "4406"** – Capital Outlay on Forestry & Wildlife – Environmental Forestry & Wildlife – (a) Wildlife – Development of Wildlife sanctuary/ Wildlife Section -- Excess of ₹998.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for ETF projects, development work in sanctuary & clearance of outstanding bills.

(b) Public Gardens – Development of forest including consolidations -- Excess of ₹1295.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4052.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision kept for new plantation/ opening of new nursery and clearance of outstanding bills.

अनुदान संख्या 11 – शहरी विकास तथा लोक निर्माण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित—			
मूल	4,00)		
पूरक	1,00)	5,00	35
			-4,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-1,00
स्वीकृत —			
मूल	12330,29,13)		
पूरक	692,61,12)	13022,90,25	11063,79,28
			-1959,10,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-453,62,50
पूंजीगत			
प्रभारित—			
मूल	50,00,00)		
पूरक	75,00,00)	125,00,00	124,97,35
			-2,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत —			
मूल	12551,67,87)		
पूरक	53,00)	12552,20,87	7405,77,79
			-5146,43,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-3187,41,87

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 4.65 लाख रुपये की कुल बचत हुई (5.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 93.00 प्रतिशत थी ।

4.00 लाख रुपये की राशि तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 195910.97 लाख रुपये की कुल बचत हुई (1302290.25 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 69261.12 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 15.04 प्रतिशत थी ।

GRANT NO. 11 – URBAN DEVELOPMENT AND PUBLIC WORKS

		Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)				
REVENUE				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	4,00)			
<u>Supplementary</u>	1,00)	5,00	35	-4,65
Amount surrendered during the year				-1,00
Voted -				
Original	12330,29,13)			
Supplementary	692,61,12)	13022,90,25	11063,79,28	-1959,10,97
Amount surrendered during the year				-453,62,50
CAPITAL				
<u>Charged –</u>				
<u>Original</u>	50,00,00)			
<u>Supplementary</u>	75,00,00)	125,00,00	124,97,35	-2,65
Amount surrendered during the year				Nil
Voted –				
Original	12551,67,87)			
Supplementary	53,00)	12552,20,87	7405,77,79	-5146,43,08
Amount surrendered during the year				-3187,41,87

Notes and Comments

In the **Charged portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹4.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) constituted 93.00% of the total sanctioned appropriation.

An amount of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilized under three sub-heads.

In the **Voted portion of Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹195910.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1302290.25 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹69261.12 lakhs) constituted 15.04% of the total sanctioned provision.

125292.15 लाख रुपये की राशि 15 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2217"**— शहरी विकास — (अ) अन्य शहरी विकास योजनाएं — (क) निर्देशन एवं प्रशासन —
 - (i) दिल्ली के फूड हब का पुनर्विकास — 500.00 लाख रुपये — योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकने और प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।
 - (ii) खुदरा बाजार का नवीनीकरण और संवर्धन — 5000.00 लाख रुपये — योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सकने और प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।
 - (ख) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता — अमृत 2.00 के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान (सीएसएस) — 117700.00 लाख रुपये — अमृत सरोवर तथा एसडब्ल्यूपी द्वितीय के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि जारी नहीं किये जाने के कारण।
 - (ब) सामान्य — स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता — (i) स्वच्छ भारत अभियान (सी.एस.एस) — क्षमता निर्माण एवं ए.व.ओई (सी.एस.एस) के लिए शहरी विकास विभाग — 500.00 लाख रुपये — भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।
 - (ii) जन जागरूकता व आईईसी कार्यकलापों के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस) — 500.00 लाख रुपये — भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "3475"**— अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं — शहरी अभिमुख रोजगार कार्यक्रम — 538.15 लाख रुपये — भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में प्रावधान रखा गया था और उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	1420.00)			
पू.	3.00)			
पु.	398.11)	1024.89	912.99	-111.90

मुख्यशीर्ष "2215"

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

मू.	286500.00)			
पू.	20.00)			
पु.	-29120.00)	257400.00	182846.88	-74553.12

मुख्यशीर्ष "2216"

आवास

मू.	6501.00)			
पू.	1.00)			
पु.	498.00)	7000.00	5875.00	-1125.00

An amount of ₹125292.15 lakhs remained wholly unutilized under fifteen sub-heads. This includes the following sub heads: –

1. **Under Major Head “2217” – Urban Development – (A) Other Urban Development Schemes –(a) Direction and Administration – (i) Redevelopment of Dilli’s Food Hubs – ₹500.00 lakhs – due to scheme could not be implemented and proposal was not received.**
 - (ii) Renewal and Promotion of Retail Markets – ₹5000.00 lakhs – due to scheme could not be implemented and proposal was not received.
 - (b) Assistance to Local Bodies Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – GIA to MCDs / NDMC for Amrut 2.0 (CSS) – ₹117700.00 lakhs – due to no funds has been released by the Govt. of India under AMRIT SAROVAR as well as SWAP-II.
 - (B) General – Assistance to Local Bodies Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards – (i) Swachh Bharat Mission (CSS) – Urban Development Department for Capacity Building and A & OE (CSS) – ₹500.00 lakhs – due to funds not received from Government of India.
 - (ii) Urban Development Department for Public Awareness and IEC Activities (CSS) – ₹500.00 lakhs – due to funds not received from Government of India.
2. **Under Major Head “3475” – Other General Economic Services – Urban oriented employment Programmes – ₹538.15 lakhs – due to provision kept in anticipation that the funds will be received from Government of India and proper proposals not received.**

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

**Urban Development Department
Major Head “2052”**

Secretariat – General Services

O.	1420.00)			
S.	3.00)			
R.	-398.11)	1024.89	912.99	-111.90

Major Head “2215”

Water Supply and Sanitation

O.	286500.00)			
S.	20.00)			
R.	-29120.00)	257400.00	182846.88	-74553.12

Major Head “2216”

Housing

O.	6501.00)			
S.	1.00)			
R.	498.00)	7000.00	5875.00	-1125.00

मुख्यशीर्ष "2217"

शहरी विकास

मू.	245427.85)			
पू.	15135.65)			
पु.	-77764.88)	182798.62	129451.64	-53346.98

लोक निर्माण विभाग**मुख्यशीर्ष "2059"**

लोक निर्माण

मू.	55210.13)			
पू.	7.00)			
पु.	2331.61)	57548.74	54039.25	-3509.49

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	1000.00)			
पु.	-700.00)	300.00	271.73	-28.27

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	30260.00)			
पू.	7503.00)			
पु.	3270.00)	41033.00	39645.77	-1387.23

मुख्यशीर्ष "2216"

आवास

मू.	12875.00)			
पु.	-280.40)	12594.60	11861.37	-733.23

मुख्यशीर्ष "3054"

सडकें एवं पुल

मू.	10900.00)			
पू.	17504.00)			
पु.	55987.41)	84391.41	82862.32	-1529.09

ऊर्जा विभाग**मुख्यशीर्ष "2801"**

ऊर्जा

मू.	328288.00)			
पू.	10001.50)			
पु.	20.30)	338309.80	327021.24	-11288.56

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2052"**- सचिवालय - सामान्य सेवाएं - सचिवालय - शहरी विकास विभाग - 510.01 लाख रुपये की बचत (1423.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, बिलों की प्राप्ति न होने, कम खरीद, कम प्रशिक्षण व्यय, विदेशी दौरे न होने और चिकित्सा पर व्यय का पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकने के कारण हुई।

Major Head "2217"

Urban Development

O. 245427.85)

S. 15135.65)

R. -77764.88)

182798.62

129451.64

-53346.98

Public Works Department**Major Head "2059"**

Public Works

O. 55210.13)

S. 7.00)

R. 2331.61)

57548.74

54039.25

-3509.49

Major Head "2202"

General Education

O. 1000.00)

R. -700.00)

300.00

271.73

-28.27

Major Head "2210"

Medical & Public Health

O. 30260.00)

S. 7503.00)

R. 3270.00)

41033.00

39645.77

-1387.23

Major Head "2216"

Housing

O. 12875.00)

R. -280.40)

12594.60

11861.37

-733.23

Major Head "3054"

Roads and Bridges

O. 10900.00)

S. 17504.00)

R. 55987.41)

84391.41

82862.32

-1529.09

Power Department**Major Head "2801"**

Power

O. 328288.00)

S. 10001.50)

R. 20.30)

338309.80

327021.24

-11288.56

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub heads :-

1. **Under Major Head "2052"** – Secretariat – General Services – Secretariat – Urban Development Department – Saving of ₹510.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1423.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, non receipt of bills, less procurement, less training expenses, no foreign tour and expenditure on medical could not be anticipated.

2. **मुख्यशीर्ष "2215"**— जल आपूर्ति एवं सफाई – (अ) जल आपूर्ति – (क) शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम – मुफ्त पानी के कनेक्शन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 7500.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं इत्यादि को सहायता – (i) दिल्ली जल बोर्ड को अनाधिकारित कालोनियों में पीने योग्य जल की आपूर्तिक के लिये अनुदान – 8823.20 लाख रुपये की बचत (24002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली जल बोर्ड को झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जल आपूर्ति के लिए अनुदान – 661.74 लाख रुपये की बचत (1001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली जल बोर्ड को कच्चे पानी के लिए अनुदान – 4387.26 लाख रुपये की बचत (10001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) जल गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 789.01 लाख रुपये की बचत (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं जियो टैगिंग के अभाव में शेष धनराशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(v) आई.टी/क्षमता निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 1722.00 लाख रुपये की बचत (2401.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं जियो टैगिंग के अभाव में शेष धनराशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को छूट – 13686.00 लाख रुपये की बचत (60000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ब) मल व्ययन तथा सफाई – (क) हवा और पानी के प्रदूषण की रोकथाम – पानी के उपचार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 2050.75 लाख रुपये की बचत (7090.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं इत्यादि को सहायता – (i) अनाधिकृत बस्तियों में मल व्ययन सुविधाओं के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 57128.99 लाख रुपये की बचत (158000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) यमुना कायाकल्प के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 5785.51 लाख रुपये की बचत (8502.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

2. **Under Major Head “2215” – Water Supply & Sanitation – (A) Water Supply – (a) Urban Water Supply Programme – Grant in Aid to Delhi Jal Board for Free Water Connection – Saving of ₹7500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid.**

(b) Assistance to local bodies, Municipalities etc. – (i) Grant-in-aid to Delhi Jal Board for Providing Potable Water Supply in Unauthorized Colonies – Saving of ₹8823.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24002.00 lakhs inclusive of Supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to improper proposal received from Delhi Jal Board.

(ii) Grant-in-aid to DJB for water in JJ Clusters – Saving of ₹661.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to improper proposal received from Delhi Jal Board.

(iii) GIA to Delhi Jal Board for Raw Water – Saving of ₹4387.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and improper proposal received from Delhi Jal Board.

(iv) GIA to Delhi Jal Board for Water Quality Control – Saving of ₹789.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and in the absence of Geo Tagging, no proposals of balance fund received.

(v) GIA to Delhi Jal Board for IT/Capacity Building – Saving of ₹1722.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2401.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and in the absence of Geo Tagging, no proposals of balance fund received.

(c) Other Expenditure – Subsidy to Consumers through Delhi Jal Board – Saving of ₹13686.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60000.00 lakhs) was mainly due to improper proposal received from Delhi Jal Board.

(B) Sewerage & Sanitation – (a) Prevention of Air and Water Pollution – GIA to Delhi Jal Board for use of Treated Effluent – Saving of ₹2050.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7090.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and improper proposal received from Delhi Jal Board.

(b) Assistance to local bodies, Municipalities etc. – (i) GIA to Delhi Jal Board for Sewage Facility in Unauthorised Colonies – Saving of ₹57128.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹158000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and improper proposal received from Delhi Jal Board.

(ii) GIA to Delhi Jal Board for Yamuna Rejuvenation – Saving of ₹5785.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8502.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and improper proposal received from Delhi Jal Board.

3. **मुख्यशीर्ष "2216"**— आवास — सामान्य — सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता — रात्रि विश्राम स्थलों के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान — 2125.00 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2217"**— शहरी विकास — (अ) अन्य शहरी विकास योजनाएं — स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता — शाहजनाबाद पुर्नविकास निगम को सहायता अनुदान — 3450.00 लाख रुपये की बचत (4600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने तथा नई परियोजनाओं की डीपीआर प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ब) सामान्य — (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता — स्वच्छ भारत अभियान (सीएसएस) — 11450.00 लाख रुपये की बचत (35001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2059"** — लोक निर्माण — सामान्य — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — स्थापना प्रभार — 4641.86 लाख रुपये की बचत (26554.08 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद और कम प्रशिक्षण व्यय के कारण हुई।

(ख) रखरखाव एवं मरम्मत — कार्य प्रभारित स्थापना — 1108.50 लाख रुपये की बचत (4501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने, डब्लूसी कर्मचारियों की सेवनिवृत्ति और वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप व्यय होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा — माध्यमिक शिक्षा — इमारतों का रख-रखाव — सरकारी स्कूलों में सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के व्यापक रखरखाव — 728.27 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — शहरी स्वास्थ्य सेवायें—ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — रखरखाव एवं मरम्मत — कार्य प्रभारित स्थापना — 1654.91 लाख रुपये की बचत (3600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिल प्राप्त होने तथा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप व्यय होने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2216"**— आवास — सामान्य पूल आवास — रखरखाव तथा मरम्मत — (i) दिल्ली सरकार कर्मचारी आवास — 1406.61 लाख रुपये की बचत (4573.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल/स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) रखरखाव एवं मरम्मत — मरम्मत — 1321.84 लाख रुपये की बचत (5500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

— कार्य प्रभारित स्थापना — 880.25 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिल प्राप्त होने, कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवनिवृत्ति और वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप व्यय होने के कारण हुई।

3. **Under Major Head “2216”** – Housing – General – Assistance to Public sector & other undertakings – Grants to DUSIB for construction of Night Shelters – Saving of ₹2125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and proposal was not received.
4. **Under Major Head “2217”** – Urban Development – (A) Other Urban Development Schemes – Assistance to Local Bodies Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – GIA to Shahjanabad Redevelopment Corporation – Saving of ₹3450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4600.00 lakhs) was mainly due to release of less Grant in aid and DPR of new projects have not been received.

(B) General – (a) Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – Swachh Bharat Mission (CSS) – Saving of ₹11450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to receipt of less grant from Government of India.
5. **Under Major Head “2059”** – Public Works – General – (a) Direction and Administration – Establishment Charges – Saving of ₹4641.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26554.08 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹4.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills, less procurement and less training expenses.

(b) Maintenance and Repairs – Work Charge Establishment – Saving of ₹1108.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4501.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills, retirement of WC staff and expenditure as per actual.
6. **Under Major Head “2202”** – General Education – Secondary Education – Maintenance of Buildings – Comprehensive Maintenance of Civil & Electrical Works in Govt. Schools -- Saving of ₹728.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to less bill received.
7. **Under Major Head “2210”** – Medical and Public Health – Urban Health Services- Allopathy – Hospital & Dispensaries – Maintenance and Repairs – Work Charge Establishment – Savings of ₹1654.91 lakhs (against the sanctioned provision of 3600.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bill and expenditure as per actual requirement.
8. **Under Major Head “2216”** – Housing – General Pool Accommodation – Maintenance & Repairs – (i) Delhi Govt. Staff Quarters – Saving of ₹1406.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4573.00 lakhs) was mainly due to less bill/sanction received.

(ii) Maintenance and Repairs – Maintenance – Saving of ₹1321.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of anticipated bills in the month of March.

– Workcharge Establishment – Saving of ₹880.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills, retirement of workcharge staff and expenditure as per actual.

9. **मुख्यशीर्ष "3054"**— सड़कें एवं पुल — (अ) जिला एवं अन्य सड़कें — मरम्मत एवं रखरखाव — जिला सड़कें — कार्य प्रभार स्थापना — 1961.52 लाख रुपये की बचत (6500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिल प्राप्त होने, कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवनिवृत्ति और वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप व्यय होने के कारण हुई।

(ब) सामान्य — अनुसंधान और विकास — विभिन्न गलियारों का व्यवहार्यता अध्ययन — 842.69 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम संख्या में किए गए अध्ययनों के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "2801"**— ऊर्जा — प्रेषण और वितरण — अन्य व्यय — (i) डिस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को छूट — 10078.00 लाख रुपये की बचत (335000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लोक सभा आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शेष सब्सिडी जारी नहीं हो सकने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को सहायता अनुदान — 1119.21 लाख रुपये की बचत (3201.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, सहायता अनुदान राशि की तीसरी किस्त मार्च 2024 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त होने के कारण भुगतान समय पर प्रसंस्कारित नहीं कर सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2085.99 लाख रुपये की बचत छः उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2216"**— आवास — सामान्य — सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता — रात्रि विश्राम स्थलों में भोजन सुविधाओं के लिए दि.श.आ.सु.बोर्ड को सहायता — 1499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2217"**— शहरी विकास — सामान्य — (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता — मलवाहन व सफाई सेवा के मशीनीकरण व सुदृढीकरण हेतु दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 4661.28 लाख रुपये का अधिक व्यय (59946.85 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — (i) सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.पी.) — 617.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (408.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) पैसे दो और प्रयोग करो जन-सुविधा परिसरों के निर्माण हेतु डी.यू.एस.आई.बी. को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.पी.) — 2249.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (8001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक सहायता अनुदान जारी होने एवं अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2059"** — लोक निर्माण — सामान्य — रखरखाव और मरम्मत — (i) न्यायालय भवन — 3981.32 लाख रुपये का अधिक व्यय (5002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रख-रखाव के कार्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

9. **Under Major Head “3054” – Roads and Bridges – (A) District and Other Roads – Maintenance and Repairs – District Roads – Work Charge Establishment – Saving of ₹1961.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs) was mainly due to vacant posts, receipt of less bills, retirement of workcharge staff and expenditure as per actual.**

(B) General – Research and Development – Feasibility Studies of Various Corridors – Saving of ₹842.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to less number of studies conducted.

10. **Under Major Head “2801” – Power – Transmission and Distribution – Other Expenditure – Subsidy to Consumers Through DISCOMS – Saving of ₹10078.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹335000.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to implementation of Model Code of Conduct for the General Election of the Lok Sabha, remaining subsidy could not be released.**

(ii) Grant-in-aid to DERC – Saving of ₹1119.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3201.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to vacant posts and receipt of 3rd installment of GIA in the first week of March'2024, thus payment could not be processed timely.

Further, saving of ₹2085.99 lakhs remained in six sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above said savings were partly off-set by excesses under the following sub heads:-

1. **Under Major Head “2216” – Housing – General – Assistance to Public sector & other undertakings – Grants to DUSIB for Providing Food Facility at Night Shelters – Excess of ₹1499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.**

2. **Under Major Head “2217” – Urban Development – General – (a) Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc. – GIA to Municipal Corporation of Delhi for Mechanisation of Conservancy and Sanitation – Excess of ₹4661.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹59946.85 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹3.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.**

(b) Special Component Plan for Scheduled Castes – (i) Grant-in-aid to DUSIB for construction of Community Halls (SCSP) – Excess of ₹617.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹408.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid.

(ii) Grant-in-aid to DUSIB for construction of Pay & Use Jan Suvidha Complexes (SCSP) – Excess of ₹2249.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of more Grant in aid and improper proposal received.

3. **Under Major Head “2059” – Public Works – General – Maintenance and Repairs – (i) Court Building – Excess of ₹3981.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to increase in maintenance work.**

(ii) रखरखाव और मरम्मत – रखरखाव – 1717.91 लाख रुपये का अधिक व्यय (15001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रख-रखाव के कार्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

4. मुख्यशीर्ष "2210" – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) रखरखाव एवं मरम्मत – रखरखाव – 7268.52 लाख रुपये का अधिक व्यय (27500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः मार्च माह में प्रत्याशित बिल प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(ii) भवन – लोक नायक अस्पताल – 969.85 लाख रुपये का अधिक व्यय (1001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रख-रखाव के कार्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

– गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल – 561.02 लाख रुपये का अधिक व्यय (751.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रख-रखाव के कार्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य – ऐलोपैथी – भवन – मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भवन – 687.38 लाख रुपये का अधिक व्यय (301.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रख-रखाव के कार्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

5. मुख्यशीर्ष "3054" – सड़कें तथा पुल – जिला तथा अन्य सड़कें – रखरखाव तथा मरम्मत – जिला सड़कें – स्ट्रीट लाइट बिजली बिल – 12154.95 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्ट्रीट लाइट और बिजली के लिए प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।

(ii) रखरखाव – 37146.10 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 2075.18 लाख रुपये का अधिक व्यय पांच उपशीर्षों के अन्तर्गत था जोकि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 5.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के प्रभारित अंश के स्वीकृत अंश में 2.65 लाख रुपये की कुल बचत थी (12500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 7500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 0.02 प्रतिशत थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 514643.08 लाख रुपये की कुल बचत थी (1255220.87 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 53.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 41.00 प्रतिशत थी।

181904.00 लाख रुपये की राशि 27 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं:-

1. मुख्यशीर्ष "4217" – शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय – अन्य शहरी विकास योजनाएँ – निर्माण – मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास – 30000.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(ii) Maintenance and Repairs – Maintenance – Excess of ₹1717.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to increase in maintenance work.

4. **Under Major Head “2210” – Medical and Public Health – (A) Urban Health Services- Allopathy – Hospital & Dispensaries – (i) Maintenance and Repairs – Maintenance – Excess of ₹7268.52 lakhs (against the sanctioned provision of 27500.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of anticipated bills in the month of March.**

(ii) Buildings – Lok Nayak Hospital – Excess of ₹969.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to increase in maintenance work.

– G.T.B Medical College & Hospital – Excess of ₹561.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹751.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to increase in maintenance work

(B) Medical Education, Training and Health – Allopathy – Buildings – M.A.M College Buildings – Excess of ₹687.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹301.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to increase in maintenance work.

5. **Under Major Head “3054” – Roads and Bridges – District and Other Roads – Maintenance and Repairs – District Roads – Street Light Electricity Bills – Excess of ₹12154.95 lakhs (against the supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for street lights & electricity.**

– Maintenance – Excess of ₹37146.10 lakhs (against the supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to payment of committed liabilities.

Further, Excess of ₹2075.18 lakhs remained in five sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

In the Charged portion of Capital Section of the grant, the overall saving of ₹2.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹7500.00 lakhs) constituted 0.02% of the total sanctioned provision.

In the Voted portion of Capital Section of the grant, the overall saving of ₹514643.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1255220.87 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹53.00 lakhs) constituted 41.00% of the total sanctioned provision.

An amount of ₹181904.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty-seven sub-heads. This includes the following sub heads: –

1. **Under Major Head “4217” – Capital Outlay on Urban Development – Other Urban Development Schemes – Construction – Chief Minister Local Area Development – ₹30000.00 lakhs – due to slow pace of work.**

2. **मुख्यशीर्ष "6215"**— जल आपूर्ति व सफाई के लिए ऋण — जल आपूर्ति — निर्माण — स्थानीय निकायों, नगर पालिका इत्यादि को ऋण — (i) चंद्रावल जल शोधन संयंत्र— जेआईसीए के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (केन्द्रीय अंश) — 20000.00 लाख रुपये — भारत सरकार से केन्द्रीय अंश प्राप्त नहीं होने के कारण।
- (ii) चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य अंश) — 3000.00 लाख रुपये — कम ऋण व अग्रिम जारी होने तथा भारत सरकार से केन्द्रीय अंश प्राप्त न होने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "7615"**— विविध ऋण — तरीके और साधन समर्थन के लिए स्थानीय निकायों को ऋण —85000.00 लाख रुपये की बचत — कम ऋण व अग्रिम जारी किए जाने के कारण।
4. **मुख्यशीर्ष "4202"**— शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय — सामान्य शिक्षा — माध्यमिक शिक्षा — (i) डिजिटल क्लास रूमों का निर्माण — 2000.00 लाख रुपये — स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
- (ii) अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का निर्माण (एयूडी)—रोहिणी कैंपस — 5000.00 लाख रुपये — स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।
5. **मुख्यशीर्ष "4235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय — सामाज कल्याण — महिला कल्याण — मजदूरी का टीला पर महिला एवं बाल विकास मुख्यालय की इमारत का निर्माण — 971.00 लाख रुपये — स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण।
6. **मुख्यशीर्ष "5054"**— सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय — जिला एवं अन्य सड़कें — (क) पुल — (i) आधा फ्लाईओवर का निर्माण — 600.00 लाख रुपये — कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
- (ii) खेरा कलां से खेरा खुर्द रोड पर एलसी-12 रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण — 1000.00 लाख रुपये — स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कार्य की अनुमानित लागत प्रशासनिक स्वीकृति व व्यय स्वीकृति के लिए भेजी गयी थी। परन्तु कोई स्वीकृति ना मिलने के कारण 1.00 करोड़ रुपये का आवंटित बजट अप्रयुक्त रहने के कारण व्यय में बचत हो गई।
- (ख) सड़क कार्य — (i) रोहतक रोड/एनएच-10 (ज्वालाहेडी मार्केट रेड लाइट से ज्वालापुरी रेड लाइट) के गलियारे के लिए एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास और स्ट्रीट नेटवर्क/कनेक्टिविटी — 500.00 लाख रुपये — कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
- (ii) मेहरौली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान) — 15000.00 लाख रुपये — कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
- (iii) एल ई डी स्क्रीन के लिए प्रावधान — 5000.00 लाख रुपये — स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण।
- (iv) वाई फाई दिल्ली — 5000.00 लाख रुपये — 15.12.2022 को कार्य के बंद होने एवं डीटीयू से अंतिम टीपीक्यूए बिल समय पर प्राप्त न होने के कारण।
7. **मुख्यशीर्ष "4801"**— उर्जा परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय — प्रेषक एवं वितरण — अन्य व्यय — (i) भूमि की खरीद — 3000.00 लाख रुपये — भूमि क्रय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन होने के कारण।
- (ii) एच.टी./एल.टी. बिजली वितरण तारों का स्थानांतरण — 800.00 लाख रुपये — डिस्कॉम को भुगतान के संबंध में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन होने के कारण।

2. **Under Major Head “6215”** – Loans for Water Supply and Sanitation – Water Supply – Construction – Loans to Local Bodies, Municipalities etc. – (i) Loan to Delhi Jal Board Chandrawal WTP-JICA (Central Share) – ₹20000.00 lakhs – due to Central Share not received from Govt. of India.
(ii) Loan to Delhi Jal Board for Chandrawal WTP (State Share) – ₹3000.00 lakhs – due to release of less loan & advances and Central Share not received from Govt. of India.
3. **Under Major Head “7615”** – Miscellaneous Loans – Loan to Local Bodies for Ways & Means Support – Saving of ₹85000.00 lakhs – was mainly due to release of less loan & advances.
4. **Under Major Head “4202”** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – General Education – Secondary Education – (i) Constructions of Digital Classrooms – ₹2000.00 lakhs – due to sanction not received.

(ii) Construction of Ambedkar University Delhi (AUD) Campus – Rohini – ₹5000.00 lakhs – due to sanction not received.
5. **Under Major Head “4235”** – Capital Outlay on Social Security and Welfare – Social Welfare – Women’s Welfare – Constructions of WCD Headquarter Building at Majnu Ka Tila – ₹971.00 lakhs – due to sanction not received and Administrative Approval & Expenditure Sanction not received.
6. **Under Major Head “5054”** – Capital Outlay on Road and Bridges – District and Other Roads – (a) Bridges – (i) Construction of Half Flyovers – ₹600.00 lakhs – due to slow progress of work.

(ii) Construction of ROB / RUB on Railway Crossing No. LC-12 on Khera Kalan to Khera Khurd Road – ₹1000.00 lakhs – due to sanction not received and the estimate of the work had been submitted for Administrative Approval & Expenditure Sanction. As no sanction was received, the allotted budget of Rs.1.00 Cr. remained unutilized, and hence the saving in the expenditure.

(b) Road Works – (i) Integrated Transit Corridor Development & Street Network/ Connectivity for the Corridor of Rohtak Road/ NH-10 (Jwala Heri Market Red Light to Jwalapuri Red Light) – ₹500.00 lakhs – due non finalization of work.

(ii) Mehrauli – Badarpur Corridor (Payment to DMRC) – ₹15000.00 lakhs – due to non finalization of work.

(iii) Provision of LED Screens – ₹5000.00 lakhs – due to sanction not received.

(iv) Wi-Fi Delhi – ₹5000.00 lakhs – due to work was closed on 15.12.2022 and final TPQA bill from DTU was not received in time.
7. **Under Major Head “4801”** – Capital Outlay on Power projects – Transmission & Distribution – Other Expenditure – (i) Purchase of Land – ₹3000.00 lakhs – due to proposal for purchase of land was under process.

(ii) Shifting of HT/LT Transmission Electricity Lines – ₹800.00 lakhs – due to proposal regarding payment to DISCOM was under process.

(iii) जगमगाती दिल्ली कार्यक्रम के अन्तर्गत बेयर कन्डक्टर से इंसुलेटेड कन्डक्टर तक 11 किलो वाट नेटवर्क का रूपांतरण - 1000.00 लाख रुपये - नीति को वापस लेने के संबंध में प्रस्ताव माननीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु होने के कारण।

8. मुख्यशीर्ष "4810"- उर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर पूँजी परिव्यय - नये और नवीनीकरण उर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग - नवीनीकरणीय उर्जा - 1000.00 लाख रुपये - आईपीजीसीएल द्वारा पीपीसीसी, बवाना में फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए व्यय की स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण।
9. मुख्यशीर्ष "4070"- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - चुनाव - राज्य चुनाव आयोग - 2515.00 लाख रुपये - ईवीएम की खरीद न होने एवं कम खरीद होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4217"

शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय

मू.	200101.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-77566.00)	122538.00	91811.66	-30726.34

मुख्यशीर्ष "6215"

जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण

मू.	257700.00)			
पू.	14.00)			
पु.	25386.00)	283100.00	164444.17	-118655.83

मुख्यशीर्ष "7615"

विविध ऋण

मू.	195000.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-65001.00)	130000.00	120000.00	-10000.00

लोक निर्माण विभाग

मुख्यशीर्ष "4055"

पुलिस पर पूँजी परिव्यय

मू.	650.00)			
पू.	1.00)			
पु.	3260.00)	3911.00	3880.73	-30.27

मुख्यशीर्ष "4059"

सार्वजनिक कार्यों पर पूँजी परिव्यय

मू.	22116.79)			
पू.	3.00)			
पु.	-1909.79)	20210.00	19639.65	-570.35

(iii) Conversion of 11KV Network from Bare Conductor to Insulated Conductor under Jagmagati Delhi Program – ₹1000.00 lakhs – due to proposal regarding withdrawal of policy was under submission to Hon'ble Minister.

8. **Under Major Head “4810”** – Capital Outlay on non conventional sources of energy - New and Renewable Energy programs & Applications – Renewable Energy – ₹1000.00 lakhs – due to non approval of expenditure for floating Solar Plant at PPCC, Bawana by IPGCL.
9. **Under Major Head “4070”** – Capital Outlay on Other Administrative Services – Election – State Election Commission – ₹2515.00 lakhs – due to non procurement of EVM / less procurement.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Heads: –

(In lakh of rupees)

Urban Development Department			
Major Head “4217”			
Capital Outlay on Urban Development			
O. 200101.00)			
S. 3.00)			
R. -77566.00)	122538.00	91811.66	-30726.34
Major Head “6215”			
Loans for Water Supply and Sanitation			
O. 257700.00)			
S. 14.00)			
R. 25386.00)	283100.00	164444.17	-118655.83
Major Head “7615”			
Misc. Loans			
O. 195000.00)			
S. 1.00)			
R. -65001.00)	130000.00	120000.00	-10000.00
Public Works Department			
Major Head “4055”			
Capital Outlay on Police			
O. 650.00)			
S. 1.00)			
R. 3260.00)	3911.00	3880.73	-30.27
Major Head “4059”			
Capital Outlay on Public Works			
O. 22116.79)			
S. 3.00)			
R. -1909.79)	20210.00	19639.65	-570.35

मुख्यशीर्ष "4070"अन्य प्रशासनिक सेवाओं
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	11500.00)			
पु.	-5500.00)	6000.00	5699.79	-300.21

मुख्यशीर्ष "4202"शिक्षा, खेलकूद, कला एवं
संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	89008.08)			
पू.	8.00)			
पु.	-19335.08)	69681.00	64894.39	-4786.61

मुख्यशीर्ष "4210"चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य
पर पूंजी परिव्यय

मू.	158110.00)			
पु.	-64860.00)	93250.00	76612.83	-16637.17

मुख्यशीर्ष "4216"

भवनों पर पूंजी परिव्यय

मू.	4526.00)			
पू.	1.00)			
पु.	3673.00)	8200.00	8145.17	-54.83

मुख्यशीर्ष "4235"सामाजिक सुरक्षा और
कल्याण पर पूंजी परिव्यय

मू.	8081.00)			
पु.	-5401.00)	2680.00	2300.96	-379.04

मुख्यशीर्ष "4250"अन्य सामाजिक
सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	2500.00)			
पु.	-1500.00)	1000.00	903.90	-96.10

मुख्यशीर्ष "5054"सड़कों एवं पुलों पर
पूंजी परिव्यय

मू.	296700.00)			
पू.	19.00)			
पु.	-102519.00)	194200.00	181725.70	-12474.30

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4217"**— शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय — अन्य शहरी विकास योजनाएं — (क) भूमि — अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास — 40822.99 लाख रुपये की बचत (100000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं प्रस्तावों के अभाव में विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति न हो सकने के कारण हुई।

Major Head "4070"			
Capital Outlay on Other Administrative Services			
O. 11500.00)			
R. -5500.00)	6000.00	5699.79	-300.21
Major Head "4202"			
Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture			
O. 89008.08)			
S. 8.00)			
R. -19335.08)	69681.00	64894.39	-4786.61
Major Head "4210"			
Capital Outlay on Medical and Public Health			
O. 158110.00)			
R. -64860.00)	93250.00	76612.83	-16637.17
Major Head "4216"			
Capital Outlay on Housing			
O. 4526.00)			
S. 1.00)			
R. 3673.00)	8200.00	8145.17	-54.83
Major Head "4235"			
Capital Outlay on Social Security and Welfare			
O. 8081.00)			
R. -5401.00)	2680.00	2300.96	-379.04
Major Head "4250"			
Capital Outlay on other Social Services			
O. 2500.00)			
R. -1500.00)	1000.00	903.90	-96.10
Major Head "5054"			
Capital Outlay on Roads and Bridges			
O. 296700.00)			
S. 19.00)			
R. -102519.00)	194200.00	181725.70	-12474.30

Savings occurred more than ₹5.00 crore under the following sub heads :-

1. **Under Major Head "4217"** – Capital Outlay on Urban Development – Other Urban Development Schemes – (a) Land – Development of Unauthorized Colonies – Saving of ₹40822.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was mainly due to slow pace of work and power supply could not be sanctioned for lack of proposals.

(ख) निर्माण – (i) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों, गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढीकरण एवं संवर्धन – 10586.73 लाख रुपये की बचत (22501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 रुपये के पूरक प्रावधान सहित, कि तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं योजना के तहत कार्य पूर्ण करने के संबंध में एमएलएएलएडी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) मुख्यमंत्री सड़क पुनरुत्थान योजना – 23849.65 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने तथा पिछले वर्ष व्यय अधिक हो जाने के कारण संशोधित अनुमान 200 करोड़ रुपये रखने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढीकरण एवं संवर्धन (एस.सी.एस.पी.) – 3516.62 लाख रुपये की बचत (7501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने एवं योजना के तहत कार्य पूर्ण करने के संबंध में एमएलएएलएडी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

2. मुख्यशीर्ष "6215" – जलापूर्ति एवं सफाई के लिए ऋण – (अ) जलापूर्ति – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं इत्यादि को ऋण – (i) मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 6438.78 लाख रुपये की बचत (25001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जियो टैगिंग के अभाव में शेष धनराशि के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) वितरण के स्रोत और जलाशयों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 5165.41 लाख रुपये की बचत (9000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण व अग्रिम जारी होने तथा जियो टैगिंग के अभाव में शेष धनराशि के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iii) पैमाइश और रिसाव प्रबंधन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 538.70 लाख रुपये की बचत (3001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जियो टैगिंग के अभाव में शेष धनराशि के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iv) शहरी इलाकों में रेनी वेल्स और ट्यूब वेल्स के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 3806.64 लाख रुपये की बचत (10001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जियो टैगिंग के अभाव में शेष धनराशि के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(v) कर्मचारी आवास तथा कार्यालय आवास के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 702.50 लाख रुपये की बचत (2002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः जियो टैगिंग के अभाव में शेष धनराशि के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ब) मलव्ययन तथा सफाई – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को ऋण – (i) पुर्नवास कॉलोनिजों में जल-मल निकासी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 2615.37 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण व अग्रिम जारी होने तथा दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) जेएनएनयूआरएम परियोजना के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 1863.00 लाख रुपये की बचत (2501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) Construction – (i) Strengthening and Augmentation of infrastructure i.e. Roads, Streets, Localities, Street Lights etc. in each Assembly Constituency – Saving of ₹10586.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to slow pace of work and proposals MLALAD regarding under scheme completion of works were not received.

(ii) Mukhyamantri Sadak Punrotthan Yojna – Saving of ₹23849.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was mainly due to slow pace of work and last year the expenditure exceeded, hence RE of Rs.200 cr. was kept.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – Strengthening and Augmentation of infrastructure i.e. Roads, Streets, Localities, Street Lights etc. in each Assembly Constituency (SCSP) – Saving of ₹3516.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to slow pace of work and proposals MLALAD regarding under scheme completion of works were not received.

2. **Under Major Head “6215” – Loans for Water Supply and Sanitation – (A) Water Supply – Loans to Local bodies, Municipalities etc. – (i) Loan to DJB for improvement of existing water works – Saving of ₹6438.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to in the absence of Geo Tagging, no proposals of balance fund received.**

(ii) Loan to DJB for distribution mains and reservoirs – Saving of ₹5165.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was mainly due to release of less loan & advances and in the absence of Geo Tagging, no proposals of balance fund received.

(iii) Loan to DJB for Metering and Leak Management – Saving of ₹538.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to in the absence of Geo Tagging, no proposals of balance fund received.

(iv) Loan to DJB for Rainy Wells & Tube Wells in Urban Areas – Saving of ₹3806.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to in the absence of Geo Tagging, no proposals of balance fund received.

(v) Loan to DJB for Staff Quarters & Office Accommodation – Saving of ₹702.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to in the absence of Geo Tagging, no proposals of balance fund received.

(B) Sewerage and Sanitation – Loans to Local bodies, municipalities etc – (i) Loan to DJB for Sewerage in Resettlement Colonies – Saving of ₹2615.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to release of less loan & advances and improper proposal received from Delhi Jal Board.

(ii) Loan to DJB for JNNURM Project – Saving of ₹1863.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for release of more loan & advances and improper proposal received from Delhi Jal Board.

- (iii) ट्रंक सिवर परिधीय और गुरुत्वाकर्षण वाहिनी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण - 5484.81 लाख रुपये की बचत (15001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।
- (iv) एस.टी.पी./एस.पी.एस. के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण - 29749.11 लाख रुपये की बचत (80000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण व अग्रिम जारी होने तथा दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।
- (v) शाखा सीवर/नियमित अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण - 22289.23 लाख रुपये की बचत (40001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण व अग्रिम जारी होने तथा दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।
- (vi) शहरी गांव में जल-मल निकासी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण - 662.61 लाख रुपये की बचत (1100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।
3. **मुख्यशीर्ष "7615"**- विविध ऋण - (i) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डी.यू.एस.आई.बी.) को उपाय और साधने के लिए ऋण - 10000.00 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः शेष राशि जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
4. **मुख्यशीर्ष "4059"**- लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय - कार्यालय भवन - निर्माण - (i) उपायुक्त कार्यालय - 759.07 लाख रुपये की बचत (1331.79 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई ।
- (ii) कार्यालय भवनों का सुधार - 642.17 लाख रुपये की बचत (2700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिल प्राप्त होने और कम व्यय होने के कारण हुई ।
- (iii) व्यापार और कर कार्यालय भवन का निर्माण और रखरखाव - 1400.77 लाख रुपये की बचत (2400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः व्यापार और कर विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।
- (iv) विभिन्न न्यायालय भवनों का निर्माण - 1040.07 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्काई वॉक का कार्य शुरू नहीं किए जा सकने तथा रीमॉडलिंग व रेड्रोफिटिंग कार्य की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई ।
5. **मुख्यशीर्ष "4070"**- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - अन्य व्यय - (i) दिल्ली अग्नि शमन सेवा - 2227.09 लाख रुपये की बचत (4500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मार्च माह में बिल प्राप्त न होने एवं प्रत्याशित बिल प्राप्त न होने के कारण हुई ।
- (ii) केन्द्रीय कारागार भवन - 3573.12 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम स्वीकृतियां प्राप्त होने के कारण हुई ।
6. **मुख्यशीर्ष "4202"**- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय - (अ) सामान्य शिक्षा - (क) माध्यमिक शिक्षा - मौजूदा स्कूल बिल्डिंग में अतिरिक्त कक्षा के लिए कमरे का निर्माण - 15925.96 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्वीकृति प्राप्त न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

- (iii) Loan to DJB for Trunk Peripheral Sewer and Gravity Duct – Saving of ₹5484.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to improper proposal received from Delhi Jal Board.
- (iv) Loan to DJB for STPs/SPSs – Saving of ₹29749.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs) was mainly due to release of less loan & advances and improper proposal received from Delhi Jal Board.
- (v) Loan to DJB for Branch Sewer/Regularised Unauthorized Colonies – Saving of ₹22289.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to release of less loan & advances and improper proposal received from Delhi Jal Board.
- (vi) Loan to DJB for Sewerage in Urban Village – Saving of ₹662.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was mainly due to improper proposal received from Delhi Jal Board.
3. **Under Major Head “7615” – Miscellaneous Loans – (i) Loan to Delhi Urban Shelter Improvement Boards (DUSIB) for Ways & Means Support – Saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was mainly due to proposals for release of balance fund not received.**
4. **Under Major Head “4059” – Capital Outlay on Public Works – Office Buildings – Construction – (i) Dy. Commissioner's Offices – Saving of ₹759.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1331.79 lakhs) was mainly due to receipt of less bills.**
- (ii) Improvement of Office Buildings – Saving of ₹642.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs) was mainly due to receipt of less bills and less expenditure.
- (iii) Construction and Maintenance of Trade & Tax Office Building – Saving of ₹1400.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was mainly due to sanction not received from Trade & Taxes department.
- (iv) Construction of Various Court Buildings – Saving of ₹1040.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to work of 'Sky Walk' could not be taken up and sanction of remodelling & re-fitting work not issued.
5. **Under Major Head “4070” – Capital Outlay on Other Administrative Services – Other Expenditure – (i) Delhi Fire Services – Saving of ₹2227.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was mainly due to non receipt of bills and non receipt of anticipated bills in the month of March.**
- (ii) Centrail Jail Building – Saving of ₹3573.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was mainly due to less sanctions received.
6. **Under Major Head “4202” – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – (A) General Education – (a) Secondary Education – Construction of Additional Class Rooms in the Existing School Buildings – Saving of ₹15925.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was mainly due to sanction not received and non receipt of anticipated bills in the month of March.**

(ख) विश्वविद्यालय एवं उच्चशिक्षा – दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का निर्माण – 929.00 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्वीकृतियां प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मौजूदा स्कूल बिल्डिंग में अतिरिक्त कक्षा के लिए कमरों का निर्माण (एससीएसपी) – 5360.06 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्वीकृति प्राप्त न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ब) तकनीकी शिक्षा – पॉलिटेक्निक – भवन – 602.19 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य पूर्ण न होने के कारण हुई।

(स) खेलकूद एवं युवा सेवाएं – अन्य व्यय – खेल के मैदान, खेल परिसर, तरणताल आदि का विकास – 1157.59 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "4210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय – (अ) शहरी स्वास्थ्य योजना – अस्पताल एवं औषधालय – (i) भवन – मादीपुर में अस्पताल की इमारत का निर्माण – 4735.21 लाख रुपये की बचत (14000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

– हस्तसाल में अस्पताल की इमारत का निर्माण – 14904.03 लाख रुपये की बचत (20500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

– ज्वालापुरी में अस्पताल की इमारत का निर्माण – 6601.09 लाख रुपये की बचत (11500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

– सीरसपुर में अस्पताल की इमारत का निर्माण – 9438.88 लाख रुपये की बचत (18500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

– इंदिरा गांधी अस्पताल का निर्माण – 718.89 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने के कारण हुई।

– अस्पतालों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद – 790.20 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने के कारण हुई।

– अर्ध-स्थायी/अस्थायी आई.सी.यू. अस्पताल पैकेज-1 की स्थापना (शालीमार बाग, किरारी, सुल्तानपुरी) – 9187.89 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

– अर्ध-स्थायी/अस्थायी आई.सी.यू. अस्पताल पैकेज-2 की स्थापना (सीएनबीसी, जीटीबी अस्पताल) – 4571.33 लाख रुपये की बचत (11000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा स्वास्थ्य विभाग से संशोधित स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) University and Higher Education – Construction of Delhi Sports University – Saving of ₹929.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to sanction not received.

(c) Special Component Plan for Scheduled Castes – Construction of Additional Class Rooms in the existing School Buildings (SCSP) – Saving of ₹5360.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was mainly due to sanction not received and non receipt of anticipated bills in the month of March.

(B) Technical Education – Polytechnics – Buildings – Saving of ₹602.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work.

(C) Sports & Youth Services – Other Expenditure – Development of Play Grounds, Sports Complexes and Swimming Pools etc. – Saving of ₹1157.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of anticipated bills in the month of March.

7. **Under Major Head “4210” – Capital Outlay on Medical and Public Health – (A) Urban Health Schemes – Hospital and Dispensaries –(i) Buildings – Construction of Hospital Building at Madipur – Saving of ₹4735.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of anticipated bills in the month of March,**

– Construction of Hospital Building at Hastal – Saving of ₹14904.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20500.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of anticipated bills in the month of March.

– Construction of Hospital Building at Jwalapuri – Saving of ₹6601.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of anticipated bills in the month of March.

– Construction of Hospital Building at Siraspur – Saving of ₹9438.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18500.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of anticipated bills in the month of March.

– Construction of Indira Gandhi Hospital – Saving of ₹718.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work.

– Purchase of Land for Construction of Hospitals – Saving of ₹790.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work.

– Setting Up of Semi-Permanent /Temporary ICU Hospital Package -1 (Shalimar Bagh Kirari Sultanpuri) – Saving of ₹9187.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of anticipated bills in the month of March.

– Setting Up of Semi-Permanent /Temporary ICU Hospital Package -2 (CNBC GTB Hospital) – Saving of ₹4571.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of revised sanction from Health Department.

- अर्ध-स्थायी/अस्थायी आई.सी.यू. अस्पताल पैकेज-3 की स्थापना (सरिता विहार, रघुवीर नगर) – 8810.22 लाख रुपये की बचत (12500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा स्वास्थ्य विभाग से संशोधित स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ii) मौजूदा अस्पतालों का पुनर्गठन – 15399.30 लाख रुपये की बचत (45000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (iii) डिसपेंसरियों की मौजूदा इमारतों का उन्नयन – 2517.15 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने के कारण हुई।
- (ब) सार्वजनिक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण – जन स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण – 3812.32 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिभूति राशि जमा करने के लिए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "4235"**– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजी परिव्यय – समाज कल्याण – (क) अपंगों का कल्याण – मन्दबुद्धियों के गृह का विकास – 2495.43 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) बाल कल्याण – किशोर न्याय अधिनियम 2000 का कार्यान्वयन – 1105.61 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने तथा मार्च माह में प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ग) वृद्धों, अपंगों एवं निस्सहायों का कल्याण – वृद्धावस्था गृह – 632.41 लाख रुपये की बचत (850.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य के पूर्ण न होने के कारण हुई।
9. **मुख्यशीर्ष "4250"**– अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – रोजगार – आई.टी.आई. का निर्माण – 1596.10 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
10. **मुख्यशीर्ष "5054"**– सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – (क) पुल – (i) करावल नगर, भजनपुरा और गगन सिनेमा मंगल के बीच फलाईओवर/अंडरपास का निर्माण – 5604.74 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं विभिन्न निष्पादन एजेंसियों विशेषकर वन एव बीएसईएस से अनुमति प्राप्त न होने कारण काम में बाधा उत्पन्न हुई। कम कार्य करने के कारण एजेंसी को भुगतान नहीं कर सकने के कारण इस शीर्ष में बचत हुई।
- (ii) मुकरबा चौक के निकट को ओ.आर.आर. पर अंडरपास का निर्माण – 1011.88 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य पूरा न होने, आईजीएल गैसे पाइप लाइन की शिफ्टिंग में देरी होने एवं आईएंडएफसीडी से एनओसी में देरी होने के कारण काम की प्रगति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसलिए अपेक्षित काम नहीं हो पाने के कारण हुई।
- (ख) सड़क कार्य – (i) रानी झांसी रोड़ से आजादपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान) – 3630.99 लाख रुपये की बचत (12000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः डी.एम.आर.सी द्वारा कार्य किए जाने के कारण बिलों का भुगतान डी.एम.आर.सी को किए जाने के कारण व्यय में बचत हुई।

– Setting Up of Semi-Permanent /Temporary ICU Hospital Package -3 (Sarita Vihar Raghbir Nagar) – Saving of ₹8810.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of revised sanction from Health Department.

(ii) Remodeling of Existing Hospitals – Saving of ₹15399.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work and non receipt of anticipated bills in the month of March.

(iii) Upgradation of Existing Buildings of Dispensaries – Saving of ₹2517.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work.

(B) Public Health – Prevention & Control of Diseases – Construction of Public Health Centers – Saving of ₹3812.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was mainly due to non receipt of approval from Finance Department for depositing the security amount in Hon'ble High Court.

8. **Under Major Head “4235” – Capital Outlay on Social Security and Welfare – Social Welfare – (a) Welfare of handicapped – Development of home for mentally retarded – Savings of ₹2495.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was mainly due to sanction not received.**

(b) Child Welfare – Implementation of Juvenile Justice Act, 2000 – Savings of ₹1105.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was mainly due to sanction not received and non receipt of anticipated bills in the month of March.

(c) Welfare of aged, infirm & destitute – Old Age Home – Savings of ₹632.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was mainly due to non finalization of work.

9. **Under Major Head “4250” – Capital Outlay on Other Social Services – Employment – Construction of I.T.Is – Saving of ₹1596.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due to sanction not received.**

10. **Under Major Head “5054” – Capital Outlay on Roads and Bridges – District and other roads – (a) Bridges – (i) Construction of Flyover/Underpass at Karawalnagar Bhajanpura and Gagan Cinema On Mangal – Saving of ₹5604.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was mainly due to slow progress of work and the permissions from various utility agencies has not been given specifically from Forest and BSES, which caused hindrance to the work. Due to less work done the payments couldn't be processed to the agency. Hence, savings in this head.**

(ii) Construction of Underpass at ORR Near Mukarba Chowk – Saving of ₹1011.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was mainly due non finalization of work and delay in shifting of IGL gas pipe line and delay in NOC from I&FCD, the progress of work was affected tremendously. Therefore, desired/anticipated work done was not achieved.

(b) Road Works – (i) Rani Jhansi Road Junction to Azadpur Corridor (Payment to DMRC) – Savings of ₹3630.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to this work was being done by DMRC. Payment was made on the bill raised by DMRC. Due to this, saving in the expenditure.

(ii) कैरेजवे को छोड़कर व्यापक रखरखाव के साथ लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सभी घटकों का निर्माण/मरम्मत – एनएच – 3399.14 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iii) कैरेजवे को छोड़कर व्यापक रखरखाव के साथ लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सभी घटकों का निर्माण/मरम्मत – आरआर व ओआरआर – 10074.47 लाख रुपये की बचत (12000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iv) कैरेजवे को छोड़कर व्यापक रखरखाव के साथ लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सभी घटकों का निर्माण/मरम्मत – मुख्य मार्ग – 8614.58 लाख रुपये की बचत (12000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(v) कैरेजवे को छोड़कर व्यापक रखरखाव के साथ लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सभी घटकों का निर्माण/मरम्मत – आरओडब्ल्यू 30 मीटर से कम वाली सड़कों – 8853.63 लाख रुपये की बचत (12000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(vi) पी.डब्लू.डी की सड़कों की निगरानी व रखरखाव के साथ सुदृढीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण-एनएच – 8468.91 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(vii) पी.डब्लू.डी की सड़कों का निगरानी व रखरखाव के साथ सुदृढीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – आरआर एवं ओआरआर – 32524.37 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(viii) पी.डब्लू.डी की सड़कों की निगरानी व रखरखाव के साथ सुदृढीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण-रोहिणीय सड़कें – 31605.70 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ix) पी.डब्लू.डी की सड़कों की निगरानी व रखरखाव के साथ सुदृढीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण-आरओडब्ल्यू 30 मीटर से कम वाली सड़कें – 31484.54 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजना को अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 2859.72 लाख रुपये की बचत सात उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जो कि 2.50 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें, निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

1 **मुख्यशीर्ष "6215"** – जल आपूर्ति एवं सफाई के लिये ऋण – जल आपूर्ति – स्थानीय निकायों, नगरपालिका इत्यादि को ऋण – (i) पुरानी वित्तरण प्रणाली और ट्रंक संचलन के लिए प्रतिस्थापन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 2014.14 लाख रुपये का अधिक व्यय (15001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण व अग्रिम जारी करने के लिए प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।

(ii) द्वारका में 50 एमजीडी जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 6623.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण व अग्रिम जारी करने के लिए प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।

(ii) Construction/Repair of All Components of PWD Roads With Comprehensive Maintenance Except Carriageways-NH – Savings of 3399.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was mainly due to project yet to be approved.

(iii) Construction/Repair Of All Components Of Pwd Roads With Comprehensive Maintenance Except Carriageway-RR and ORR – Savings of ₹10074.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to project yet to be approved.

(iv) Construction/Repair of All Components of PWD Roads With Comprehensive Maintenance Except Carriageways – Arterial Roads– Savings of ₹8614.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to project yet to be approved.

(v) Construction/Repair of All Components of PWD Roads With Comprehensive Maintenance Except Carriageways – Road With Row Less Than 30 MTRS – Savings of ₹8853.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was mainly due to project yet to be approved.

(vi) Strengthening /Re- Carpeting Including/Monitoring and Maintenance of PWD Roads -NH – Savings of ₹8468.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was mainly due to project yet to be approved.

(vii) Strengthening /Re- Carpeting Including/Monitoring and Maintenance of PWD Roads-RR & ORR – Savings of ₹32524.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was mainly due to project yet to be approved.

(viii) Strengthening /Re- Carpeting Including/Monitoring and Maintenance of PWD Roads-Arterial Roads – Savings of ₹31605.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was mainly due to project yet to be approved.

(ix) Strengthening/Re-Carpeting Including/Monitoring and Maintenance of PWD Roads- Road With Row < 30 – Savings of ₹31484.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was mainly due to project yet to be approved.

Further, savings of ₹2859.72 lakhs remained under Seven sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub heads: –

1. **Under Major Head “6215”** – Loans for Water Supply and Sanitation – Water Supply – Loans to Local bodies, Municipalities etc. – (i) Loan to DJB for replacement of old distribution system and trunk transmission – Excess of ₹2014.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for release of more loan & advances.

(ii) Loan to DJB for construction of 50 MGD WTP at the Dwarka – Excess of ₹6623.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision kept for release of more loan & advances.

2. **मुख्यशीर्ष "7615"**— विविध ऋण – तरीके और साधन समर्थन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 19999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (90001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण एवं अग्रिम जारी करने के लिए प्रावधान रखे जाने के कारण हुआ।
3. **मुख्यशीर्ष "4055"**— पुलिस पर पूँजी परिव्यय – दिल्ली पुलिस – दिल्ली अपराध विज्ञान प्रयोगशाला – 3229.73 लाख रुपये का अधिक व्यय (651.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः देनदारियों में वृद्धि होने के कारण हुआ।
4. **मुख्यशीर्ष "4059"**— लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – न्यायालय भवन – 1980.03 लाख रुपये का अधिक व्यय (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विभिन्न न्यायालयों से अधिक व्यय स्वीकृतियां प्राप्त होने के कारण हुआ।
5. **मुख्यशीर्ष "4202"**— शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय – सामान्य शिक्षा – (क) माध्यमिक शिक्षा – माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण – 1723.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (8501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मौजूदा स्कूल बिल्डिंग में प्रमुख वृद्धि/मरम्मत (एस.सी.एस.पी.) – 1415.28 लाख रुपये का अधिक व्यय (1502.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के आधार पर प्रावधान रखने के कारण हुआ।

(ग) अन्य व्यय – शिक्षा विभाग के वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाएं – 3869.88 लाख रुपये का अधिक व्यय (3501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के आधार पर प्रावधान रखने के कारण हुआ।

6. **मुख्यशीर्ष "4216"**— आवास पर पूँजी परिव्यय – सरकारी आवासीय भवन – सामान्य पूल आवास – 3618.17 लाख रुपये का अधिक व्यय (4527.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः फ्लैट क्रय करने के कारण हुआ।
7. **मुख्यशीर्ष "5054"**— सड़कों एवं पुलों पर पूँजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – (क) पुल – (i) गाजीपुर नाले से गाजीपुर डेयरी फार्म रोड़ दिल्ली के शमशान घाट रोड़ के साथ गाजीपुर नाले, हिंडन नहर के उपर (कोंडली पुल पर) छोटे रास्ते की व्यवस्था – 732.34 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लंबित देनदारियों के कारण हुआ।

(ख) सड़क कार्य – (i) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) का सुदृढीकरण/पुनर्निर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 1413.51 लाख रुपये का अधिक व्यय (302.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः धनराशि की मांग में वृद्धि के कारण हुआ।

(ii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आरआर एवं ओआरआर) का सुदृढीकरण/पुनर्निर्माण/सूक्ष्मनिर्माण – 2964.96 लाख रुपये का अधिक व्यय (1702.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः धनराशि की मांग में वृद्धि के कारण हुआ।

2. **Under Major Head “7615”** – Miscellaneous Loans – Loan to DJB for Ways & Means Support – Excess of ₹19999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept for release of more loan & advances.
3. **Under Major Head “4055”** – Capital Outlay on Police – Delhi Police – Delhi Forensic Science Laboratory – Excess of ₹3229.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹651.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to increase in liabilities.
4. **Under Major Head “4059”** – Capital Outlay on Public Works – Office Buildings – Construction – Court Buildings – Excess of ₹1980.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2001.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to more expenditure sanctions received from various courts.
5. **Under Major Head “4202”** – Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture – General Education – (a) Secondary Education – Construction of Buildings for secondary schools – Excess of ₹1723.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to increase in work.
 - (b) Special Component Plan for Schedules Castes – Major Addition/ Repairs in the existing School Buildings (SCSP) – Excess of ₹1415.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1502.00 inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per good progress of work.
 - (c) Other Expenditure – Additional Facilities / Renovation Works in Existing Buildings of Education Department – Excess of ₹3869.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3501.00 inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to provision kept as per good progress of work.
6. **Under Major Head “4216”** – Capital Outlay on Housing – Govt. residential buildings – General Pool Accommodation – Excess of ₹3618.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4527.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to purchase of flat.
7. **Under Major Head “5054”** – Capital Outlay on Roads and Bridges – District and other roads – (a) Bridges – (i) Providing Slip Road Bridge (Kondli Bridge) Over Gazipur Drain Hindon Canal From Road Along Gazipur Drain to Shamshan Ghat , Ghazipur Dairy Farm Road Delhi – Excess of ₹732.34 lakhs (against the Supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to pending liability.
 - (b) Road Works – (i) Strengthening/Resurfacing/Micro Surfacing of PWD Roads (NH) – Excess of ₹1413.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹302.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to increase in demand for funds.
 - (ii) Strengthening/Resurfacing/Micro Surfacing of PWD Roads (RR & ORR) – Excess of ₹2964.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1702.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to increase in demand for funds.

(iii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (रोहिणीय सड़को) का सुदृढीकरण/पुनर्निर्माण/सूक्ष्मनिर्माण – 23098.96 लाख रूपये का अधिक व्यय (4002.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः धनराशि की मांग में वृद्धि के कारण हुआ।

(iv) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आर.ओ.डब्ल्यू 30 मीटर से कम वाली सड़कों) का सुदृढीकरण/पुनर्निर्माण/सूक्ष्मनिर्माण – 21115.53 लाख रूपये का अधिक व्यय (4002.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः धनराशि की मांग में वृद्धि के कारण हुआ।

(v) पंजाबी बाग फ्लाईओवर और राजागार्डन फ्लाईओवर के बीच एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर का विकास और स्ट्रीट नेटवर्क – 7861.45 लाख रूपये का अधिक व्यय (12501.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः धनराशि की मांग में वृद्धि के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 2021.35 लाख रूपये का अधिक व्यय पांच उपशीर्षों के अन्तर्गत था जो कि 2.50 करोड़ रूपये से अधिक परन्तु 5.00 करोड़ रूपये से कम था।

(iii) Strengthening/Resurfacing/Micro Surfacing of PWD Roads (Arterial Roads) – Excess of ₹23098.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to increase in demand for funds.

(iv) Strengthening/Resurfacing/Micro Surfacing of PWD Roads (Road With ROW Less Than 30 MTRS) – Excess of ₹21115.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4002.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹2.00 lakhs) was mainly due to increase in demand for funds.

(v) Integrated Transit Corridor Development & Street Network Between Punjabi Bagh Flyover and Raja Garden Flyover – Excess of ₹7861.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12501.00 lakhs inclusive of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to increase in demand for funds.

Further, Excess of ₹2021.35 lakhs remained under Five sub-heads which exceeded ₹2.50 crore but less than ₹5.00 crore.

अनुदान संख्या 12 – ऋण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
पूँजीगत			
स्वीकृत –	1,30,00	33,99	-96,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 96.01 लाख रूपये की कुल बचत थी (130.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 73.85 प्रतिशत थी।

GRANT NO. 12 – LOANS

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)			
CAPITAL			
Voted –	1,30,00	33,99	-96,01
Amount surrendered during the year			Nil

Notes and Comments

In the Voted portion of the Capital Section of the grant, the overall saving of ₹96.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹130.00 lakhs) constituted 73.85% of the total sanctioned provision.

अनुदान संख्या 13 – पेंशन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
राजस्व			
स्वीकृत –	3,00,00	3,68,04	-68,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
<u>टीका एवं टिप्पणियां</u>			

(हजार रुपयों में)

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 68.04 लाख रुपये की कुल बचत थी (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 22.68 प्रतिशत थी ।

GRANT NO. 13 – PENSIONS

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
			(In thousand of rupees)
REVENUE			
Voted –	3,00,00	3,68,04	68,04
Amount surrendered during the year			Nil

Notes and Comments

In the Voted portion of the Revenue Section of the grant, the overall excess of ₹68.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) constituted 22.68% of the total sanctioned provision.

अनुदान संख्या 14 – आकस्मिक निधि

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
पूरक
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं

(हजार रूपयों में)

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में वित्त वर्ष 2023-24 में कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया था।

GRANT NO. 14 – CONTINGENCY FUND

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
			(In thousand of rupees)
CAPITAL			
Voted –
Amount surrendered during the year			Nil

Notes and Comments

In the Voted portion of the Capital Section of the grant no budget provision kept in the Financial Year 2023-24.

अनुदान संख्या 15—सार्वजनिक ऋण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित —	<u>3094,32,00</u>	<u>3094,31,05</u>	<u>-95</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
पूँजीगत			
प्रभारित —			
मू. <u>5040,29,00</u>			
पू. <u>1,00</u>	<u>5040,30,00</u>	<u>4993,68,83</u>	<u>-46,61,17</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>-46,60,00</u>

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 0.95 लाख रूपये की कुल बचत थी (309432.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 0.00 प्रतिशत थी ।

अनुदान के पूँजीगत भाग के प्रभारित अंश में 4661.17 लाख रूपये की कुल बचत थी (504030.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रूपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 0.92 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

सार्वजनिक ऋण				
मुख्यशीर्ष "6004"				
केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम				
मू.	<u>504029.00</u>			
पू.	<u>1.00</u>			
पू.	<u>-4660.00</u>	<u>499370.00</u>	<u>499368.83</u>	<u>-1.17</u>

GRANT NO. 15 – PUBLIC DEBT

	Total Grant Or Appropriation	Actual expenditure	Saving (-) Excess (+)
(In thousand of rupees)			
REVENUE			
<u>Charged –</u>	<u>3094,32,00</u>	<u>3094,31,05</u>	<u>-95</u>
Amount surrendered during the year			<u>Nil</u>
CAPITAL			
<u>Charged –</u>			
Original	<u>5040,29,00)</u>		
Supplementary	<u>1,00)</u>	<u>5040,30,00</u>	<u>4993,68,83</u>
Amount surrendered during the year			<u>-46,61,17</u>
			<u>-46,60,00</u>

Notes and Comments

In the **Charged portion of the Revenue Section** of the grant, the overall saving of ₹0.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹309432.00 lakhs) constituted 0.00% of the total sanctioned appropriation.

In the **Charged portion of the Capital Section** of the grant, the overall saving of ₹4661.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹504030.00 lakhs of supplementary provision of ₹1.00 lakhs) constituted 0.92% of the total sanction appropriation.

Savings / Excess occurred mainly under the following Major Head: –

(In lakh of rupees)

Public Debt			
Major Head “6004”			
Loans and Advances from the Central Government			
O. <u>504029.00)</u>			
S. <u>1.00)</u>			
R. <u>-4660.00)</u>	<u>499370.00</u>	<u>499368.83</u>	<u>-1.17</u>

5.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "6004"**— केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम — भिन्न योजना कर्ज — लघु बचत योजना का हिस्सा — 227578.37 लाख रुपये की बचत (504029.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ऋण देनदारियों के कम पुनर्भुगतान और एनएसएसएफ ऋण की अदायगी 2019-20 से नए खाता शीर्ष में स्थानान्तरित करने के कारण हुई।

उपरोक्त बचतें, निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "6004"**— केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम — विधानमंडल योजना वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य ऋण — अन्य ऋण — एनएसएसएफ का पुनर्भुगतान — 222917.20 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वर्ष 2019-20 से एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान के कारण हुआ।

Savings occurred more than ₹5.00 crore mainly under the following sub head :-

1. **Under Major Head “6004”** – Loans and Advances from the Central Government – Non-Plan Loans – Share of Small Savings Collection – Saving of ₹227578.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹504029.00 lakhs) was mainly due to less repayment of loan liability and transfer to new head of account for repayment of NSSF loan w.e.f. 2019-20.

The above savings were partly off-set by excesses under the following sub heads: –

1. **Under Major Head “6004”** – Loans and Advances from the Central Government – Other Loans for States/Union Territory with Legislature Schemes – Other Loans – Repayment of NSSF – Excess of ₹222917.20 lakhs (against the supplementary provision of ₹1.00 lakhs) was mainly due to repayment of NSSF loan w.e.f. 2019-20

2023-2024 की वसूलियों का विवरण

अनुदान की संख्या तथा नाम		बजट अनुमान		वास्तविक वसूलियां		बचत (-)/अधिक (+)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(हजार रूपयों में)							
1-विधान सभा	स्वीकृत	0	0	86	0	86	0
2-सामान्य प्रशासन	स्वीकृत	0	0	2922	0	2922	0
3-न्याय प्रशासन	प्रभारित	0	0	127	0	127	0
	स्वीकृत	0	0	976517	0	976517	0
4-वित्त	स्वीकृत	1200	0	1963	0	763	0
5-गृह	स्वीकृत	0	0	3925	0	3925	0
6-शिक्षा	स्वीकृत	0	0	191548	2741	191548	2741
7-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	0	0	3370528	138	3370528	138
8-समाज कल्याण	स्वीकृत	0	0	356475	0	356475	0
9-उद्योग	स्वीकृत	0	0	5586	0	5586	0
10-विकास	स्वीकृत	671528	0	2664445	0	1992917	0
11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	स्वीकृत	0	0	9741	83295	9741	83295
योग-	प्रभारित	0	0	127	0	127	0
	स्वीकृत	672728	0	7583736	86174	6911008	86174

ANNEXURE-A

Statement of Recoveries for the period 2023-2024

No. & Name of Grant		Budget Estimates		Actual Recoveries		Savings(-)/Excess(+)	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital	Revenue	Capital
(In thousand of rupees)							
1- Legislative Assembly	Voted	0	0	86	0	86	0
2-General Administration	Voted	0	0	2922	0	2922	0
3-Admn. of Justice	<u>Charged</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>127</u>	<u>0</u>	<u>127</u>	<u>0</u>
	Voted	0	0	976517	0	976517	0
4-Finance	Voted	1200	0	1963	0	763	0
5-Home	Voted	0	0	3925	0	3925	0
6-Education	Voted	0	0	191548	2741	191548	2741
7-Medical & Public Health	Voted	0	0	3370528	138	3370528	138
8-Social Welfare	Voted	0	0	356475	0	356475	0
9-Industries	Voted	0	0	5586	0	5586	0
10-Development	Voted	671528	0	2664445	0	1992917	0
11-Urban Development & Public Works Department	Voted	0	0	9741	83295	9741	83295
Total	Charged	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>127</u>	<u>0</u>	<u>127</u>	<u>0</u>
	Voted	672728	0	7583736	86174	6911008	86174



